इण्डोर तृतीय प्रश्न पत्र

मॉड्यूल – दो – सामयिक विषय **कालांश 26**

अ – सामयिक विषय एवं व्यक्तित्व विकास **कालांश 07**

(1). तनाव प्रबन्धन एवं समय प्रबन्धन –

1.तनाव प्रबन्धन – (Stress Management) -जब व्यक्ति एक–दूसरे से पारस्परिक विचारों का आदान–प्रदान करता है, तो उनमें कम या अधिक मात्रा में, तनाव या मानसिक दबाव उत्पन्न होता है। तनाव के स्तर, प्रत्येक व्यक्ति में पृथक– पृथक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में तनाव भावनाओं, मनोवैज्ञानिक लक्षणों, व्यवहारिक चिन्तन एवं शारीरिक चिन्हों के रूप में प्रकट होता है। अनेक विद्वानों का विचार है कि तनाव के अधिक समय तक बने रहने से अनेक मानसिक और शारीरिक रोग, जैसे– भावुकता, तनाव, हृदयगति सम्बन्धी रोग, फोडा, कैंसर और पीठ में दर्द इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं।

मनोशारीरिक (Psychophysical):- साधारण रूप से तनाव का अर्थ किसी व्यक्ति पर बल या दबाव का प्रयोग करने से लिया जाता है, लेकिन, वास्तव में, तनाव वह मनोशारीरिक प्रक्रिया है, जो शरीर में अधिक समय तक बने रहने पर, हानि, बीमारी या कुव्यवस्था उत्पन्न कर देती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा तनाव एक ऐसा अनुभव भी माना गया है, जो व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो शरीर में अधिक समय तक बने रहने पर हानि, बीमारी या कुव्यस्था उत्पन्न कर देती है। ‘‘किसी समस्या से उत्पनन चुनौती की स्थिति में, उससे निपटने के लिए, शरीर में जो शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाए होती हैं, उन्हें हम तनाव कहते हैं’’ अतः अधिक तनाव मनुष्य के लिए हमेशा हानिकारक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि तनाव किसी व्यक्ति में, किसी घटना या परिस्थिति के दौरान उत्पन्न होने वाली वह स्थिति है, जिसमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और सोचने, समझने तथा काम करने की शक्ति कमजोर पड जाती है। तनाव का अल्प मात्रा में होना मनुष्य के लिए उपयुक्त होता है।

तनाव का व्यक्तित्व पर प्रभावः–

1.**दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों में** मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में, जब किसी एक कार्य या आवश्यकता को पूरा करने के लिए बार–बार असफलता का मुँह देखना पड़ता है, तब उसे तनाव का सामना करना पड़ता है। इसके कुछ लक्षण चिन्ता, अनुपयुक्तता, मनोविकृति, आत्महत्या और हीन भावनाओं के रूप में प्रकट होते हैं।

2.**व्यक्तिगत कार्यों में–** प्रत्येक व्यक्ति में अलग– अलग आदतें होती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति में, तनाव भी अलग–अलग मात्रा में पाया जाता है। तनाव की मात्रा उसकी रूचियों, कार्यों और आदतों पर निर्भर करती है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका होना या न होना तनाव की पहचान करने में सहायक होता है। जैसे– धुम्रपान करने की गति, शराब पीने की आदत, दस्त लगना, भोजन न पचना, रक्तचाप अधिक होना, हृदयगति का अधिक होना, एस्थमा और फोड़ा आदि ऐसे कार्य हैं।

3.**घरेलु या सामूहिक कार्यों में–** तनाव के प्रभाव की पहचान करने के लिए, पारिवारिक या घरेलु तथा सामूहिक रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है। घर में हिंसा या मार–पीट, परस्पर क्रोध करना, वैवाहिक जीवन में कटुता, सैक्स सम्बन्धों की उपयुक्त पूर्ति न होना, मित्रों से झगड़ा करना तथा किसी खेल या कार्यों में असफलता का मुंह देखना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इनके द्वारा तनाव का प्रभाव सरलता से देख सकते हैं।

4.व्यवसायिक कार्यों या नौकरी में– सभी व्यक्ति अपनी नौकरी/व्यवसायिक कार्यों में तनाव की स्थितियों का अनुभव करते हैं। कई व्यक्ति अपनी नौकरी से सन्तुष्ट नहीं होते, कई व्यक्तियों में नौकरी के प्रति अलगाव होता है, अनेक व्यक्तियों का शोषण होता है।इससे कर्मचारियों में रोष, गुस्सा, उत्तेजना और असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों के द्वारा तनाव की पहचान आसानी से हो सकती है।

5.पुलिस कार्य से तनाव के कारणः– प्रत्येक व्यक्ति को तनाव का सामना कभी–कभी अवश्य करना पडता है। तनाव व्यक्ति के लिए अत्यन्त हानिकारक होता है। अतः तनाव को दूर करने के लिए तनाव उत्पन्न करने वाले कारक जानना जरूरी है जो निम्नलिखित हैं–

I. मनोवैज्ञानिक कारण।
II. जैविकीय कारण।
III. व्यक्तित्व सम्बन्धी कारण।

PTS JODHPUR

मनोवैज्ञानिक कारणः– तनाव भी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तनाव उत्पन्न करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, निम्नलिखित हैं–

1.**असफलता या कुण्ठा–** जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हेा जाती है, तो वह उसका समाधान करने का प्रयत्न करता है, ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। लेकिन पुरानी रूढ़ियों, रीति रिवाजों और लालफीताशाही के हस्तक्षेप के कारण, जब उसे असफलता का सामना करना पडता है, तो तनाव की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

2.**अत्यधिक कार्य–** जब व्यक्ति पर अत्यधिक कार्य का बोझ हो या अधिक जिम्मदारियां सिर पर आ जाएं, तो उस व्यक्ति में काम की अधिकता या जिम्मेवारी के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है।

3.**पृथक्करणः–** जब किसी व्यक्ति को उचित सम्मान न मिले और साथ ही साथ उसका, पृथक्करण कर दिया जाये, तो स्वयं ही उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है।

4.**मानसिक अनुकूलनः–** तनाव एक मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक अनुकूलन बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है। जब व्यक्ति का सामना किसी समस्या से होता है, तो उसके दिमाग में मानसिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, मानसिक अस्थिरता की इस स्थिति में तनाव उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति सोचने–समझने की शक्ति खो बैठता है। अतः ऐसी अवस्था में शरीर का संतुलन बनाये रखने के लिए, पूर्व–स्थिति में लाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया को मानसिक अनुकूल कहा जाता है।

जैविकीय कारणः–

1.**मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होना**ः– जब मनुष्य की मूल आवश्यकताएं, जैसे– भूख, प्यास, सैक्स, कपड़ा और मकान आदि की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसमें तनाव पैदा हो जाता है।

2.**अत्यधिक शोर**ः– प्रतिदिन के कार्यों में हमें अनेक प्रकार का शोर सुनाई देता है। शहरों में अनेक प्रकार के शोर, असहनीय हो जाता है, तो उसके कारण भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। कई व्यक्तियों को अनिद्रा रोग उत्पन्न हो सकता है। जो तनाव का कारण होता है।

3.**शारीरिक दोष**ः– कई व्यक्तियों में अनेक प्रकार के शारीरिक दोष पाये जाते हैं। जिसके कारण व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाते हैं। इन शारीरिक दोषों में प्रमुखतः अन्धापन, लंगडापन,कुरूपता एवं हीन भावनाएं आदि ऐसे हैं जिससे उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कुरूप है।

4.**हारमोन्स में परिवर्तन**ः– यदि व्यक्ति के हारमोन्स परिवर्तित होने शुरू हो जायें, तो स्वाभाविक है, कि व्यक्ति में स्वयं ही तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे– यदि किसी स्त्री में पुरूष हारमोन्स का उत्पन्न होनी आरम्भ हो जाए।

व्यक्तित्व सम्बन्धी कारणः–

1.चिन्ता उन्माद– प्रत्येक व्यक्ति में हर समय किसी न किसी प्रकार की चिन्ता पाई जाती है। जब यह चिन्ता किसी समस्या विशेष से जुड़ जाती है, तब व्यक्ति में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

2. स्वाभिमान या आत्मसम्मानः– अनेक बार व्यक्ति स्वाभिमान या आत्यसम्मान प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, लेकिन असफलता का सामना करना पडता है, तो वह कमजोर पड़ जाता है और अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। अतः उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है।

तनाव से बचने के उपायः–

1.व्यस्त रहें– हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें।

2.निश्चित कार्यक्रम– तनाव से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से निश्चित कार्यक्रम तैयार करके, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपने प्रतिदिन के कार्यों को अपनी दैनिक डायरी में क्रमवार लिखें ओर उसी के आधार पर कार्यों को पूरा करें।

3.सम्पूर्णतावाद– व्यक्ति प्रत्येक काम को पूरी तरह बिना गलती करना चाहता है, लेकिन, जब वह उस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाता या उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तब वह तनावग्रस्त महसूस करने लगता है। टाईप 'ए' व्यवहार करने वाले व्यक्तियों में, तीव्र प्रतियोगिताएं कम समय में अधिक काम करने में और आक्रामक व्यक्तिव्त आदि विशेषताऐं पाई जाती हैं, जो तनाव पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं।

4.कुसमायोजनः– अनके बार कुसमायोजन के कारण व्यक्ति अनेक बार प्रायः तनावग्रस्त रहता है।

PTS JODHPUR

5.मानसिक स्वास्थ्य दिवस– प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह या महीने में, किसी एक दिन या तारीख को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में निश्चित करना चाहिए। ताकि उस दिन आप अपने स्वास्थ्य का पूरा निरीक्षण भली–भांति करवा सकें और तनाव से छुटकारा पा सकें।
6.निर्णय लेना सीखें– किसी भी विषय में अनिश्चितता उत्पन्न होने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं।
7.लक्ष्यों में परिवर्तन– यदि किसी लक्ष्य विशेष में असफलता का सामना बार–बार करना पड रहा है, तो उस व्यक्ति को चाहिए, कि वह अपने लक्ष्यों को परिवर्तित कर ले और तनाव से छुटकारा प्राप्त करे।
8.हॉबी या आदत निर्माण– हॉबी या आदत निर्माण से व्यक्ति का तनाव दूर होता है। साथ साथ उसकी नीरसता, ऊब और उदासी से भी छुटकारा पा लेता है। तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति अनेक हॉबीज या आदतों का निर्माण कर सकता है। जैसे– संगीत सीखना, पुस्तकें पढना, पेंटिंग करना, बागवानी करना, खेल खेलना आदि।
9.मनोरंजन– आज की तनाव भरी जिन्दगी में व्यस्तता के साथ–साथ उपयुक्त मनोरंजन भी आवश्यक है,ताकि तनाव को कम किया जा सके।
10. संयत बनें– तनाव रहित जीवन जीने के लिए, व्यक्ति को अपनी वाणी, भाषा, शब्दावली, शैली और भाव–भंगिमाओं पर संयम बरतना चाहिए। आक्रामक भाषा, व्यवहार एवं तरीकों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए।
11. समय विभाजन एवं कार्यों का हस्तांतरण– समय विभाजन या समय प्रबंध की सहायता से भी तनाव दूर किया जा सकता है। समय विभाजन करके, शक्तियों का हस्तांतरण करके या कार्यो को प्राथमिकता देकर कार्यो का निपटारा करके, तनाव को कम किया जा सकता है। वारण्ट की तामील किसी अन्य कर्मचारी को दे सकते हैं। अतः कार्य की अधिकता से होने वाले तनाव से छुटकारा पा सकते हैं।
12. अवकाश– प्रत्येक व्यक्ति कार्य की अधिकता से परेशान रहता है। 'कोल्हू के बैल' का–सा ढंग जीवन को नीरस और बोझिल बनाता है। अतः इस बन्धन से पूर्ण जिन्दगी एवं तनाव से छुटकारा पाने के लिए, छुट्टी लेकर भी किसी स्थान पर जाना चाहिए।
13. व्यक्तित्व में सुधार– जब व्यक्ति में व्यक्तित्व विकार से तनाव अत्पन्न हो जाता है। तब व्यक्ति को चाहिए कि वह अच्छी विशेषताओं को अपनाये, सकारात्मक चिन्तन करे, ध्यान को एक स्थान पर केन्द्रित करे।
14. चिन्ताओं व तनाव पर नियंत्रण– अधिकतर तनाव, विशिष्ट परिस्थितियों में चिन्ता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। अतः चिन्ताओं पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि, उसको अपनी दैनिक क्रियाओं में खेलों, सैक्स, मनोरंजन एवं हंसी–मजाक को भी अपनाना चाहिए ताकि तनाव से छुटकारा मिल सके।
15. व्यायाम– अपनी रूचि और जीवन स्थिति के अनुकूल किसी उपयुक्त व्यायाम को अपने जीवन में अपनाएं, इससे न केवल, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, अपितु, तनाव भी दूर किया जा सकता है। इसके द्वारा मनोरंजन भी होता है। व्यायाम मन एवं मस्तिष्क के ऊपर अनुकूल प्रभाव डालता है।
16. सुदृढ अर्थव्यवस्था का निर्माण– जीवन–यापन की पूरी सुविधाएं नहीं मिल पातीं, जिसके कारण परिवार में तनाव उत्पन्न हो जाता है। बचत एवं निवेश की आदतें अपनानी चाहिए। पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाकर भी तनाव से बचा जा सकता है।
17. दाम्पत्य जीवन अच्छा बनाएं– समझदार दाम्पत्य जीवन साथी तनावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः पारिवारिक तनाव के कम करने और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए पति–पत्नी को एक– दूसरे का सम्मान व आदर करना चाहिए, उनकी भावनाओं को जानना चाहिए तथा आपसी विश्वास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए।
18. सदाचरण का पालन– जीवन में अच्छे आचरण के लिए, सत्य, अहिंसा, सदाचार, नैतिकता और सहिष्णुता आदि गुणों का विकास करके, तनाव को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। यदि किसी बात पर मन–मुटाव हो भी जाए तो एक–दूसरे को क्षमा कर दें, तभी मन कोमल और तनावरहित हो सकता है।
19. दवाएं– मादक द्रव्यों या नशीले पदार्थो का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए इससे कुछ देर के लिए तनाव दूर हो सकता है, परन्तु शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकता है। अतः तनाव दूर करने के लिए दवाओं का प्रयोग करना भी पडे तो सही चिकित्सक के पास जाकर अपनी समस्या बताएं और उसी से उपचार करवाएं।

PTS JODHPUR

20. शान्त जीवन एवं ईश्वर भक्ति– तनाव से मुक्ति पाने के एक सरल मार्ग शांत जीवन एवं ईश्वर–भक्ति करना भी है। व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन में से कुछ क्षण ऐसे भी निकालने चाहिए जिनमें वह ईश्वर–भक्ति कर सके। इससे व्यक्ति में मानसिक तनाव तो दूर होगा ही, इससे साथ–साथ मानसिक एकाग्रता, सदविचार एवं सद्कर्मों के प्रति रूचि भी उत्पन्न होगी।

21. परामर्श संस्थाओं की सहायता– समाज में तनाव की समस्या से जुझने के लिए तथा उसको दूर करने के लिए परामर्श देने वाली संस्थाओं से सहायता व परामार्श लेना चाहिए।

22. योगा और ध्यान द्वारा भी तनाव को दूर किया जा सकता है।

तनाव का प्रबन्धनः– कुछ मात्रा में तनाव तो अच्छा है क्योंकि इससे हम हमारे कार्य कर पाते हैं। परन्तु अत्यधिक तनाव हमारी कार्य क्षमता व स्वास्थ्य दानों को ही अत्यधिकरूप से प्रभावित करते हैं। अतः तनाव का इस प्रकार प्रबन्धन करना चाहिए कि वह हमारे स्वास्थ्य व कार्य क्षमता को प्रभावित ना कर सके। तनाव प्रबन्धन से तात्पर्य ' तनाव को इस प्रकार से समायोजित करना कि वह हमारे स्वास्थ्य व कार्य क्षमता को प्रभावित ना कर सके व हमारे कार्य करने की क्षमता में वृद्धि कर सके। तनाव से निपटने व कम करने वाले उपायों का अभ्यास करके हमें तनाव के दुष्प्रभावों को दूर करके इसे उत्पादक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अतः तनाव का प्रबन्धन करना अति आवश्यक व महत्वपूर्ण है।

क्रोध नियन्त्रण और कार्य में आक्रामकता– कार्य स्थल पर व हमारे कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय हमें हमारे क्रोध पर नियन्त्रण रखना चाहिए। अक्सर लोग पुलिस के पास किसी घटना से आहत व व्यथित होने से आते हैं। जिससे वे क्रोध में होने से आपे से बाहर होकर इस तरह की बातें हमारे साथ करते हैं, जिससे पुलिस अधिकारी को गुस्सा आ जाता है तथा पुलिस अधिकारी के कार्य के घन्टे अधिक होने व तनावपूर्ण व विषम परिस्थितियों में कार्य करने से उनमें क्रोध आ जाता है। तथा क्रोध में वे अवांछित या सीमा से परे कार्य कर गुजरते हैं जिससे अधिकारी की स्वयं की व विभाग की छवि धूमिल हो जाती है। हम स्वयं भी अपने अनुभव से भली भाँती जानते हैं कि क्रोध में लिए गये निर्णय व किये गये कार्य अधिकतर गलत ही होते हैं। अतः हमें धैर्य व सहनशीलता से हर विषय व उत्तेजित करने वाली परिस्थिति में क्रोध पर नियन्त्रण रखना चाहिए। साथ ही क्रोध नियन्त्रण करके हमें व्यक्तियों के विरूद्ध आक्रामकता को कम करके धैर्य व सहनशीलता के साथ व्यवहार करके हम हमारे कार्य और तेजी व पूर्णता से कर पायेगें।

पुलिस ड्यूटी के दौरान हुए तनाव को नियन्त्रित करना–

तनाव एक ऐसा मनोरोग हैं जो व्यक्ति को किसी भी गंभीर स्थिति तक ले जा सकता हैं। निम्नलिखित उपायों से ड्यूटी के दौरान पुलिस अपने तनाव को नियन्त्रित कर सकते हैं :–

1.निश्चित कार्यक्रम रखें।
2.अपने आप को कभी सम्पूर्ण न समझें। कमी होने पर उसे स्वीकारे और कमी के कारण को दूर करें।
3.जीवन सम्पादन करते समय कुसमायोजन से बचें।
4.मनोरंजन के साधन तलाशे।
5.शरीर को स्वस्थ रखें। खान पान, व्यायाम का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
6.संयत बनें – तनाव रहित जीवन के लिए व्यक्ति को अपनी वाणी, भाषा, शब्दावली, भाव–भंगिमाओं पर संयम बरतना चाहिए।
7.आक्रमक भाषा, व्यवहार एवं तरीको पर नियंत्रण रखनें की कोशिश कीजिए।
8.समय विभाजन एवं कार्यो का हस्तांतरण।
9.शांत जीवन व ईश्वर भक्ति– जिससे मानसिक तनाव दूर होने के साथ मानसिक एकाग्रता, सद्विचार एवं सद्कर्मो के प्रति रूचि भी उत्पन्न होती हैं।
10. योगाभ्यास, प्राणायाम से भी तनाव दूर किया जा सकता हैं।
11. स्व–प्रेरणा को विकसित किया जायें।
12. भावनात्मक स्थिरता का विकास करें।

समय प्रबन्धनः– अर्थ एवं परिभाषा–किसी विशिष्ट कार्यवाही क्षमता और उत्पादकता बढाने के लिए खर्च किये गये समय के जागरूकतापूर्ण नियंत्रण की प्रक्रिया ही समय का प्रबंधन है। समय प्रबन्धन प्रक्रिया का मिश्रण, औजार, तकनीक और विधियों की रूपरेखा बनाना है। साधारणतयाः समय प्रबन्धन किसी प्रोजेक्ट के निमार्ण, उसके पूर्ण होने के समय एवं क्षेत्र के निर्धारण के लिये आवश्यक है। समय

PTS JODHPUR

प्रबन्धन समय के बेहतर उपयोग के लिए यद्यपि कलाओं का एक पुंज हैं। व्यक्तिगत समय प्रबन्धन कलायें निम्न हैः–

1.लक्ष्य निर्धारण कि आप जिन्दगी से क्या चाहते है।

2.जिन्दगी में अपने लक्ष्य निर्धारित करना।

3.पहले क्या करना है इसकी प्राथमिकता तय करनी है।

4.महत्वपूर्ण पसन्द के बारे में निर्णय करना।

5.सूची बनाना की क्या काम करने जा रहे है और उनका क्रम निर्धारण क्या होगा।

समय प्रबन्धन का ईनाम बहुत ऊँचा है इसके द्वारा अधिक क्रियाशील होकर उच्च लक्ष्य हासिल कर खुशी हासिल की जा सकती है।

लाभ–

1.नियंत्रणः–उचित समय प्रन्बधन हमारी जिन्दगी में नियंत्रण के उपाय उपलब्ध कराता हैं। इस तरह यह हमारे भाग्य पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद करता है।

2.उत्पादकताः–यह हमें अधिक उत्पादक बनाता है। समयबद्ध तरीके से कार्यो को पूर्ण करने से चीजे समय पर पूर्ण हो जाती है और साथ ही हमें कार्यो को पूर्ण करने वाली क्रियाओं की तरफ बढाती हैं।

3.आत्मविश्वासः–समय प्रबन्धन से हमारी जिन्दगी पर हमारा नियंत्रण हो जाने से हमें आत्मविश्वास प्राप्त होता हैं। ज्यो ही हमें अहसास होता है कि जो कार्य हमने शुरू किया है, उसे हम समय पर पूर्ण कर लेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ जाता है।

4.आनन्दः–समय पर कार्यो के पूर्ण होने से हमें आनन्द मनाने के लिये अधिक समय मिलता है। इससे हम हमारी मन पसन्द हॉबी परिवार के साथ समय देना, आराम करना आदि के लिये समय दे सकते हैं।

5.उद्देश्यों को पूरा करने की योग्यताः–समय की उचित प्रबन्ध के बिना उद्देश्य पूरा करना लगभग असम्भव होता हैं। समय प्रबन्धन वह योग्यता है जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करा सकता है।

6.उत्तरदायित्व की भावना बढानाः–यह सत्य है कि समय और ज्वार किसी आदमी का इंतजार नही करते। हम सभी के पास एक दिन में 24 घण्टे होते हैं पर कुछ लोग समय का योग्यता से उपयोग करते हैं और यही हममें उत्तरदायित्व की भावना को बढाता है।

7.परिणाम योग्यता प्राप्तिः–जब हम जानते हैं कि अपने समय का कैसे बेहतर उपयोग किया जाये तो हमारे उद्देश्यो के अलावा भी सामाजिक एवं अन्य कार्यो को करने की योग्यता हासिल कर सकते हैं।

8.धन प्रबन्धन में सहायकः– कहा जाता है कि 'समय ही धन है।' इस प्रकार जितना समय हम बर्बाद करते हैं उतना अधिक धन बर्बाद करते हैं। जब हम हमारे समय का हर मिनट बुद्धिम्ता से उपयोग करते हैं तो हम हमारा धन विभिन्न तरह से बचाते हैं।

प्राथमिकता के सिद्धान्त–हम सम्भवतयाः सोचते है कि जिन्दगी में हमारी क्या प्राथमिकताए हैं। हम निश्चितरूप से कहेंगे जैसे–मेरा परिवार, मेरा भविष्य, मेरा स्वास्थ्य, मेरी वित्तीय बातें आदि परन्तु आपके लिये एक खबर है कि आप नहीं जानते हैं कि आपकी प्राथमिकताए क्या हैं और यही कारण है कि आप उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जहाँ तक आप प्राप्त करना चाहते हैं, जितना जल्दी आप प्राप्त करना चाहते हैं। वे लोग महान सफलता का आनन्द उठाते हैं जो प्राथमिकताओं के सिद्धान्त को वास्तविक प्राथमिकताओं से जोड़कर चलते हैं। जब जो काम हम करते हैं क्या वह हमारा पूर्ण, अति महत्वपूर्ण, वर्तमान और उच्च प्राथमिकता का है। इसके लिये हमें जानना चाहियें कि यह क्या मामला हैं और कैसे प्राप्त किया जा सकता हैं। इसके निम्न सिद्धान्त हैः–

1.स्पष्ट दृष्टिकोणः–स्वंय से पूछें कि ''वास्तव में मैं क्या हासिल करने का प्रयास कर रहा हूँ।'' जितना अधिक हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होगा उतना अधिक हम उसे हासिल कर सकते हैं।

2.एक समय में एक काम करेंः–सफल लोग एक समय में एक काम करते हैं और जहाँ तक सम्भव हो समय रहते उसे पूरा करते हैं।

3.अपनी मर्यादायें तय करनाः–अपनी मर्यादायें तय करना। वास्तव में हमारी मर्यादायें ही हम सृजनात्मकता के लिये प्रेरित करती हैं अगर हमारे पास समय की कमी हैं तो हमारा प्रयास सकेन्द्रित होगा वनिस्पत कि हमारे पास समय हो।

4.बन्द लिस्ट का इस्तेमालः–लिस्ट के अन्त में अगर लाईन खींच दी जाये तो कोई नई चीज नहीं जोड़ी जा सकती। जिससे कि कार्य समय पर पूर्ण होगा और लटकता नहीं रहेगा।

PTS JODHPUR

5.पुराने बचे काम को अलग करनाः—पुराने बचे काम से मुक्ति पाकर प्रतिदिन का कार्य करने की प्रक्रिया अपनाना।

6.अचानक आये कारकों को घटनाः—यह वह चीजें हैं जो हमारे योजनाबद्ध कार्यो को पूर्ण करने से रोकती हैं। हमारा दिन हमें दौडाने के लिये शुरू होता है बनिस्पत की हम इसे चलाते हों।

पुलिस ड्यूटिज में समय प्रबन्धन— हर कोई सोचता है कि उसका केस अति महत्वपूर्ण है। पुलिस में परिवाद और शिकायते अत्यधिक है जो सम्भवतयाः पुलिस द्वारा हैण्डल करना बहुत मुश्किल हैं। हम देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से व्यस्त हैं बहुत कुछ चल रहा हैं और क्या बहुत कुछ होने वाला है। पर हर परिस्थिति में पुलिस द्वारा जिस तरह समस्याओं को सम्भाला जाता है, वह जरूर विचारणीय विषय है। यह निश्चित है कि पुलिस के कंधो पर बहुत बडी जिम्मेदारी है। ऐसे में पुलिस में समय प्रबन्धन कला के विकास की बहुत महति आवश्यकता है और अब अगर समय रहते सही समय प्रबन्धन नहीं किया गया तो इन जिम्मेदारियों से निपटना नियंत्रण से परे हो सकता है। इससे पुलिस की छवि और पुलिस कर्मियों के व्यवहार पर प्रतिकूल असर होने वाला है। इसके लिये पुलिस में समय प्रबन्धन हेतु आवश्यक है किः—

1.दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आधार पर वास्तविकतापरक प्राथमिकतायें तय करना।

2.समय के उत्तम उपयोग का समय—समय पुनर्मूल्यांकन करना।

3.कार्य अच्छी तरह से हो जाये, हर समय पूर्णताः आवश्यक नहीं है।

4.जब आवश्यक हो तो कार्य और जिम्मेदारियां दूसरो को बांटी जाये।

5.बिना समय गंवाये निर्णय लेना और कार्य के लिये आगे बढ जाना।

6.बढे कार्यो को छोटे—छोटे कार्यो भागो में बांट देना।

7.हर कार्य को पूर्ण करने पर स्वंय ही उद्देश्य और इनाम तय करना।

किसी विशिष्ट कार्यवाही क्षमता और उत्पादकता बढाने के लिए खर्च किये गये समय के जागरूकतापूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया ही समय का प्रबंधन समय के बेहतर उपयोग के लिए यद्यपि कलाओं का एक पुंज हैं। इसके अनेक लाभ हैं जैसे— जिन्दगी में नियंत्रण के उपाय उपलब्ध कराता, अधिक उत्पादकता, आत्मविश्वास व आनन्द उद्देश्यों को पूरा करने की योग्यता प्राप्ति, धन प्रबन्धन में सहायक।

चूंकि समय प्रबन्धन वास्तव में कुशल जीवन प्रबन्धन का ही दूसरा नाम हैं अतः यह वांछनीय हैं कि अपने नित्य समय का उपयोग इस प्रकार करें कि जीवन के सभी आयामों पर ध्यान दिया जा सके।

2. पुलिस जनता सम्बन्ध एवं पुलिस छवि सुधारने का उपाय, राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता एवं पुलिस ध्येय, नैतिक व्यवहार, पुलिसिंग के मूलभूत सिद्धान्त

पुलिस जनता सम्बन्धः— सामान्यतः पुलिस एंव जनता सम्बन्धों से अर्थ उन सम्बन्धों से हैं जो पुलिस बल और समाज के बीच पाए जाते हैं, जिसमें एक दूसरे के प्रति विचारों का आदान प्रदान, भाषा और संस्कृति का ज्ञान एंव सभ्य व्यवहार शामिल हैं।

पुलिस और जनता सम्बन्ध समाज एंव पुलिस के अपराधी व्यवहार से सम्बन्धित होते हैं। एक तरफ यह सम्बन्ध, समाज में पुलिस के प्रति विश्वास के स्तर को निर्धारित करता हैं, दूसरी तरफ पुलिस कार्यो के बारे मे लोगो की भावनाओं, विचारों एंव आलोचनाओं आदि के बारे में जानने का काम करता हैं।

पुलिस एंव समाज सम्बन्ध, मैत्रीभावना, बंधुत्व और आपसी सदभाव की एक कडी समझा जाता हैं। जिसके द्वारा पुलिस और समाज के सामान्य उद्धेश्यों जैसे— शान्ति और कानून व्यवस्था, सामाजिक अधिकारों और स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए एक सूत्र में बान्धती हैं।

<u>पुलिस छवि सुधारने का उपायः</u>— पुलिस छवि खराब होने के अनेको कारण हैं जैसे — प्राचीन पृष्ठभूमि, भ्रष्टाचार, जनता के साथ दुर्व्यवहार, राजनैतिक हस्तक्षेप, आधुनिकीकरण की कमी, जनता द्वारा असहयोग, अनुशासनहीनता आदि।

1.जनता का विश्वास प्राप्त करना।

2.एक सेवक के रूप में कार्य करें— पुलिस को प्रजातांत्रिक ढाचे के अनुसार अपनें कार्य एवं स्वरूप मे परिवर्तन कर लेना चाहिए।

3.कडा अनुशासन — पुलिस कडे अनुशासन, ईमानदारी, निष्पक्षता तथा उच्च मनोबल से कार्य करेंगी तभी उसकी छवि में सुधार लाया जा सकता हैं।

4.नैतिक गुणों का विकास।

PTS JODHPUR

5.प्रशिक्षण में सुधार – प्रशिक्षण पुलिस कार्यो की नींव हैं। प्रशिक्षण सम्बन्धित सुविधाओं का पर्याप्त प्रबन्ध करना चाहिए, आधुनिकतम प्रशिक्षण प्रणालियों को जुटाना चाहिए।
6.कार्यकुशलता में वृद्धि – आधुनिकीकरण द्वारा बढाई जा सकती हैं।
7.आधुनिकीकरण – पुलिस को नए संचार साधनों, यातायात साधनों एवं शस्त्रों को प्राप्त करवाके उसका आधुनिकीकरण किया जा सकता हैं। पुलिस के स्वरूप का नव निर्माण करना चाहिए।
8.उचित सुविधाओं की व्यवस्था।
9.शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही।
10. शक्ति व अधिकारों का उचित प्रयोग।
11. अच्छे पुलिस–जनता सम्बन्ध की स्थापना।
12. संचार माध्यमों से अच्छे सम्बन्ध।
13. स्कूलों व कॉलेजों में पुलिस कार्यो का प्रशिक्षण।
14. प्रदर्शनी, पुलिस मेले व सेमीनारो का आयोजन।
15. भ्रष्टाचार निवारण।
16. राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी।

पुलिस जनता सम्बन्ध का महत्व :–

अपराधों की रोकथाम :– पुलिस का प्रमुख कार्य। जब तक पुलिस जनता के मध्य अच्छे सम्बन्ध नहीं होगें तब तक अच्छी व सही सूचनाएं प्राप्त करने, गवाह बनाने और साक्ष्य एकत्रित करने में पुलिस को अनेक कठिनाई का सामना करना पड सकता हैं।
1.सामाजिक तनाव एंव समस्याओं का समाधान :– शांति एंव व्यवस्था का निर्माण करना पुलिस का प्रमुख कार्य। तनाव व समस्याओं को दूर करने से पूर्व इनको समझना, कारणों को जानना आवश्यक हैं, इसके लिए समाज एंव जनता के साथ मधुर सम्बन्धों का निर्माण करके उनकी सहायता एंव सहयोग प्राप्त करना चाहिए।
2.शांति एंव कानून व्यवस्था बनाए रखना :– पुलिस का प्रथम कर्तव्य। यदि पुलिस जनता का सम्पन्न सहयोग एंव सद्व्यवहार करती हैं तो शान्ति व्यवस्था लागू करने में आसानी से सफलता मिलेगी।
3.सामाजिक सुरक्षा एंव विकास :– पुलिस का कार्य समाज के सभी वर्गो एंव समूहों की सुरक्षा करना और उनको दिए गए अधिकारों की सुरक्षा करना। जब समाज में सुरक्षा के प्रबन्ध अच्छे होते हैं तो सामाजिक विकास की गति निरंतर चलती रहती हैं।
4.सामाजिक विचारों एंव संचार माध्यमों में सुधार :– प्रायः यह विचार प्रस्तुत किया जाता हैं कि पुलिस क्रूरता एंव अभद्रता से दुर्व्यवहार करती हैं।

राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता एवं पुलिस का ध्येयः–

आदर्श आचार संहिता–किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक आचार संहिता की आवश्यकता होती हैं क्योंकि यह उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। आचार संहिता उच्च स्तर के मापदंडों के आधार पर बनाए गए नियमों की एक सूची मात्र हैं।
पुलिस आचार संहिता से तात्पर्य उन नियमों का संग्रह मात्र हैं जो इस विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्धारित करने मे मार्गदर्शन करता हैं कि उनके द्वारा किये गए कार्य (जिसमें व्यक्तिगत कार्य भी शामिल हैं) सही हैं या गलत।
1.संगठन की उत्पति एवं व्यवस्था लागू करने में जनता का विश्वास प्राप्त करने को मजबूती प्रदान करने हेतु जनता को प्रसन्न करना।
2.अफसरों को उनके उत्तरदायित्व व कर्तव्यों का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रशंसा करना।
3.जनसेवा की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना।
4.प्रत्येंक व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय को सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत एवं मानवीय अधिकारों की रक्षा।
5.कर्तव्यों का पालन निष्ठा, ईमानदारी, साहस व निष्पक्षता से करना।
6.कार्य को सम्मानजनक व्यवसाय समझते हुए समाज को उचित एवं अच्छी सेवाएँ प्रदान करने के अवसरों को खोजना।

राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता –

1.मेरे काम मे सभी जाति, धर्म एवं वर्ग समान हैं।

PTS JODHPUR

2.विनम्रता मेरी ताकत है।
3.ईमानदारी और पारदर्शिता मुझे विश्वसनीय बनाते है।
4.अपराधों की रोकथाम कर जनता की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है।
5.समाज में प्रतिष्ठा ही मेंरी सबसे बड़ी पूँजी है।
6.मैं राजस्थान पुलिस का गौरव हूँ तथा कभी भी इसे कम नही होने दूँगा।

पुलिस का ध्येयः– आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय

नैतिक व्यवहार

इथिक्स शब्द यूनानी शब्द 'इथोस' (Ethos) से उद्धृत है जिसका तात्पर्य परंपरा, आदत, चरित्र या स्वभाव से है। इसे नैतिक दर्शन के रूप में भी वर्णित किया जाता है। इथिक्स अध्ययन की वह शाखा है जो, 'किसी व्यक्ति के लिए उचित कदम क्या हो सकता है' से संबंधित है। अध्ययन की यह शाखा, 'क्या करना चाहिये', प्रश्न का जवाब देता है। यह मानवीय प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन करता है और अधिक सैद्धान्तिक स्तर पर देखें तो यह वह पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने मूल्यों को वर्गीकृत करते हैं और उसका पालन करते हैं। यह एक तथ्य है कि मनुष्य में सही व गलत व्यवहार में फर्क करने का एक त्वरित जागरूकता होती है, लेकिन नीतिशास्त्र केवल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी निर्णय को निर्धारित नहीं करता, बल्कि यह उन तथ्यों को बौद्धिक स्तर पर स्वीकार या खारिज करता है, उसके प्रभावों को समझता है, उसके व्यावहारिक परिणामों को देखता है और सबसे प्रमुख यह कि, वह उसके अंतिम उद्देश्यों तक पहुंचता है।

इस प्रकार नीतिशास्त्र को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि में औचित्य या अनौचित्य के दृष्टिकोण से सही एवं गलत का निर्णय तथा सही या चुनाव सम्बन्धी मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन ही एवं निर्णय नीतिशास्त्र है (The systematic study of human action from the point of view of their rightfulness or wrongness as means for the attainment of the ultimate happiness)। यह अध्ययन के एक प्रकार रूप में मानवीय व्यवहार की अच्छाई या बुराई का चिंतनशील अध्ययन है।

पुलिसकर्मी के लिए अपेक्षित गुण

1. स्वस्थ एवं आकर्षक व्यक्तित्व
2. अनुशासन
3. विन्रमता
4. शिष्टता
5. कर्त्तव्यपरायणता
6. जागरूकता
7. आज्ञाकारिता
8. निष्ठा एवं ईमानदारी
9. बुद्धिमता
10. क्षमता
11. संवेदनशीलता

पुलिस संगठन में नीतिशास्त्र

नैतिकता किसी भी संगठन, व्यवस्था तथा कार्य की मेरूदण्ड है। नैतिकता की सशक्त आधारशिला पर ही किसी सुधार, पहल एवं सफल संस्था की परिकल्पना की जा सकती है।मानव की सभ्यता के उदय के साथ ही पुलिस सेवा के अस्तित्व की आवश्यकता महसूस की गयी है । पुलिस एवं नीतिशास्त्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं क्योंकि दोनों का अन्तिम साध्य मानव गौरव का संरक्षण एवं मानवीय मूल्यों के अस्तित्त्व की रक्षा है । सक्षम पुलिस एवं सशक्त नैतिक संस्कृति एक दूसरे की पहचान माने जा सकते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा एवं शान्ति की जिम्मेदारी जिस पुलिस विभाग पर की गयी हो मूलरूप में उसकी पहचान ही नैतिकता के आलोक से है।

पुलिस नैतिकता की आवश्यकता

प्रायः भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में पुलिस के बारे में धारणा सही नहीं है क्योंकि पुलिस के कार्यों की प्रकृति ही ऐसी है की चाहे, अनचाहे उसके द्वारा नागरिक स्वतंत्रताओं में कटौती हो ही जाती है, तथा पुलिस का दमनकारी व्यवहार भी आलोचना का विषय बनता रहता है। अतः समय एवं परिस्थितियों की मांग है कि पुलिस व्यवस्था को जन एवं समाज आकांक्षाओं के अनुरूप एवं नैतिक नियमों के दायरे में रहकर काम करना है। क्योंकि भारत संक्रमणकालीन समाज की व्यवस्थाओं को पारकर विकास की अवस्थाओं की ओर बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में नागरिक समाज की स्वतंत्रताओं की मांग में वृद्धि हुई है। अतः यदि हम इसके विपरीत धारा मे बहेंगे तो पुलिस व्यवस्था के औचित्य पर

PTS JODHPUR

सवाल उठेंगे अतः पुलिस को सरकार द्वारा आरोपित आचार संहिता तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता का पालन करने से एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक जनसहयोगी पुलिस की छवि उभरेगी।बदले हुए समय एवं समाज में पुलिस नैतिकता की अत्यधिक आवश्यकता है जो स्वयं पुलिस संगठन एवं सम्पूर्ण समाज के हित में है।

पुलिस नैतिकता के मुख्य स्रोत

1. संविधान
2. विभिन्न विधियां
3. सामाजिक–राजनीतिक संस्कृति
4. अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की रुढ़ियाँ व नियम
5. आचार सहिताएँ
6. अन्य।

पुलिस को सकारात्मक, स्वीकार्य, विनम्र सहयोगी रहने की सदैव आवश्यकता है। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पुलिस सकारात्मक, रहकर ही बेहतरीन प्रदाता (Service Provider) हो सकती है साथ ही पुलिस सेवा संगठन लक्ष्यों को अर्जित कर सकती है।

पुलिस नैतिकता संबंधित महत्वपूर्ण विषय

1. संविधान एवं संविधान के आदर्शों, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता।
2. विधायिका द्वारा निर्मित विभिन्न कानूनों को निष्पक्षता से पालन के प्रति प्रतिबद्धता।
3. भेदभाव रहित एवं जनोन्मुखी पुलिस कार्य प्रणाली।
4. समाज के वंचित वर्गों एवं महिलाओं व बच्चों, वृद्धों की प्राथमिकता से सहायता।
5. मानव अधिकारों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन।
6. क्रूरता, दमनकारी उपायों के स्थान पर वैज्ञानिक विधियों तथा लोकतांत्रिक तरीकों का प्रयोग।
7. जनता के साथ सहयोग एवं समझा, बुझाकर कानूनों का पालन करवाना।
8. ईमानदारी पूर्वक,शिष्टता, सदाचार रहकर कर्त्तव्यों का पालन।
9. व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर लोगों की भलाई।
10. अपने अधिकारों एवं स्थिति का विधि के दायरे में रखना एवं पालन तथा शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग।
11. समाज में व्यक्तिगत आचरण स्वच्छ रखना।

सामाजिक न्याय, सामुदायिक पुलिसिंग समस्या केंद्रित कार्य प्रणाली, आमजन व अन्य विभागों का सहयोग इत्यादि बातों के प्रति निष्ठा।

नेतृत्व, अभिप्रेरण एवं संम्प्रेषण कौशलः–

नेतृत्व – अलग–अलग संदर्भों में नेतृत्व का अर्थ भिन्न–भिन्न लगाया जाता है। सामान्य शब्दों में, नेतृत्व दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की एक ऐसी शक्ति है जिससे कि उन्हें सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह एक ऐसी कला है जिसमें अनुयायी अपने पूर्वाग्रहों, पूर्व निर्धारित सोच तथा कार्य करने के ढंग को त्याग कर नेतृत्व द्वारा बनाये गये पथ पर चलते हुए अपना सर्वोत्तम योगदान संस्था को देकर, इसके लक्ष्यों की प्राप्ति को सम्भव बनाते हैं। नेतृत्व को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। इनमें से कुछ एक प्रमुख परिभाषाऐं निम्नलिखित हैं–

कीथ डेविस के अनुसार, ''नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्व प्राप्त करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। यह एक मानवीय घटक है, जो एक समूह को एक साथ बाँधे रखता है तथा उसे लक्ष्यों के प्रति अभिप्रेरित करता है।

लिविंग्स्टन ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में नेतृत्व को परिभाषित करते हुए लिखा है कि '' नेतृत्व एक सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने के लिए इच्छा जागृत करने की योग्यता है।''

स्टोनर एवं उसके सह लेखकों ने प्रबन्धकीय नेतृत्व को परिभाषित करते हुए लिखा है कि '' प्रबन्धकीय नेतृत्व एक समूह के सदस्यों की कार्य सम्बन्धित क्रियाओं को निर्देशित एवं प्रभावित करने की प्रक्रिया है।''

PTS JODHPUR

कून्ट्ज एवं ओ. डोनेल लिखते है कि '' नेतृत्व एक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अन्तर्व्यैक्तिक प्रभाव डालने की योग्यता है। ''

उपर्युक्त विचारों के विश्लेषण करने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नेतृत्व दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की कला है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि '' नेतृत्व सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में स्वैच्छिक एवं उत्साहपूर्वक कार्य करने हेतु व्यक्तियों के व्यवहार, मनोवृतियों एवं क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया या कला है। ''

नेतृत्व की विशेषताऐं–

नेतृत्व एक बहुआयामी भाब्द है, जिसे अनेक विद्वानों ने अपने–अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। अतः नेतृत्व को भलीभाँति समझने के लिए नेतृत्व की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन आव यक हो जाता है। नेतृत्व की कुछ मूलभूत विशेषताऐं निम्नलिखित है :–

1.**नेतृत्व क्षमता विकसित एवं अर्जित की जा सकती है –** नेतृत्व के बारे में सामान्य वि वास यह है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाये नहीं जाते। किन्तु आधुनिक समय में इस वि वास का कोई महत्व नहीं रहा है। अब यह धारणा बलवती होती जा रही है कि नेता केवल जन्म ही नहीं लेते वरन् उनको बनाया भी जा सकता है। भिन्न भाब्दों में कुशल नेतृत्व के लिए जन्मजात प्रतिभा का होना आव यक नहीं है। अब व्यवस्थित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों में भी नेतृत्व के गुणों का विकास किया जा सकता है, जिनमें नेतृत्व के गुणों का अभाव है अथवा नेतृत्व की जन्मजात प्रतिभा की कमी है। प्रबन्ध संस्थानों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में उत्तीर्ण होने वाले प्रबन्ध स्नातक तथा उनका अपने आप को सफल नेता के रूप में स्थापित करना इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

2.**अनुयायी –** बिना अनुयायियों के नेतृत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिनके अनुयायी नहीं होते उनके नेता भी नहीं होते। जिस प्रकार किसी सिक्के की पूर्णता के लिए दोनों पहलुओं का होना आव यक समझा जाता है, उसी प्रकार नेतृत्व की पूर्णता के लिए अनुयायियों के समूह का होना आव यक समझा जाता है।

3.**दूसरों को प्रभावित करने की कला –** नेतृत्व सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासों को नियोजित करने हेतु दूसरों को प्रभावित करने की एक कला है। एक सफल नेतृत्व दूसरों की कार्य करने की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे अपने पूर्वाग्रहों, पूर्व निर्धारित सोच एवं दृष्टिकोणों को त्याग कर पूर्ण मनोयोग से संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्साह एवं लगन के साथ कार्य करने हेतु अभिप्रेरित होते हैं।

4.**अभिप्रेरित करने की कला –** एक सफल नेतृत्व अपने अनुयायियों को हांकता नहीं है, वह उनसे जोर जबरदस्ती कार्य नहीं लेता वरन् उन्हें स्वैच्छापूर्वक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। एक सफल नेता अपने अनुयायियों की विविध आव यकताओं का अध्ययन करता है।

5.**अन्तर्व्यैक्तिक सम्बन्ध –** नेतृत्व का आधार नेता एवं उसके समूह के सदस्यों के मध्य अन्तर्व्यैक्तिक सम्बन्ध है। एक नेता अपने समूह के सदस्यों को प्रभावित करता है तथा साथ ही समूह के सदस्य भी नेता को प्रभावित करते हैं। एक कुशल नेता दूसरों की इच्छाओं को परस्पर सम्बन्धित कर उन्हें एक दल के रूप में कार्य करने हेतु तैयार करता है।

6.**सतत् प्रक्रिया –** नेतृत्व एक निरन्तर प्रक्रिया है। एक नेता अपने समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करने हेतु निरन्तर प्रयास करता है। वह इस प्रक्रिया को अपने अनुयायियों के सम्पूर्ण समूह के साथ द्वि–मार्गीया सन्देशवाहन का स्वतंत्र प्रवाह बनाये रखकर संचालित करता है।

7.**सामान्य लक्ष्य –** नेतृत्व सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों के स्वैच्छिक कार्य करने के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता अथवा योग्यता है। टेरी एवं फेन्कलिन के मतानुसार '' नेतृत्व पारस्परिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक प्रयास करने के लिए व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्रिया है। '' इस प्रकार नेतृत्व में नेता एवं उसके अनुयायियों के मध्य सामुदायिक हितों का समावे ा होता है।

8. सत्ता – नेतृत्व सत्ता पर आधारित है एक व्यक्ति जो दूसरों पर सत्ता रखता है, नेता है। इस सत्ता के बल पर ही एक व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करने की स्थिति में होता है एक व्यक्ति के सत्ता है–I श्रेष्ठ ज्ञान, सूचना, अनुभव अथवा निष्पादन, II औपचारिक सत्ता, III करिश्मा IV व्यक्तित्व गुण।

9. औपचारिक एवं अनौपचारिक – नेतृत्व औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। जब एक व्यक्ति अपने औपचारिक संगठनात्मक सम्बन्धों के कारण नेतृत्व प्रदान करता है तो वह

PTS JODHPUR

औपचारिक नेता होता है, किन्तु ऐसे नेता को कई परिस्थितियों में अपने अधीनस्थों या समूह को अनौपचारिक नेतृत्व भी प्रदान करना पड़ता है जब कोई व्यक्ति किसी समूह या अनुयायियों का नेतृत्व अनौपचारिक सम्बन्धों के कारण करता है तो वह अनौपचारिक नेता होता है। उदाहरणार्थ, श्रम संघ नेता, छात्र नेता, समाज का नेता, राजनैतिक नेता आदि।

10. नेतृत्व एवं प्रबन्ध भिन्न है – नेतृत्व एवं प्रबन्ध पर्यायवाची नहीं है। यह दोनों एक–दूसरे से भिन्न हैं। सभी प्रबन्धक नेता नहीं होते। प्रबन्धक को अधीनस्थों के प्रति औपचारिक सत्ता अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग दूसरों को कार्य में लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वैच्छिक सहयोग देने के लिए प्रेरित करने हेतु करता है।

नेता के लिए आवश्यक विशेषताऐं

सांस्कृतिक लचीलापन – सांस्कृतिक लचीलापन से तात्पर्य नेता के उस कौशल से होता है जिसके माध्यम से वह संगठन की विभिन्नताओं के महत्व को समझकर उसकी पहचान करता है तथा फिर उसके अनुरूप अपने–आपको कार्यरत करता है।

सर्जनात्मकता – सर्जनात्मकता नेता का एक प्रमुख कौशलहै। नेता को स्वयं तो सर्जनात्मक होना ही चाहिए तथा साथ ही साथ उसमें एक ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए, जिससे वह एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे कि अन्य लोग भी सर्जनात्मक हो सके। सर्जनात्मकता के गुण के साथ ही साथ यदि उसमें समस्या समाधान तथा मौलिक परिवर्तन करने का भी कौशलहो, तो यह नेता के लिए सोने में सुहागा के समान मालूम पड़ता है।

संचार कौशल – प्रभावी नेता में उत्तम ढंग से संचार करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रभावी नेता में चाहे संचार का प्रारूप लिखित हो, शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो, उत्तम ढंग से उसे संचालित करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए।

मानव साधन विकास कौशल – मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि मानव साधन कौशलनेतृत्व–प्रभाव ीलता का एक आव यक कौशलहै। अतः नेता में मानव साधन विकास करने का कौशलहोना चाहिए। इसमें संगठन में सीखने का उत्तम आबोहवा, प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार करने का गुण, सूचना तथा अनुभव को संचारित करने का गुण, पे ा पराम र्ा तथा संगठनात्मक परिवर्तन की क्षमता आदि होना चाहिए।

सीखने का आत्म–प्रबंधन – इस कौशलमें नये ज्ञान एवं कौशल को सतत् सीखने की आव यकता सम्मिलित होती है। अभी के बदलते हालात में यह आव यक है कि स्वयं नेता में परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन लाने की क्षमता हो। एक तरह से आत्म–शिक्षार्थी की भूमिका निभाने की क्षमता उनमें हों।

अभिप्रेरण का अर्थ एवं परिभाषा,अभिप्रेरण के सिद्धांत

प्रेरणा या अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन (Motivation) शब्द का अनुवाद है।मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम(Motum) धातु से हुई है, जिसका अर्थ मूव(Move) या इनसाइट टू एक्शन(Insight To Action) होता है। अतः प्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है या उकसाती है। अभिप्रेरणा को अनेक शब्दों द्वारा भी पहचाना जाता है अभिप्रेरणा के शब्द भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं किंतु इनका प्रयोग अभिप्रेरणा की जगह किया जाता है यह शब्द निम्न है

फ्रेण्डसन के अनुसार–" सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं।"

गिलफोर्ड के अनुसार–" प्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है जिस की प्रवृत्ति क्रिया को आरंभ करने या बनाए रखने की होती है।"

गुड के अनुसार–" किसी कार्य को आरंभ करने जारी रखने और नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं।"

लोवेल के अनुसार–" प्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है।"

जॉनसन के अनुसार–" अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक उचित मार्ग पर ले जाती है।"

वुडवर्थ के अनुसार–" अभिप्रेरणा का अर्थ है– योग्यता + प्रेरणा

इसके दो प्रकार होते हैं–

PTS JODHPUR

(1) आंतरिक अभिप्रेरणा (intrinsic motivation)
(2) बाह्य अभिप्रेरणा (extrinsic motivation)
(1) आंतरिक अभिप्रेरणा
व्यक्ति की इच्छाएं आकांक्षाएं रुचियां तथा विचार आदि जो उसे किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा हैं।
आंतरिक अभिप्रेरणा को प्राकृतिक अभिप्रेरणा या प्राथमिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है इनका संबंध जन्मजात अभिवृत्तियों से है।
आंतरिक अभिप्रेरणा निम्न प्रकार की होती हैं
(।) मनो दैहिक अभिप्रेरणा
यह अभिप्रेरणा मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित है इस प्रकार की प्रेरणा मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है।
जैसे दृ खाना–पीना,काम,चेतना, आदत, भाव एवं संवेगात्मक प्रेरणा आदि।

(ठ) सामाजिक अभिप्रेरणा

यह समाज के वातावरण में सीखी जाती हैं यह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जागृत होती हैं।
जैसे दृ प्रेम, सम्मान, ज्ञान,पद, नेतृत्व तथा यश आदि।

(ब) व्यक्तिगत अभिप्रेरणा

व्यक्तिगत भिन्नता ओं के आधार पर व्यक्तिगत अभिप्रेरणा भिन्न–भिन्न होती हैं।
जैसे – रुचियां, दृष्टिकोण,स्वधर्म, नैतिक मूल्य, खेलकूद, प्रतिष्ठा, आत्म प्रकाशन,अभिलाषाएँ आदि।

(2) बाह्य अभिप्रेरणा

वे सभी बाह्य कारक जैसे प्रोत्साहन, पदोन्नति,आर्थिक लाभ आदि जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति संतोष एवं आनंद की अनुभूति करता है, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती हैं।

यह अभिप्रेरणाएँ निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है–

(।) दण्ड एवं पुरस्कार
(ठ) सहयोग
(ब) लक्ष्य,आदर्श और सु उद्देश्य प्रयत्न
(क) परिपक्वता
(म) फल का ज्ञान
(थ) व्यक्तित्व का समर्पण
(ळ) भाग लेने के अवसर
(भ) व्यक्तिगत कार्य प्रेरणा और सामूहिक कार्य प्रेरणा
(प) प्रभाव के नियम
अभिप्रेरणा के स्त्रोत || sources of motivation
इसके चार स्रोत है–
(1) आवश्यकताएँ (needs)
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक आवश्यकताएं होती हैं।
इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर ही उसका जीवन सुचारु रुप से चलता है।
इस प्रकार आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति का प्रयास व्यक्ति को कार्य करने को प्रेरित करता है।
(2) चालक (Driver)
किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती है भूख शांत करने की आवश्यकता है।
भूख चालक को जन्म देती इस प्रकार अन्य आवश्यकताएं अन्य चालकों को जन्म देती है।
चालक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रिया करने को प्रेरित करता है।
(3) उद्दीपक (Incentive)
मनुष्य की कोई व्यवस्था किसी वस्तु से पूरी होती है। भूख की आवश्यकता भोजन से प्यास की आवश्यकता पानी से पूरी होती है, इन्हीं वस्तुओं को उद्दीपक कहते है।
प्रकार उद्दीपक कार्य करने के लिए प्रेरित करते है।
(4) प्रेरक (Motive)

PTS JODHPUR

प्रेरक किसी व्यक्ति के अंदर की वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं है,जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं।
प्रेरक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की क्रिया करने या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करते हैं।

इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

(1) सीखने का प्रमुख आधार अभिप्रेरणा है।
(2) लक्ष्य की प्राप्ति
(3) चरित्र निर्माण
(4) अवधान/ध्यान की प्राप्ति
(5) अनुशासन
(6) अध्यापन को रुचिकर बनाना
(7) रुचि और उत्साह की प्राप्ति
(8) सीखने की इच्छा जागृत होना

अभिप्रेरण की प्रकृति

(1) यह एक मनोशारीरिक तथा आंतरिक प्रक्रिया है।
(2) आवश्यकता की उपस्थिति में ये उत्पन्न होती है।
(3) ड्रेवर के अनुसार – "चेतन अथवा अचेतन प्रभावशाली क्रियात्मक तत्व है।"
(4) मॉर्गन के अनुसार – "अभिप्रेरणा क्रिया का चयन करना है।"
(5) यह जन्मजात तथा अर्जित होती है।
(6) यह शरीर के भीतर से जागृत होती है।
(7) अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था होती हैजो किन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने केलिए निर्देशित करती है

अभिप्रेरण की विधियाँ

Better motivation better learning प्रभावी अधिगम हेतु अभिप्रेरणा आवश्यक है। कक्षा में छात्र अगर अभिप्रेरित नही होगा तो वह अधिगम नहीं कर पायेगा।

अतः छात्र को अभिप्रेरित करने हेतु अध्यापक निम्न विधियों का प्रयोग कर सकता है–

(1) सामूहिक कार्य
(2) सफलता
(3) रुचि
(4) कक्षा का वातावरण
(5) खेल
(6) ध्यान
(7) प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता
(8)सामाजिक कार्यक्रम
(9) पुरस्कार

अभिप्रेरण के सिद्धांत

इसके निम्नलिखित सिद्धांत है

(1) मूल प्रवृत्ति का सिद्धान्त
प्रतिपादक— मैकडूगल, जेम्स, बर्ट
(2) मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त
प्रतिपादक— फ्रायड
(3) अन्तरनोद सिद्धान्त
प्रतिपादक— सी०एल०हल
(4) सक्रिय सिद्धान्त
प्रतिपादक— मेम्लो, सोलेसबरी, लिंडस्ले
(5) प्रोत्साहन सिद्धान्त
प्रतिपादक— बोल्स और कॉफमैन
(6) चालक सिद्धान्त

PTS JODHPUR

प्रतिपादक— आर०एस० वुडवर्थ
(7) मांग का सिद्धान्त / क्रमिक सिद्धान्त
प्रतिपादक— मैस्लो
(8) अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धान्त
प्रतिपादक— फ्रेड्रिक हर्जवर्ग
(9) आवश्कयता सिद्धान्त
प्रतिपादक— हेनरी मरे
(10) शरीर क्रिया सिद्धान्त
प्रतिपादक— मॉर्गन

सम्प्रेषण कौशल :—

सम्प्रेषणः— सम्प्रेषण की समुचित व्यवस्था के अभाव में कोई भी प्रशासकीय संगठन प्रभावी नहीं हो सकता। एक प्रबन्धक को प्रतिदिन अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों, उच्च अधिकारियों, कर्मचारी संघों, उपभोक्ताओं वितीय संस्थाओं, सरकारी अधिकारियों आदि से सम्पक्र बनाये रखना पड़ता है। संगठन अपने स्वरूप में अत्यधिक विकसित है, यह तभी माना जा सकता है जब उसके संचालन एवं नियंत्रण स्तर पर कार्य की एवं कार्य की प्रगति से सम्बन्धित सूचनाओं का निश्चित समय पर आदान प्रदान होता रहें।

प्रभावी सम्प्रेषणः—
सम्प्रेषण प्रबन्ध का एक आधारभूत कार्य ही नहीं, वरन् प्रबन्ध की प्रथम समस्या भी है। संगठन में आंतरिक/आपसी सहयोग एवं समन्वय की प्राप्ति के लिये सम्प्रेषण एवं सूचना का होना नितान्त आवश्यक है।
आज का युग संचार व्यवस्था का युग है। संचार साधनों के बलबूते पर ही हम एक विश्व की दिशा में अग्रसर हो रहें हैं।
विस्तृत शब्दों में सम्प्रेषण एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, तथ्यों, अर्थों, मनोभावना, सम्मतियों दृष्टिकोण आदि का आदान—प्रदान करते हैं। यह सन्देश दाता तथा सन्देश प्राप्तकर्ता के बीच अर्थ एवं भावना के साथ—साथ समझ का भी विनिमय है। सम्प्रेषण के अर्थ को निम्न चित्र के माध्यम से भी समझा सकता है

प्रेषक

सन्देश/विचार	माध्यम	समझ

किसी संगठन में संचार निम्नानुसार होता है—
प्रथम— आतंरिक संचार का सम्बन्ध संगठन तथा कर्मचारियों के मध्य के सम्बन्धों से होता है।
द्वितीय— ब्रहया संचार का सम्बन्ध जनता और संगठन के अभिकरणों के सम्बन्धों से होता है और इसे लोक सम्बन्ध कहते हैं।
तृतीय—अन्तर्वेयक्तिक संचार का सम्बन्ध अधिकरण के कर्मचारियों के अपने आपस के ही अन्तः सम्बन्धों से होता है।

Up Down Across

पुलिस विभाग में सम्प्रेषणः—
हमारे लोकतांत्रिक देश के किसी भी राज्य में पुलिस प्रशासन में उर्ध्व संचार की स्थिति निम्न प्रकार है—

महानिदेशक पुलिस
↓
अति. महानिदेशक पुलिस
↓
महानिरीक्षक पुलिस

PTS JODHPUR

↓
उप महानिरीक्षक पुलिस
↓
पुलिस अधीक्षक
↓
अति. पुलिस अधीक्षक
↓
पुलिस उप अधीक्षक
↓
पुलिस निरीक्षक
↓
उप निरीक्षक पुलिस
↓
सहायक उप निरीक्षक पुलिस
↓
हैड कानि. / मुख्य आरक्षी
↓
कानि. / आरक्षी

सम्प्रेषण का महत्व– सम्प्रेषण के महत्व को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है–

- आदेशों और निर्देशों का सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सही तथा स्पष्ट हस्तान्तरण करना।
- कर्मचारियों को संस्था की प्रगति से अवगत कराना।
- विचारों तथा सूचनाओं का स्वतन्त्र आदान प्रदान करना।
- संस्था की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों से कर्मचारियों को भली प्रकार अवगत कराना ताकि किसी भी कठिनाई के समय सम्बन्धित अधिकारी से तुरन्त सम्पक्र किया जा सके।
- संस्था के प्रबन्ध में कर्मचारियों से आवश्यक सूचनायें और सुझाव प्राप्त करना।
- मधुर मानवीय सम्बन्धों का निमार्ण करना ताकि संगठन में कुशलता बनी रहे।
- संगठन के कर्मचारियों को समय समय पर विकास सम्बन्धि जानकारी प्रेषित करना।
- कर्मचारियों की कार्य के प्रति इच्छा जागृत करना और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के प्रयास करना।
- संस्था के नवीनीकरण को स्वीकार करने के लिये कर्मचारियों को तैयार करना।
- एक निश्चित विचार प्रवाह का ढॉचा तैयार करना ताकि गलत धारणायें नहीं पनप पायें।

माध्यम के आधार पर प्रकार

1. मौखिक सम्प्रेषण
2. लिखित सम्प्रेषण

1. **मौखिक सम्प्रेषण** (Verbal Communication)

जहां वाणी अथवा शब्दों के उच्चारण द्वारा पारस्परिक रूप से सन्देशों का आदान–प्रदान किया जाता है तो इसे मौखिक सम्प्रेषण कहा जाता है। इसमें प्रेषक एवं, प्रेषित आमने–सामने रहकर अथवा वे किसी यंत्र के माध्यम से आपस में सन्देशों का विनिमय कर सकते है। यह सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। लारेन्स ऐप्पले का कथन है कि ''मौखिक शब्दों से पारस्परिक सम्प्रेषण करना सन्देशवाहन की सर्वोत्तम कला है।''

मौखिक सम्प्रेषण के कई ढंग हैं, जैसे– प्रत्यक्ष बातचीत, भेटवार्ता, संगोष्ठी, सभा, भाषण, विचार–विमर्श,रेडियो वार्ता, साक्षात्कार, सम्मेलन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि। विभिन्न अनुसंधानों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रबंधक वर्ग अपने कुल सम्प्रेषण समय का 75% समय मौखिक सम्प्रेषण द्वारा सन्देशों का विनिमय करते हैं।

मौखिक सम्प्रेषण के लिए निम्न तकनीक अपनाई जाती हैं–

PTS JODHPUR

- हाव–भाव, वाणी व शब्दों की अभिव्यक्ति के कारण यह सर्वाधिक प्रभावशाली होता है।
- अस्पष्टता या निवारण तत्काल हो जाता है।
- सन्देशों को शीघ्र पहुँचाया जा सकता है।
- प्रत्यक्ष सम्पक्र के कारण प्रतिक्रिया की जानकारी हो जाती है।
- यह लोचशील है जिसका आवश्यतानुसार समायोजन सम्भव है।
- भ्रमों, गलतफहमियों आदि का निवारण सुगमता से होता है।
- वाक–चातुर्य से परस्पर सहयोग बढता है।
- इसमें समय, धन व श्रम की बचत होती है।
- इसमें शब्दों के साथ– साथ चित्रों, चार्टों एवं संकेतों आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है।
- महत्वपूर्ण बिन्दुओं का स्पष्टीकरण करना सरल होता है।
- प्रेषक तथा प्रेषित के बीच प्रत्यक्ष सम्पक्र बना रहता है।
- कर्मचारियों में समूह भावना का विकास होता है।
- परामर्शीय प्रबन्ध को प्रोत्साहन मिलता है।

मौखिक सम्प्रेषण की बाधाएँः–

- इसमें दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक होती है।
- इसका सही–सही अभिलेख उपबन्ध न होने पर भावी सन्दर्भ देना कठिन हो जाता है।
- महत्वपूर्ण बिन्दू छूट जाने का भय रहता है।
- लिखित साक्ष्य का अभाव रहता है। प्रमाण जुटाना कठिन होता है।
- सोचने के लिये अपर्याप्त समय रहता है।
- मौखिक सन्देश से जिम्मेदारी की भावना नहीं आ पाती है।
- इस माध्यम से सन्देश में व्यक्तित्व एवं भावनात्मक बाधाएँ खड़ी जो जाती हैं।
- सभी कही गयी बातों को सुनना व समझना कठिन होता है।
- शब्दों का सही चुनाव न हो पाने पर सन्देश में अस्पष्टता आने का डर रहता है।
- अधिक लम्बे मौखिक सन्देश प्रभावहीन होते हैं।
- प्रेषक प्रेषिति के बीच भौतिक दूरी होने पर यह सम्प्रेषण खर्चीला पडता है।

2.**लिखित सम्प्रेषण** (Written Communication) –

लिखित सम्प्रेषण से आशय प्रेषक द्वारा किसी सन्देश को लिखित रूप से प्रेषण करने से है। लिखित सम्प्रेषण के लिए पत्र, पत्रिकायें, बुलेटिन, प्रतिवेदन, हैण्डबुक, मैन्युअल, सुझाव पुस्तिकाएँ, ग्राफ चित्र, परिपत्र, कार्य वृत्तान्त आदि का प्रयोग किया जाता है।

लिखित सम्प्रेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम है। अतः इसको तैयार करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कीथ डेविस के अनुसार किसी संवाद को लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिएः–

- सरल शब्दों व मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए।
- छोटे एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
- व्यक्तिगत सर्वनामों जैसे ''तुम'' और ''वह'' का प्रयोग करना चाहिए।
- उदाहरणों, दृष्टान्तों व चार्टों का प्रयोग करना चाहिए।
- छोटे–छोटे वाक्यों तथा अनुच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए।
- वाक्य की संरचना ''एक्टिव वाइस'' (Active-voice) – के प्रयोग पर आधारित होना चाहिए।
- अलंकारों एवं विश्लेषणों का न्यूनतम प्रयोग किया जाना चाहिए।
- विचारों की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष एवं तक्रयुक्त होनी चाहिए।
- अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

PTS JODHPUR

लाभ (Advantages) –

लिखित सम्प्रेषण के निम्नलिखित लाभ हैंः–

- स्पष्टता रहती है तथा इनका प्रमाण उपलब्ध रहता है।
- इन्हें भावी सम्दर्भ के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
- यह विस्तृत संदेशों के लिए उपयोगी रहता है।
- इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण आसान होता है।
- इसमें अर्थ की समानता रहती है।
- इसमें भाषा, व्यक्तिव्त एवं भावनात्मक बाधाओं पर सुगमता से नियंत्रण किया जा सकता है।
- परस्पर अविश्वास के समय यह उपयुक्त रहता है।
- यह अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। इसमें एक साथ अनेक व्यक्तियों को सूचना देना आसान होता है।
- भौतिक दूरी बाधक नहीं होती है।

दोष (Advantages) –

लिखित सम्प्रेषण के दोष निम्नानुसार हैंः–

- इसमें समय, धन व श्रम का अपव्यय होता है।
- प्रेषिति की प्रतिक्रियाओं का तत्काल ज्ञान नहीं हो पाता है।
- इसमें गोपनीयता भंग हाने का भय रहता है।
- इसमें भ्रमों व सन्देहों के निवारण में समय लग जाता है।
- लिखित सन्देश में अनेक औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं। सन्देश तैयार करने एवं भेजने में अधिक समय लगता है।
- प्रत्येक सन्देश को लिखना व भेजना सम्भव नहीं होता है। सन्देश के पहुँचने में भी संदेह रहता है।
- लिखित सन्देश का तत्काल मूल्यांकन करना सम्भव नहीं होता।
- लिखित सन्देश में सुधार करना जटिल होता है।

इन सब दोषों के उपरान्त भी लिखित सम्प्रेषण बहुत उपयोगी होता है। तकनीकी, औपचारिक एवं वैधानिक प्रकृति के सम्प्रेषण तो लिखित ही होते हैं। अधिक लम्बे, आँकडे युक्त सन्देशों के लिखित माध्यम से ही अपनाना पडता है। अनेक वैधानिक सभाओं की नियमावलियाँ, कार्यवली, सूक्ष्म आदि लिखित रूप से सम्प्रेषित किये जाते हैं।

<u>सम्प्रेषण की बाधायें</u>–(Barriers to Communication)

सम्प्रेषण में अनेक भौतिक मनोवैज्ञानिक एवं अर्थगत बाधायें उत्पन्न हो जाती हैं। भौतिक बाधायें वातावरण– शोरगुल, समय की कमी के कारण उत्पन्न होती है। मनोवैज्ञानिक बाधायें भावनाओं, पद स्थिति, वैयक्तिक विचार, सामाजिक मूल्यों आदि घटकों से सम्बन्धित है। अर्थगत बाधायें, प्रेषक एवं प्रेषिति की योग्यता, भाषा ज्ञान एवं अनुभव के कारण भी उत्पन्न होती है।

प्रमुख बाधायें निम्नगत हैं–

- संगठन संरचना
- भाषा सम्बन्धी
- तकनीकी बाधायें
- वैयक्तिक भिन्नतायें
- पद एवं प्रस्थिति
- भावनात्मक स्थिति
- आत्म विश्वास का अभाव
- मनोवैज्ञानिक भावना

PTS JODHPUR

- पदोन्नती की कामना
- उच्च अधिकारियों की उपेक्षा
- भौगोलिक बाधायें
- मानवीय सम्बन्ध विषयक बाधायें
- विकृत उद्धेश्य
- अर्द्ध श्रवण
- पूर्व मूल्याकंन
- स्त्रोत की विश्वनीयता
- समयाभाव
- अनौपचारिक सम्प्रेषण
- परिवर्धन का विरोध

Listening Skills

किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को श्रोता द्वारा निर्बाध रूप से जैसे कही गई है। उसी रूप में सुनना ही सुनने की कला है। ऐसा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ख्यल रखना चाहिए–

1. मन एकाग्रचित करके सुनें।
2. Eye Control बनाये रखना।
3. बीच में अनावश्यक रोक टोक ना करें।
4. वक्ता को अपनी बात पूरी करने दें।
5. प्रश्न या उतर देते समय बोलने से पहले सही सुनें, समझें।
6. समझ नहीं आने पर पूछें।
7. वक्ता की बात व कहने के तरिके पर गौर करें।
8. ऐसी किसी भी तरह के हाव–भाव ना प्रकट करें जिससे वक्ता स्वयं को असहय महसूस करें।
9. वक्ता को बिना बोले ही एहसास दिलाएं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं व समझ रहे हैं।

(ब) आसूचना एवं सुरक्षा :–

आसूचना का संकलन (Collection of Intelligence)

किसी लक्ष्य के रुप में गुप्त रुप से एकत्रित की गई सूचना जो लक्ष्य को भी ज्ञात नहीं हो इन्टैलीजेन्स कहलाती है। समयानुसार सत्य विश्लेषणात्मक समय रहते इसको उचित व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाए।

इन्टैलीजेन्स में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

1. समय पर **(Timely)** होनी चाहिए।
2. सत्य व सही होनी चाहिए।
3. विश्लेषणात्मक होनी चाहिए।
4. समय रहते उचित व्यक्ति के पास पहुंच जानी चाहिए।

वह सूचना जो गुप्त रुप से एकत्रित की गई है, विशिष्ट हो, सत्यापित की जानी चाहिए तथा उसकी ताक्रिकता होनी चाहिए।

इन्टैलीजेन्स को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. **खुला माध्यम** (OPNE CHANAL)
2. **गुप्त माध्यम** (SECRET CHANAL)

1. खुला माध्यमः–

हमें जितनी भी इन्टैलीजेन्स मिलती हैं उसका 80 से 85 प्रतिशत खुले माध्यम से प्राप्त होती है। इसके लिए विभिन्न माध्यम जैसेः– रेडियो, टी.वी., पत्र पत्रिकाऐं विभिन्न संगठनों के मांग पत्र, पम्पलेट्स, टेलिफोन डायरेक्टरी, प्रर्दशनी वार्षिक प्रतिवेदन, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के लेख, दीवार पोस्टर आदि काम में लिए जाते हैं।

2. गुप्त माध्यमः– हम 20 प्रतिशत इन्टैलीजेन्स गुप्त माध्यम से प्राप्त करते हैं।

PTS JODHPUR

बंद माध्यमों को हम दो भागों में बांटा जा सकता है।

1.**टेक्नीकल** (Technical)

2.**हुमेन स्किल** (Non Technical Skill) (Human Skill)

टेक्नीकल (Technical) इसमें आसूचना एकत्रित करने के लिए तकनीकी उपकरणों या साधनों की सहायता ली जा सकती है।

(अ) मोनिटरींग द्वारा –वायरलैस सैट द्वारा जिस चेनल या फ्रिकवेंसी पर वार्तालाप चल रहा है उसे सेट करके वार्तालाप सुना जा सकता है।

(ब) बगिंग डिवाईस –पार्टी या स्थान पर बगिंग डिवाईस लगाकर वार्तालाप सुन सकते हैं।

(स) टेलिफोन टेपिंग द्वारा– टेलिफोन वार्तालाप को टेप करके सुन सकते हैं।

(द) गुप्त फोटोग्राफी द्वाराः– गुप्त फोटोग्राफी करके।

(य) अन्तरिक्ष में घूमते सैटेलाईट व जासूसी की मदद से पृथ्वी की सारी स्थितियों का पता चल जाता है।

2. हुमेन स्किल (Non Technical Skill) (Human Skill)

(अ) ऐजेन्ट बनाकरः– विभिन्न क्षेत्रों में ऐजेन्ट भेजकर व किसी संगठन में फूट डालकर उसे अपना कर संगठन के बारे में सूचनाऐं एकत्रित करना।

(ब) डाक के अन्तावरोध द्वाराः– डाक को बीच में ही रोक कर पढ़ कर सूचनाऐं एकत्रित करना व पत्रों की फोटोकॉपी करना।

(स) संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ द्वाराः– परिचय के लिए प्रश्नावली बनाकर संदिग्ध व्यक्ति को उलझाकर सही बात उगलवाना।

(द) निगरानी करनाः– विभिन्न संदिग्ध व्यक्तियों व स्थानों की निगरानी द्वारा सूचना एकत्रित करना।

(य) गुप्त तलाशी द्वाराः– गुप्त रुप से तलाशी ली जाकर सूचनाऐं एकत्रित की जा सकती है।

(र) कोड मैसेज द्वाराः–कोड मैसेज द्वारा भी सूचनाऐं एकत्रित की जा सकती है।

(ल) कवर एडवरटाईजमेंट द्वाराः–इसके द्वारा भी सूचनाऐं एकत्रित की जा सकती है।

राजनैतिक आसूचना का संकलन

राजनैतिक सूचनाओं का संकलन सी.आई.डी.(इन्टे.) विभाग का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। यदि हम इतिहास में देखें तो यह कार्य हमारे देश में प्राचीन काल से ही होता रहा है। गुप्तकाल में यह व्यवस्था बहुत सुदृढ थी जब राज्य के गुप्तचर न केवल आंतरिक राजनैतिक सूचनाऐं अपितु पड़ोसी देश/राज्यों के बारे में भी राजनैतिक सूचनाऐं एकत्रित करते थे। समय के साथ यह व्यवस्था ओ मजबूत होती गई। वर्तमान समय में हमारे राज्य में यह कार्य हमारा विभाग करता है। यही कार्य केन्द्रीय स्तर पर भी होता है, जो आई.बी. द्वारा कहा जाता हो हमारा विभाग राजनैतिक सूचनाओं के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब हम बिन्दुवार देखते है कि राजनैतिक आसूचना में किस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती है उनका क्या महत्व है।

किस प्रकार की आसूचनाएं संकलित की जाती है।

1.आन्दोलनात्मक सूचनाऐं – Open & Secret सामान्य कार्य

2.नीतिगत सूचनाऐं – विपक्षी दलों की नीतियों की सूचना, सर्वे द्वारा

3.डोजियर – दो भागों में (17 बिन्दु प्रोफायी), नोट 6–12

4.सरकारी नीतियों के विरूद्ध राजनीति–जनता की प्रतिक्रिया/राजनैतिक दलों की प्रतिक्रिया, नीतियों को लागू करने से पहले तथा पश्चात भी हो रही प्रक्रियाऐं अतिक्रमण हटाओ अभियान, कर्मचारियों के प्रति नीतियों, कोई कानून लागू करने पर होने वाली प्रतिक्रियाऐं।

5.पार्टी की अन्दरूनी राजनीति की सूचनाऐं स्थानीय छवि, गुटबाजी सभी दलों में

6.आर्थिक साधनों के संबंध में – आर्थिक स्थिती कैसी है आय के स्त्रोत मकसद अराष्ट्रीय गतिविधियों तो नहीं है।

राजनैतिक सूचनाओं का संकलन किस प्रकार किया जाता है

PTS JODHPUR

1.धरना/प्रदर्शन आदि की कवरेज – यह खुला तरीका है। स्टाफ को (दो प्रकार की व्यवस्थाऐं) नियुक्त किया जाता है – निगरानी व कवरेज के लिए पृथक स्टाफ, प्रदर्शन की प्रकृति के आधार पर व्यवस्था की जाती है।
2.जनसभाऐं – निगरानी, कवरेज व सुरक्षा आदि
3.संपक्र व सोर्स द्वारा – गोपनीय सूचनाओं के लिए, महत्वपूर्ण होती है
4.समाचार पत्र/पम्पलेट्स – छात्र प्रदर्शन
5.अन्तावरोध – पहले अनुमति, गुप्त सूचनाएं मिलती है।

सूचना भेजने के साधन

1.डी.एस.आई. भाग पंचम राजनैतिक दल भाग द्वितीय साम्यवादी
2.एस.आर.
3.कवरेज रिर्पोट
4.सोर्स रिर्पोट
5.सिरटेप/फैक्स

राजनैतिक सूचनाओं का महत्व क्या है

1. सरकार की ऑख कान।
3.त्वरित सूचना।
4.सरकारी नीतियों की समीक्षा स्थानीय स्तर पर नीतियों का प्रभाव ओर प्रभाव जनता व दलों में।
5.कोई आन्दोलन होने वाला हो तो उसकी पूर्व जानकारी विपक्षी दलों की आन्तरिक गुटबाजी की समीक्षा – प्रतिद्वन्दी की कमजोरी का ज्ञान अपने लाभ में प्रयुक्त करते है।
6.सता दल में गुटबाजी की समीक्षा पार्टी पर नियंत्रण पार्टी की कमजोरी को दूर करने में सहायोग, समझ में नीचे से ऊपर तक नियंत्रण।
7.सत्ता ओर संगठन में तालमेल कायम करने में सहयोग

आपराधिक सूचना संकलन– किसी भी अपराध नियंत्रण व अनुसंधान में आपराधिक सूचना संकलन का बडा ही महत्व है पुलिस की सफलता व असफलता काफी हद तक सूचना संकलन पर निर्भर करती है। व सूचना संकलन के माध्यम से अपराधियों तक पहॅुचने में कामयाबी मिलती है। अपराधिक सूचना संकलन दो प्रकार से कि जाती है जो इस प्रकार है–
1–अपराध होने से पूर्व 2– अपराध होने के पश्चात ।

1–अपराध होने से पूर्व – यदि अपराध होने से पूर्व ही सूचना संकलन हो जाये तो अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। अपराध पूर्व सूचना संकलन हेतु पुलिस कर्मी को अपनी बीट क्षेत्र व पुलिस थाना क्षेत्र में विश्वसनीय लोगो से अच्छा सम्बंध रखना चाहिये व उन्हे अपराध से पूर्व सूचना देने के लिए प्रेरित करना चाहिये ।अपनी बीट में गॉव के मुखिया , चौकीदार , पंच –सरपंच व ग्राम सेवक आदि से सम्पक्र कायम रख कर अपराध पूर्व सूचना प्राप्त करनी चाहिये । ये लोग कानूनन रूप से भी बाध्य है। अपराध पूर्व सूचना संकलन से किसी के पास अपराधियो के आने –जाने का चोरी के माल लेने देने वालो का प्राकृतिक या अप्राकृतिक मोत का पता चलना या किसी व्यक्ति द्वारा अवैध शराब ,नशीले पदार्थ या अन्य कोई अपराध किये जाने की सूचना मिले तो तुरन्त प्रबंधक थाना को देनी चाहिये।

अपराध होने के पश्चात –अपराध होने के पश्चात पुलिस को निम्नलिखित से आपराधिक सूचनाएं प्राप्त हो सकते हैं।
1.पीड़ित व्यक्ति से
2.घटना स्थल से
3.चश्मदीद गवाह से
4.राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो से
5.तरीका वारदात ब्यूरो से
6.पुलिस थाना के रिकार्ड से
7.मुखबिर से

साम्प्रदायिक सूचना संकलन–साम्प्रदायिक अपराधों से पूर्व ही यदि इससे सम्बन्धित सूचनाओं का उचित प्रकार से संकलन हो जावे तो साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति को काफी हद तक टाला जा सकता है व

समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रह सकता है । साम्प्रदायिक सूचना संकलन के लिए पुलिस कर्मी को अपनी बीट क्षेत्र में सभी धर्मो के लोगों से सम्पक्र रखना चाहिए व विश्वस्त लोगों से साम्प्रदायिक आसूचनायें प्राप्त करनी चाहिए। उसे बीट क्षेत्र में काम करते समय किसी धर्म विशेष के प्रति निष्ठा नही दिखानी चाहिए वरन सभी धर्मो के प्रति समभाव रखना चाहिए ताकि उसे अधिक से अधिक सूचनाऐं मिल सकें। उसे पुजारी, मौलवी, फादर व अन्य धार्मिक स्थानों के प्रबन्धकों व धार्मिक नेताओं से सम्पक्र रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अवांछनीय गतिविधियां पायी जायें तो तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचना दें।उसे गुप्त रूप से बीट में नये आने वाले पुजारी, मौलवी आदि पर नजर रखनी चाहिए। किसी व्यक्ति की साम्प्रदायिक गतिविधियां नजर आने पर संयम व सूझबूझ से काम करें। उसे यह भी जानकारी रखनी चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई साम्प्रदायिक सामग्री का प्रकाशन या वितरण नहीं करे और ना ही कोई साम्प्रदायिक उत्तेजक भाषण दे, उसे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने वाले व पूर्व दोष सिद्ध व्यक्तियों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी व गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए।

सादा वस्त्रों में गुप्तचर कार्यों हेतु कानि. के कर्तव्य– आसूचना का संकलन पुलिस कार्य प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि पुलिस का प्रमुख कार्य अपराधों का निवारण रोकथाम व अपराधों में कमी लाकर जनता के जानमाल की सुरक्षा है अपराधों की रोकथाम तभी की जा सकती है जब अपराध के बारे में अथवा जानमाल की सुरक्षा से संबंधित संभावित खतरे का पुलिस अधिकारी को पूर्व में अनुमान प्राप्त हो जावे तो इस पूर्व अनुमान के संबंध में आवश्यक व प्रभावी कदम उठाकर अपराधों की रोकथाम व जानमाल की सुरक्षा की जा सकती है। पुलिस कार्य प्रणाली के दौरान पुलिस कर्मी की वर्दी पुलिस को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है जो पुलिस कर्मी की मौजूदगी को तुरन्त परिलक्षित करती है अर्थात पुलिस कर्मी की मौजूदगी छुपा नहीं पाती जबकी आसूचना का संकलन गुप्त रूप से एकत्रित की गई पूर्व जानकारी है इसके लिए अपनी पहचान छिपाकर कार्य करना अत्यावश्यक अर्थात गुप्तचर कार्यों हेतु पुलिस कर्मी को सादा वस्त्रों में तैनात किया जाकर बेहतर आसूचना का संकलन किया जा सकता है। पुलिस की आम कार्य प्रणाली के दौरान गुप्तचर कार्य व आसूचना के संकलन के लिए पुलिस कर्मियों को सादा वस्त्रों में तैनात किया जाता है। सादा वस्त्रों में तैनात पुलिस कर्मी के निम्न कर्तव्य हैं–

1.सादा वस्त्रों में तैनात पुलिस कर्मी को अपना पहनावा इस प्रकार रखना चाहिए की वह वहां की लोकल परिस्थिति के अनुसार हो।
2.पुलिसकर्मी के हावभाव व दाड़ी, मूँछे, व बाल इत्यादि इस प्रकार रखने चाहिए कि वह किसी भी दृष्टि से पुलिसकर्मी ना लगे।
3.गुप्तचर कार्यों के संकलन के लिए आम जनता के आवागमन के स्थान जैसे नाई की दूकान, पान की थड़ी, चाय की थड़ी आदि पर अपनी मौजूदगी रखकर आसूचना का संकलन करे।
4.संकलित आसूचना का उच्चाधिकारियों को प्रेषण अपनी पहचान बताकर करे।
5.उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।
6.जिस व्यक्ति या कार्य के बारे में आसूचना एकत्रित की जा रही है स्वयं को भी वहां के माहोल के अनुसार ढाले ताकि अपनी पहचान व उपस्थिति छुपाई जा सके।
7.सहनशीलता से काम लें।
8.किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित ना हों।

SOURCE (सूत्र एवम् सूत्र संचालन)

आसूचना एकत्रित करने के तरीके को सूत्र कहते हैं । सूत्र कोई भी हो सकता है जैसे अखबार, टी.वी. टेलीफोन या एजेंट ।

एजेंट – वह सूत्र है जो मानव है। एजेंट किसी भी आयु, धर्म, लिंग या जाति का हो सकता है। एजेंट या सूत्र वह मानव है जो किसी भी इन्टेलीजेंसी ऑफीसर के दिशा निर्देश में रहते हुए किसी टार्गेट के संबंध में गुप्त सूचना देता है। इन्टेलीजेंसी अधिकारी की सफलता या असफलता एक अच्छे एजेंट के चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर करती है। एजेंट का तात्पर्य वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में रहकर उसके लिये अस्थायी या स्थायी रूप में कार्य करें।

एजेन्ट के प्रकारः–

(i) **आकस्मिक –** आकस्मिक रूप से कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति अनुसंधान अधिकारी से मानसिक रूप से जुड़कर समय–समय पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाऐं देता है। उसे आकस्मिक सोर्स कहते हैं ।

PTS JODHPUR

(ii) **अस्थाई –** जब कोई आकस्मिक एजेंट कुछ समय तक लगातार संतोष जनक सूचनाऐं देता है तो उसे अस्थायी एजेंट का दर्जा दिया जाता है।

(iii) **स्थाई एजेंट –** जब अस्थाई एजेंट अधिक और विश्वसनीय सूचनाऐं देता है तो उसे स्थाई एजेंट का दर्जा दिया जाता है। तब उसे मासिक वेतन जो उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रदान किया जाता है।

एजेंट बनाते समय 3 T का ध्यान रखना चाहिए

T_1 = Task, T_2= Talent, T_3= Target

1. **Task** :– सर्वप्रथम जो टास्क दी गई हो (आई.ओ. को) वह टास्क आफेंसिव या डिफेंसिव उस का अध्ययन किया जाना चाहिए । (आई.ओ. को अध्ययन करना चाहिए)

2. **Talent** :– टास्क के बारे में जानने के बाद जिस संगठन के बारे में सूचना चाहिए । उनमें कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं उनकी सूची लेनी चाहिए।

3. **Target** :– अब जो सूची बनाई गयी है उस में से ऐसे व्यक्ति को छांटना चाहिए जो हमें उपयोगी व महत्वपूर्ण सूचनाऐं दे सके, वह हमारा टारगेट होगा ।

टारगेट चुनते समय तीन ए का ध्यान रखना चाहिए ।

1. एसेसिबिलिटी 2. अप्रोचेबिलिटी 3. ऑल राउण्ड सूटेबिलिटी

9.वीआईपी सुरक्षा

वर्तमान समय में जबकि मानव को कदम–कदम पर सुरक्षा का खतरा है। वी.आई.पी. और वी.वी.आई.पी. सुरक्षा का महत्व काफी बढ़ जाता है। आए दिन होने वाली राजनायिको की हत्या बम–विस्फोटों, तोड़–फोड़ की कार्यवाही आदि विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। सुरक्षा कार्य के लिए वर्तमान समय में एक अकेला व्यक्ति, संख्या या कुछ नहीं कर सकता अपितु इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। भारत सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से विशिष्ट व्यक्तियों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। विशिष्ट व्यक्तियों एवम् अति–विशिष्ट व्यक्ति वे लोग होते है जिनके कार्य या निर्णय या घोषणाओं का राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट महत्व होता है। हमारे समक्ष प्रश्न यह है उठता है कि वी.वी.आई.पी., वी.आई.पी. एवम् आई.पी. कौन–कौन व्यक्ति होते हैं तथा इन व्यक्तियों का सुरक्षा सम्बन्धी वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है।

Blue Book का अर्थ – भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित या घोषित वी.वी.आई.पी. तथा वी.आई.पी. व्यक्तियों के सुरक्षा के सम्बन्धों में कुछ दिशा निर्देशों का उललेख एक पुस्तक द्वारा किया जाता है, जिसे सुरक्षा की भाषा में Blue Book कहा जाता है। यह एक ऐसी निर्देशिका है जिसमें वी. आई.पी. के सम्बन्ध में सुरक्षा के आवश्यक प्रबन्धों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना केन्द्र व राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। यह पुस्तिका सभी सुरक्षा से जुड़े उच्चतम अधिकारियों के पास होती है। यह अतिगोपनीय दस्तावेज होता है इसे संबंधित अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में रखा जाता है । पद का चार्ज लेते समय व देते समय इस पुस्तक को आने वाले अधिकारी को संभलाया जाना अतिआवश्यक है।

वी.आई.पी. की 4 श्रेणियां –

(1) वी.वी.आई.पी. – अति विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा विदेशों से आने वाले उपरोक्त पद धारित व्यक्ति/राष्ट्राध्यक्ष इस श्रेणी में आते है। उक्त श्रेणी के लोगों की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय समय–समय पर परिस्थिति तथा हालात को देखते हुए निर्देश जारी करता है। सन् 1985 एस. पी.जी. का गठन श्रीमती इन्द्रा गाँधी की मृत्यु के बाद किया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एस0पी0जी0 द्वारा ही की जाती है।

(2) वी.आई.पी. – राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त केन्द्रीय एवम् राज्यमंत्री (केबीनेट स्तर), लोकसभा अध्यक्ष राज्य सभा का उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त एवम् राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष ।

(3) I.P.(महत्वपूर्ण व्यक्ति) – इस श्रेणी में वे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं जिनके कार्य एवम् निर्णय देश एवम् समाज के लिए हितकारी होते हैं जैसे–प्रमुख वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, ख्यातिनाम पत्रकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, सेना एवम् पुलिस के बड़े अधिकारी ।

PTS JODHPUR

(4) D.P (विशिष्ट व्यक्ति)– ऐसे विशिष्ट विदेशी राजनयिक या ऐसे विदेशी नागरिक जिनकी सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देश या आदेश प्रदान किये जायें, जो भारत में सरकारी कार्य से आते हैं।

Basic Principles of VVIP Security

Threat Accessment to VIP वी.आई.पी. को धमकी –

वी.वी.आई.पी. को क्या खतरा है? खतरे का प्रकार क्या है? उसका परिणाम क्या है? इत्यादि बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। किसी क्षेत्र विशेष में जहां वी.आई.पी. का कार्यक्रम है वहां किस प्रकार के आतंकवादी संगठन कार्यरत है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है ? उनके उद्धेश्य क्या है इन सब बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए । अतः सुरक्षा अधिकारियों को चाहिए कि वह अन्य एजेन्सियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करें । सुरक्षा व्यवस्था की अधिकतर जिम्मेदारी प्राप्त सूचनाओं पर होती है जोकि इन्टेलीजेन्स एजेन्सी प्रदान करती है। अतः इन्टेलीजेन्स एजेन्सी का पूर्ण सहयोग लेना चाहिए । स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आम सभा, सड़क यात्रा, हवाई यात्रा निवास आदि के दौरान संभावित खतरों को ध्यन में रखकर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए ।

ASL- Advance Security Liasion – ए0एस0एल का सुरक्षा के बुनियादी सिद्धान्तों में एक महत्वपूर्ण स्थान है । ए0एस0एल वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न एजेन्सियों के उच्चाधिकारी मिल बैठकर वी.वी.आई.पी. को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना का निर्धारण वी.वी.आई.पी. के मिनिट टू मिनिट प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए करते हैं । जिला विशेष शाखा राज्य विशेष शाखा, रेंज व अन्य जिले के पुलिस अधिकारी, आई.बी. के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जिसमें जिलाधीश, सार्वजनिक निर्माण विभाग बिजली बोर्ड के अधिकारी आदि वी.वी.आई.पी. के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ए0एस0एल रिपोर्ट तैयार करते हैं । इस मिटिंग में निश्चित की गई सभी बातें लेखबद्ध करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। जिसमें सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल तक का पूरा ध्यान रखा जाता है । आगे की सारी तैयारियां एएसएल रिपोर्ट के अनुसार ही की जाती है। ए0एस0एल में निर्धारित योजना सुरक्षा स्टॉफ को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । ताकि स्टॉफ उसी अनुसार व्यवस्था करवा सके । इसके लिए अलग से एक सुरक्षा दस्ता पहले से उस स्थान पर जहां वी.वी.आई.पी. को आना है भिजवा देना चाहिए । ताकि ये लोग ए0एस0एल के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था करवा सकें ।

एन्टी सबोटाज चैक

ASC- Anti Sabotage Check – किसी भी प्रकार की सम्भावित तोड़फोड़ की कार्यवाही को रोकने हेतु जो तलाशी प्रक्रिया अपनाई जाती है वह ए0एस0सी0 कहलाती है। ए0एस0सी0 में व्यक्ति, वस्तु, वाहन, हवाई जहाज, खाना व पीने का सामान आदि सभी की चैकिंग गहनता से की जाती है। उपरोक्त ए0एस0सी0 चैकिंग अत्याधुनिक उपकरणों एवं अनुभवी टीम द्वारा की जानी चाहिए। जिस स्थान की ए0एस0सी0 की जानी है, उसे सैक्टरों में बांटें एवं उनकी क्लॉक वाईज और एन्टी क्लॉक वाईज चैकिंग करनी चाहिए। स्नाइफर डॉग से भी ए0एस0सी0 करानी चाहिए और ए0एस0सी0 में बिजुअल चैकिंग पर ध्यान देना चाहिए।

Access Control -सुरक्षा के मौलिक सिद्धान्तों में एक्सेस कन्ट्रोल का सिद्धान्त प्रमुख स्थान रखता है। वी0आई0पी0 की जहॉ उपस्थिति है या होने वाली है उस क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्ति, वस्तुओं, वाहनों को नही पहुचने देना यानि उन्हें सही तरीके से चैक कर नियंत्रित करना ही एक्सेस कन्ट्रोल कहलाता है।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दौरान एक्सेस कन्ट्रोल लागू करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था सुरक्षात्मक हो, चुंकि वी.वी.आई.पी सुरक्षा में किस प्रकार की धमकियां है, इसकी पूर्व में जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होती है।

एक्सेस कन्ट्रोल के तरीकेः– एक्सेस कन्ट्रोल हेतु मुख्यतः निम्न तरीके अपनायें जाते हैः–

फिजीकल डिप्लॉयमेंट

तकनीकि सहायता (Technical Aids)

- एक्सप्लोसिव डिटेक्टर
- डीप सर्च मैटल डिटेक्टर (DSMD)
- डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर (DFMD)

PTS JODHPUR

- बम्ब डिस्रप्टर
- बम्ब जैकेट या बम्ब सुप्रैशर ब्लैंकेट
- शीशा (GLASS)

सुरक्षा पास (Security Passes)

फिजीकल डिप्लॉयमेंट का अर्थ है उपलब्ध जाप्ते को उपयुक्त तरीके से सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात करना है। इसमें वी0आई0पी0 की सुरक्षा हेतु तीनों सुरखा घेरे क्रमशः आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, और आईसोलेशन कॉर्डन में उपयुक्त जाप्ता लगाना।

तकनीकि तरीके में एक्सेस कन्ट्रोल हेतु वैज्ञानिक उपकरणों को उपयोग में लिया जाता है। जैसे– डी0एफ0एम0डी0, एच0एच0एम0डी0 आदि। इसके अलावा आगुन्तुकों की सुरक्षा स्टॉफ द्वारा फ्रीसकिंग भी की जाती है।

सुरक्षा पास वी0आई0पी0 से मिलने वाले एवं आगुन्तुकों को जारी किये जाते है। ये पासेज तीन प्रकार के होते है क्रमशः टेम्परेरी पास, परमानेंट पास, विजिटिंग पास। ये सुरक्षा पास जारी करने से अवांछित व्यक्तियों की स्वतः ही चैकिंग हो जाती है।

वी.आई.पी. की आमसभा–वी.आई.पी. की आमसभा में सभास्थल का चुनाव आयोजन से मिलकर तय किया जाना चाहिए, जिससे कि सभा में आने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर वह स्थान पर्याप्त हो, आने वाले वाहनों की पाक्रिंग की व्यवस्था सभा स्थल से ज्यादा दूरी पर ना हो सभा स्थल ऊँची इमारतों घने पेड़ों से घिरा हुआ न हो । सुरक्षा व भीड़ की संख्या को मध्यनजर रखते हुए स्थान का चयन किया जाये ताकि सुरक्षा के साथ–साथ कानून व्यवस्था की स्थिति भी नहीं बिगड़े ।

मंच (रोस्ट्रम) – वी.आई.पी. की सार्वजनिक सभा के लिए मंच का निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. के ए.ई.एन./जे. ई.एन. की देखरेख में किया जाएगा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण के दौरान उच्च क्वालिटि की निर्माण सामग्री प्रयोग में लाई जावे। मंच की साईज – 12'x12x8 होगी । मंच पर सीढीयां पीछे की ओर से चढाई जायेगी । जिनकी ऊँचाई 6-9" से अधिक नहीं होगी । सीढीयों के दोनो ओर व मंच पर लोहे के पाईपों की रैलिंग लगाई जानी आवश्यक है। मंच के निर्माण के दौरान मंच का पीछे हिस्से में दो पक्की ईंट की दीवार बनाई जायेगी अन्यथा कपड़े का पर्दा लगाया जायेगा जिसस वी.आई.पी. को पीछे से होने वाले संभावित खतरे से बचाया जा सके । मंच के ऊपर धूप वर्षा को मध्यनजर रखते हुए ऊपर से कवर किया जाना चाहिए ।

ध्यान रखने योग्य बातें :–

1.मंच का निर्माण सशस्त्र पुलिस गार्ड की मौजूदगी में किया जाये ताकि मंच निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के विस्फोटक/संदिग्ध वस्तु न छुपाई जा सके ।

2.वी.आई.पी. के आगमन से पूर्व मंच की एएससी करवाई जानी चाहिए ।

3.शाम के समय आयोजित की जाने वाली आमसभा में प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था करवाई जानी चाहिए । (जनरेटर)

4.मंच पर प्रकाश हेतु ज्यादा फोकस लाईटें न लगाई जाकर साधारण ट्यूब का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे की मंच पर बैठे वी.आई.पी. व अन्य को असुविधा न हो ।

5.मंच पर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या,उसका क्षेत्रफल व उसकी मजवूती के आधार पर ए0एस0एल0 प्लान के अनुसार रखी जाती है। यह संख्या ज्यादातर विषम संख्या होती है। मंच की सुरक्षा का कार्य सी0पी0टी0 द्वारा किया जाता है। एक्सेस कन्ट्रोल का सम्पूर्ण ध्यान रखा जाता है।

(डी) एरिया – मंच के सामने का वह क्षेत्र जो अर्द्धचन्द्राकार रूप से बनाया जाता है 'डी' एरिया कहलाता है । इसकी दूरी मंच से 45' से लेकर 60' तक (क्षेत्रानुसार) रखी जायेगी । डी एरिया में डबल बैरीकेडिंग की व्यवस्था की जायेगी जिससे की कोई भी सेक्टर में अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके । बैरीकेंडिंग हेतु बल्लियां बाहर की तरफ बांधी जानी चाहिए । डी एरिया जो नोमेन्सलैण्ड कहलाता हैं, परंतु कई बार वी.आई.पी. भीड़ से मिलने हेतु इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं ।

ध्यान रखने योग्य बातें :–

1.सुरक्ष के लिहाज से डी एरिया में लोहे की जाली लगाई जाये ताकि कोई व्यक्ति बल्लियों के नीचे से डी एरिया में प्रवेश ना कर सके या कोई भी वस्तु नीचे से नहीं फैंक सके ।

PTS JODHPUR

2.सुरक्षा के लिहाज से डी क्षेत्र में 24 सादा वस्त्रधारी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को बैठाया जायेगा जिनमें से 12 हथियारों के साथ तथा 12 बिना हथियार के होंगे । डी एरिया में तैनात समस्त सुरक्षा अधिकारी भीड़ की तरफ मुँह करके बैठेंगे ।

3.डी एरिया में तैनात सुरक्षाकर्मियों का दायित्व है कि जब कभी वी.आई.पी. स्ट्राबल जोन (डी–एरिया) में आकर भीड़ के मुताबिक होते है उस परिस्थिति में खड़े होकर वी.आई.पी. व भीड़ के मध्य मानवीय दीवार बनायेंगे तथा भीड़ द्वारा फेंके जाने वाले पत्रमालायें इत्यादि को रोकने का कार्य करेंगे एवं भीड व वी.वी.आई.पी. के मध्य पर्याप्त दूरी कायम रखेंगे ।

IV Sector Area –

डी– एरिया के पश्चात् का क्षेत्र सेक्टर में विभाजित किया जायेगा । सेक्टरों को 4 भागों में विभाजित किया जायेगा । सेक्टर में प्रवेश के लिए गैंटवे बनाये जायेंगे जिनकी चौड़ाई 5′ रखी जाएगी भीड़ की संख्या के आधार पर 1,2,3,4,5 सेक्टर बनाये जायेंगे । प्रथम सेक्टर की लम्बाई 50′ रखी जायेगी और बाद वाले सेक्टर की लम्बाई 75′ रखी जावेगी ।

ध्यान रखने योग्य बातें :–

1.प्रथम सेक्टर में महिलाओं, बच्चों, विशेष आमंत्रित सदस्यों एवं प्रेस के बैठने की व्यवस्था की जावे ।

2.प्रथम सेक्टर में प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी. लगाई जाएगी व उनके संचालन के लिए सादा वस्त्र में सुरक्षा अधिकारी लगाये जायेंगे।

3.सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक सेक्टर में सादा वस्त्रधारी पुलिस अधिकारी तैनात किये जायेंगे जो भीड़ में अवांछनीय गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे ।

4.मीडिया कवरेज के लिए तख्ते इत्यादि 'वाई' सेप में लगाये जायेंगे ।

5.सेक्टरों के आखरी छोर पर सभास्थल में प्रवेश करने वाले द्वारों पर यानि कि गैंटवें पर पर्याप्त मात्रा में डीएफएमडी लगाई जायेगी । आमजन को इनसे गुजारा जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर एच0एच0एम0डी0 का इस्तेमाल एवं फ्रिसकिंग की जायेगी ।

Vरियर डी–एरिया–

1.जिस प्रकार से मंच के सामने का फ्रंट डी एरिया कहलाता है उसी प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से मंच पीछे वाला क्षेत्र रियर डी एरिया कहलाता है, जिसे बैरीकेटिंग करके सुरक्षित किया जायेगा ।

2.रियर डी एरिया में वी.आई.पी. के लिए टेन्ट लगाया जाएगा जिसमें बैठने की, जलपान एवं शैचालय आदि की व्यवस्था की जायेगी। जलपान के सभी आइटमों का स्वास्थय विभाग द्वारा फूड सेम्पलिंग लिया जायेगा, टेलिफोन, लोकल, एसटीडी एवं हॉट लाईन की व्यवस्था की जायेगी ।

ध्यान रखने योग्य बातें :–

1.रियर डी एरिया में वी.आई.पी. को स्वागत करने वाले व्यक्तियों को सूची के अनुसार डीएफएमडी के जरिए चैकिंग करके प्रवेश दिया जायेगा । माला, उपहार इत्यादि, एचएचएमडी की मददसे चैक किये जावेंगे ।

2.एलाइटिंग प्वाइन्ट पर सादा वस्त्र में सुरक्षा अधिकारी तैनात किये जाने चाहिए ।

3.सुरक्षा के लिहाज से वी.आई.पी. टेन्ट पर एक सुरक्षा अधिकारी एवं वी.आई.पी. गेट पर भी एक सुरक्षा अधिकारी तैनात किया जाना चाहिए ।

4.रियर डी एरिया में वी.आई.पी. वाहन एस्कोर्ट–I तथा डॉक्टर के वाहन को प्रवेश दिया जायेगा। शेष कारकेड के अन्य वाहनों को बैरिकेटिंग से बाहर पाक्र करने की व्यवस्था की जायेगी ।

VI सभा स्थल पर माईक व्यवस्था–आमसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर (Public Address system) की व्यवस्था की जावेगी । मंच के दोनों ओर पर्याप्त ऊँचाई दूरी पर बल्लियों पर माईक लगाये जायेंगे ताकि सभा के अंतिम छोर तक आवाज सुनाई पड़ सके ।

ध्यान रखने योग्य बातें :–

1.मंच पर माईक का सम्पूर्ण कार्य सुरक्षा अधिकारी की मौजूदगी में किया जायेगा।

2.स्पीकरों का पूर्णरूप से एएससी किया जावे ।

3.सभा स्थल के पीछे की ओर कौन से पुलिस कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

4.सभास्थल पर पेयजल, एम्बयूलेंस, फायर ब्रिगेड चिकित्सक टीम की पूर्ण व्यवस्था की जावे ।

5.आमसभा में सामान्य जाप्ते के अलावा स्ट्राईकिंग रिजर्व की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

PTS JODHPUR

6.आमसभा स्थल के पास सेफ हाउस की व्यवस्था भी की जानी चाहिए इसकी एएससी एवं वायरलैस सैट लगाना चाहिए।

7.सम्पूर्ण आमसभा क्षेत्र विशेषकर मंच, फ्रंट डी एरिया, रियर डी एरिया, प्रथम सेक्टर सभास्थल के वी. आई.पी. भाग की एएससी टीम द्वारा गहनता से उपकरणों का उपयोग करते हुए एएससी की जावे ।

हेलीपेड–कभी वी.आई.पी. आमसभा के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करने के स्थान पर हेलिकॉप्टर से यात्रा करते हैं। हेलिकॉप्टर से यात्रा के दौरान हैलिपेड हेतु 100 मी. X 100 मी. का क्षेत्र होना चाहिए । जिस पर तीन हेलीकॉप्टर के लिए स्थान पर्याप्त हो । हेलीपेड का निर्माण बैरीकेटिंग भी पी.डब्ल्यू.डी. के ए0ई0एन0 / जे0ई0एन की देखरेख में किया जायेगा हेलिकॉप्टर उतरने वाले स्थान को मिट्टी नर्म होने की स्थिति में ईंटों से सोलिंग किया जाना आवश्यक है। हेलिपेड शस्त्र गार्ड की निगरानी में तैयार किया जायेगा । जो कि यात्रा समाप्ति तक सशस्त्र गार्ड की निगरानी में रहेगा । प्रत्येक हेलिकॉप्टर के मध्य की दूरी 30 मी. होनी चाहिए, जहां कि उन्हें लैण्ड करना है।

ध्यान रखने योग्य बातें :–

1.हेलिपेड का एएससी किया जाना चाहिए ।

2.यदि हेलिपेड व आमसभा स्थान पास–पास है तो ऐसी स्थिति में मंच की ऊपरी छत प्लाई वगैरह की लगाई जानी चाहिए ।

3.हेलिपेड पर कारकेट के पार्किंग की व्यवस्था बैरिकेटिंग के पास की जानी चाहिए।

4.वी.आई.पी., वाहन एवं एस्कोर्ट के अलावा कारकेड के अन्य वाहनों को हेलिकाप्टर के नजदीक नहीं जाने दिया जाना चाहिए ।

5.हेलिपेड एवं सभास्थल के मध्य रास्ते का एएससी किया जाना चाहिए ।

6.हेलिपेड पर अग्निशमन वाहन एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

7.यदि हेलिकॉप्टर में ईधन भरा जाना है, तो ऐसी स्थिति में ईंधन टैंक की व्यवस्था एवं भरे जाने वाले ईंधन के सेंपल लिया जाना आवश्यक हैं, इस हेतु एक राजपत्रित अधिकारी को पृथक से तैनात किया जायेगा ।

8.हेलिपेड पर वी.आई.पी. के स्वागत के लिए आने ाले व्यक्तियों की सूची ली जाकर चैक करके प्रवेश दिया जाना चाहिए ।

9.हेलिपेड के लैंडिंग क्षेत्र में 75 मी. तक 4मी., 150मी. तक 8 मी., 225 मी. तक 12 मी. एवं 300 मी. तक 16 मी. से ऊँची बाधा नहीं होनी चाहिए ।

10. हेलिपेड वाले क्षेत्र में ऊंचे भवन होने की स्थिति में सुरक्षा अधिकारी तैनात किये जाने चाहिए ।

11. हेलिपेड पर ड्यूटी हेतु तैनात समस्त स्टॉफ को ड्यूटी पास जारी किये जाने चाहिए ।

12. आमसभा व हेलिपेड एक ही परिसर में होने की स्थिति में वी.आई.पी., ई.–1, ई–2 व डीआर / पीएस का वाहन ही लगाया जाना चाहिए ।

13. हेलिपेड के प्रवेश मांग पर डीएफएमडी लगाया जाना चाहिए एवं संचालन हेतु सुरक्षा अधिकारी तैनात किये जाने चाहिए ।

14. हैलिकॉप्टर की सुरक्षा हेतु 1–4 की आर्मस गार्ड लगायी जानी चाहिए जो किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को नजदीक आने से रोकेंगे ।

PTS JODHPUR

मोटरकेड व्यवस्था

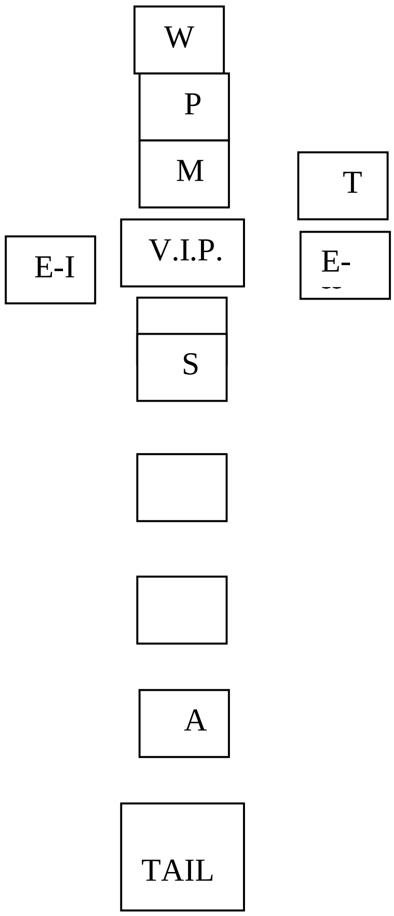

W – Warning Car/uniform staff with long range weapon, Inspector incharge 1km.
P – Pilot Car/ uniform staff eith shottage and long range weapon.
M – Press Car/One Security officer with shortage range weapon.
T – Technical Car (Jammer) आवश्यकतानुसार
V.V.I.P. Car
Escort First (SPG)
Escort Second
S_1 – Spair Car
S – Spair Car for V.V.I.P.
Staff Car/Party Car (आवश्यकतानुसार बढायी जा सकती है।)
पार्टी कार 1 से 4 तक (प्रत्येक कार 3/4 से ज्यादा नहीं)
A – Ambulence
TAIL – TAIL Car

कारकेड / मोटरकेड में सुरक्षा बॉक्स

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी गाडियों के काफिले में कुछ गाडियों को मिलाकर जो कि वी.वी.आई.पी. कार के आस पास चलती है एक सुरक्षा बाक्स बनता है।
जिसमें निम्न गाडियां होती है।

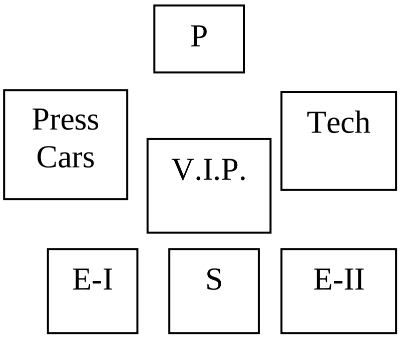

P – Pilot Car
Tech – Technical Car
Press Car
V.I.P. Car
E-I - Escort First Car
E-II - Escort Second Car
S – Spair Car

इस प्रकार दर्शाई गई गाडियां जो कि वी.वी.आई.पी. कार के चारों तरफ एक तरह से घेरा डालकर चलती है को कारकेड का सुरक्षा बॉक्स कहते है।

सुरक्षा की दृष्टि से उक्त बॉक्स में जो कार लगाई जावे वे सब एक ही रंग एवं मॉडल की होनी चाहिए।

प्रधनमंत्री जब किसी राज्य के दौरे पर आते हैं तो वहां के राज्यपाल/और मुख्यमंत्री भी स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आते है। चलते समय ये लोग अगर प्रधानमंत्री के साथ उन्ही की गाडी में नहीं बैठते है तो उनकी को भी मोटरकेड में स्थान दिया जाता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री की कार को कारकेड में स्टफ कार को जो कि निजी सचिव एवं चिकित्सक के लिए निर्धारित होती है के तुरन्त बाद स्थान दिया जाता है। इनकी बाकी गाडियों को टेलकार के बाद रखा जाता है। इस प्रकार

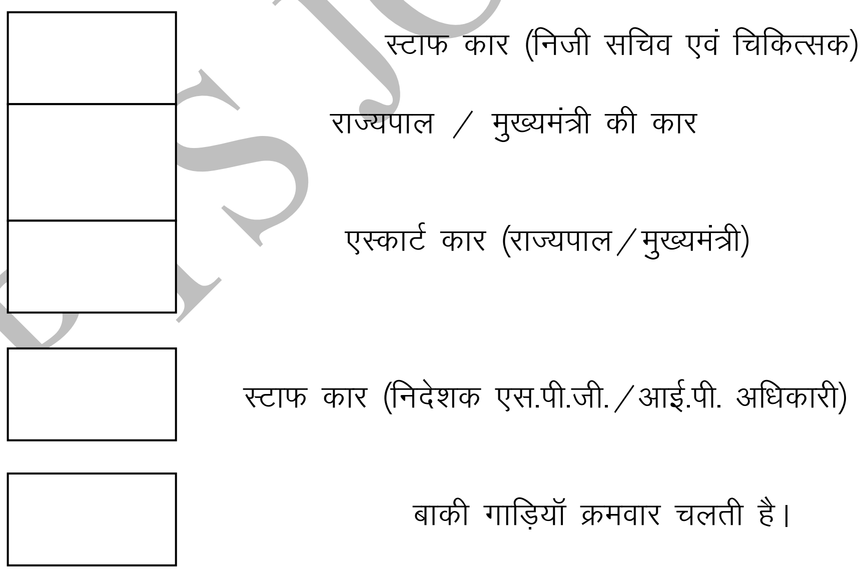

अगर राज्यपाल/मुख्मंत्री, प्रधानमंत्री की मोटरकेड उन्हीं की कार में बैठकर यात्रा करते है तो इनकी सभी गाडियां मोटरकेड में टेलकार के बाद बनाई जाती है

मोटरकेड/कारकेड में ध्यान रखने योग्य बातें

1.सभी गाडियां एक रंग तथा एक मेक (मॉडल) की होनी चाहिए।
2.सभी गाडियां राज्य मोटर गैराज (स्टेट पूल) से लेकर लगनी चाहिए।
3.कुशल चालकों को चुनना चाहिए तथा उनका चरित्र सत्यापन कराना चाहिए।

4.सुरक्षा बॉक्स मे लगी गाडियों में चालक पुलिस विभाग से या राजभवन/मुख्यमंत्री निवास से लगाना चाहिए।

5.सभी गाडियों को टेक्निकल जांच करवाने के बाद ही कारकेड में शामिल करना चाहिए।

6.कारकेड की सभी गाडियों का एन्टी सबोटाज चैक अच्छी तरह करवाना चाहिए।

7.कारकेड में गाडियों का स्थान गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही करना चाहिए।

8.कारकेड के प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी चालकों एवं सुरक्षा में लगे स्टाफ को अच्छी तरह ब्रीफ करना चाहिए।

9.कारकेड में संचार के साधन मय आपरेटर उपलब्ध होने चाहिए। पूरा कारकेड संचार माध्यम से जुडा हुआ होना चाहिए।

वार्निंग कार, पायलेट कार, मीडिया कार एवं एम्बुलैन्स कार तथा टेलकार में आपरेटर अवश्य बैठाने चाहिए।

10. मोटरकेड सभा स्थल आदि के पास ही पाक्र करना चाहिए ताकि सभी लोग गाडियों में समय रहते हुए बैठ सकें।

11. एलार्टिंग प्वाइंट पर एस्कार्ट कार नं :– 1 को हमेशा वी.आई.आई.पी. कार के आस पास रखना चाहिए।

12. मीडिया जीप में निर्धारित लोगों को ही बैठने देना चाहिए। केवल दूरदर्शन एवं फिल्म विजन के लोग जो कि प्रधानमंत्री के साथ यात्रा कर रहे हैं को ही स्थान दिया जाना चाहिए।

13. मोटरकेड प्लान निर्धारित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गाडियां ऑवर क्राउडेड न हों। सुरक्षा बॉक्स में जिनका स्थान निर्धारित है वो ही स्टाफ बैठता है अन्य लोगों को वहां स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।

14. पाइलेट कार के अलावा किसी भी कार द्वारा फ्लैश लाईट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

15. चालक दल को हॉर्न का प्रयोग चलते हुए कभी नहीं करना चाहिए।

16. कारकेड की सभी गाडियों के टैंक फुल होने चाहिए।

17. कारकेड के सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुरक्षा बॉक्स मे तैनात स्टॅाफ एवं चालक दल के साथ मिलकर आपातकालीन योजना पर विस्तृत बात कर सभी को अच्छी तरह समझा देना चाहिए।

18. प्राईवेट कार में लगे अधिकारी, हवाई अड्डा एवं सक्रिट हाउस आदि के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साथ ही यह भी मालूम होना चाहिए कि जरूरत पडने पर वी.वी.आई.पी. को किस रास्ते से सुरक्षित निकाला जा सकता है।

19. मोटरकेड/कारकेड के चालकों को कार की रफ्तार के बारे मे पूरी तरह से निर्देशित करना चाहिए। चालक को गाडी को प्रथम गीयर में 0–10 किमी /घण्टा की रफ्तार से, 10 से 25 किमी की रफ्तार से द्वितीय गीयर में, 25 से 50 किमी की रफ्तार में तृतीय गीयर में तथा 50 किमी से उपर की रफ्तार में टॉप गीयर में गाडी चलानी चाहिए।

20. आउटराइडर्स जो कि मोअर साइकिल पर सवार रहते है अगर कार केड में चलाए जाते है तो पूर्व में सुरक्षा ऐजेन्सियों को बातचीत कर निर्धारित कर लेना चाहिए कि सुरक्षा प्रदान करने में इनका कितना सहयोग रहेगा।

21. कारकेड के पास नम्बर में स्टीकर आदि स्पेयर कार के बाद लगाने चाहिए। ये पास कार के शीशे पर आगे – पीछे इस प्रकार चिपकाए जाने चाहिए ताकि चालक को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

22. जैसे ही वी0वी0आई0पी0 चलने के लिए कार केड की तरफ बढें सभी चालको को विशेष रुप से सुरक्षा बॉक्स के चालको को अपनी – अपनी गाड़ियों को स्टार्ट कर लेना चाहिए। वी0वी0आई0पी0 कार के चलते ही सभी कारों का चलना प्रारम्भ हो जाता है। सुरक्षा स्टाफ चलती गाड़ियों मे चढने – उतरने का अभ्यास होना चाहिए।

23. वी0वी0आई0पी0 की कार सुरक्षा के लिए अलग से अधिकारी सादा वस्त्र में नियुक्त करना चाहिए। जहॉ तक संभव हो एस्कार्ट न0 2 से ही ऐसे अधिकारी को लगाना चाहिए क्योंकि रास्ते में वी0वी0आई0पी0 के स्वागत के लिए खडी भीड को देखकर वी.आई.पी. रास्ते में उतरता है तो एस्कार्ट –2 नियुक्त कार की सुरक्षा के लिए अधिकारी तुरन्त कार को अपनी सुरक्षा में ले सकता है।

24- पूरे कारकेड की मय पूर्ण स्टाफ एक या दो रिहर्सल, यात्रा में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए कर लेनी चाहिए। रिहर्सल के दौरान एस्कार्ट नं –2 कमाण्डर जो कि पूरे कारकेड का प्रभारी

होता है, अगर कोई बात रिहर्सल के दौरान नोटिस करते है तो डि ब्रिफिंग में उस पर चर्चा करनी चाहिए। पूरे कार केड का अधिकारी पुलिस अधीक्षक स्तर का होता है जो कि एस्कार्ट कार नं. – 2 में मूवमैण्ट के दौरान साथ चलते हैं।

निवास स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था

निवास स्थान पर वी.आई.पी. सुरक्षा को तीन स्तर में बांटा जा सकता है।

1. Outer Corden
2. Inner Corden
3. Isolation Corden

(1) आऊटर कार्डनः– आऊटर कार्डन यानि कि चार दिवारी एवं बाहर की ओर की सुरक्षा व्यवस्था जो वर्दीधारी स्टाफ करता है। इस जाप्ते को राउण्ड द क्लॉक सिफ्टों में तैनात किया जाता है। इनके पास सोर्ट एवं लोंग रेंज के हथियार होते है। इस जाप्ते का मुख्य कार्य बाहर की सुरक्षा एवं अनाधिकृत व्यक्तियों को निवास स्थान के पास व अन्दर नही आने देना है।

(2) इनर कार्डनः– बाहरी चार दीवारी एवं आईसोलेशन कॉर्डन के मध्य क्षेत्र इनर कॉर्डन क्षेत्र कहलाता है। इनर कॉर्डन की सुरक्षा व्यवस्था में सादा वस्त्र धारी जाप्ता मय सोर्ट रेंज हथियार के तैनात किया जाता है। इनर कॉर्डन स्टॉफ का मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैः–

1.चार दीवारी के अंदर के समस्त स्थानों पर कडी नजर रखनी चाहिए।
2.वी.आई.पी. के पास सिफ्र अधिकृत व्यक्ति ही जाना चाहिए ।
3.रात को इनर कार्डन में आवश्यकता हो तो वर्दीधारी स्टाफ लगाया जाना चाहिए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो सके ।
4.स्टाफ चुस्त एवं होशयार होना चाहिए ।
5.सभी प्रवेश द्वारों पर विशेषकर रात को कड़ी सुरक्षा व निगरानी रखनी चाहिए ।
6.समस्त कमरों के रोशनदान, खिड़की बाथरूम आदि की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए ।
7.वहां पर तैनात पूरे स्टाफ (अन्य विभाग) की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए ।
8.प्रत्येक अपेक्षित आगंतुक को भी जांच की जाए एवं स्वागत अधिकारी द्वारा उनकी पहचान करा ली जाए ।
9.अपेक्षित आगंतुकों के शरीर एवं सामान की भी पूरी जांच की जानी चाहिए तथा सिफ्र वी.आई.पी. के चाहने पर ही उन्हें अंदर प्रविष्ट करने देना चाहिए।

(2) आइसोलेशन कार्डन – इसमें वी.आई.पी. के ठहरने का कमरा सम्मिलित है, इसमें सुरक्षा के लिए चुस्त एवं फुर्तीले सादा वस्त्रधारी पुलिसकर्मी लगाये जायेंगे जो कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति वी.आई. पी. तक जाने नहीं देंगे सुरक्षाकर्मियों को रबर सोल के जूते पहनने चाहिए जिससे वी.आई.पी. को बाधा न हो । सुरक्षाकर्मियों के साथ वी.आई.पी. का पीएसओ भी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात रहेगा। आईसोलेशन कॉर्डन में लगे सुरक्षा स्टॉफ के पास स्टैनगन, काबाईन आदि हथियार नही होगें।

सभामंच, निवास, कार्यक्रम स्थल एवं हवाई अड्डे की एंटीसबोटाज चैक एवं अन्य व्यवस्था

सभामंच –

1.मंच के निर्माण के प्रारंभ से ही उस पर पुलिस गार्ड लगायी जानी चाहिए ताकि उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ रखा ना जा सके ।
2.मंच एवं आस–पास के सभी स्थानों की एएससी कर लेनी चाहिए । माईक, स्पीकर, गमले, दरी आदि को ध्यान से चैक करना चाहिए ।
3.मंच पर अनाधिकृत व्यक्तियों को नहीं पहुंचने देना चाहिए ।
4.मंच के पीछे भीड़ नहीं होनी चाहिए ।
5.वी.आई.पी. के आवागमन का रास्ता आमलोगों की पहुंच से दूर होना चाहिए।
6.मंच के सामने बने डी सक्रिल मे किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
7.बिजली के तार आदि भी चैक कर लेने चाहिए माईक आदि ऑन करने चैक करने चाहिए ।

निवास –

1.वी.आई.पी. के कमरे की पूरी सावधानी से एएससी करनी चाहिए ।
2.कमरे के कोनों, बाथरूम, कनोड़, सोफा, बैड, अलमारी के नीचे व कारपेट आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

PTS JODHPUR

3.वी.आई.पी. कार का भी पूरी तरह से एएससी किया जाए ।
4.निवास स्थान के आस–पास की जगहों की विशेष तौर पर नये निर्माण या उभरी या दबी हुई भूमि की भी जांच करके देख लेनी चाहिए ।
5.नान के चारों ओर हेज आदि की भी जांच कर लेनी चाहिए ।

कार्यक्रम स्थलः–

1.पूरा मार्ग विशेषतः जहां पर कालीन बिछा हो, अच्छी तरह चैक करना चाहिए।
2.माईक, बिजली के तार चैक कर लेने चाहिए ।
3.व्यक्तियों की स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । फुली हुई जेबों व थैलों की तलाश अवश्य लेनी चाहिए ।
4.वी.आई.पी. के पास अनाधिकृत व्यक्तियों को नहीं जाने दिया जाये ।
5.वी.आई.पी. दीपक आदि जलाये तब वी.आई.पी. के विपरीत (उदघाटन आदि के अवसर पर) रखते हुए विशेष सर्तक रहना चाहिए ।

Duty's of P.S.O.

P.S.O.के कर्तव्य :–

1.पी.एस.ओ. को हमेशा सभा से पूर्व तैयार रहना चाहिए ।
2.अनजान व्यक्तियों को पास न आने दें ।
3.पब्लिक से मिलने सम हमेशा वी.आई.पी. के नजदीक रहें ।
4.पी.एस.ओ. को हमेशा सजग रहना चाहिये ।
5.खतरे के प्रति सचेत रहना चाहिए ।
6.वी.आई.पी. के साथ रहने वाले सामान की जानकारी
7.अगर वी.आई.पी. एरोप्लेन द्वारा जा रहा है तो पी.एस.ओ. की एडवान्स पहुंचने की व्यवस्था करें ।
8.खाद्य पदार्थों की जानकारी।
9.वी.आई.पी. की जानकारी के बिना ड्यूटी न छोड़ें ।
10. वी.आई.पी. के आराम करते समय विशेष परिस्थितियां व अलावा डिस्टर्ब न करें।
11. इर्म्पोटेन्ट नम्बर व एड्रेस की जानकारी रखें ।

P.S.O.के गुण :–

1.वी.आई.पी. का पी.एस.ओ. पढा लिखा होना चाहिए ।
2.व्यावहार कुशल होना चाहिए ।
3.कुशाग्र बुद्धि
4.पी.एस.ओ. ट्रेनिंग शुदा होना चाहिए ।
5.हस्ट पुस्ट यानी फिजिकल फिट होना चाहिए ।
6.हथियार चलाने की जानकारी होनी चाहिये ।
7.स्वस्थ हो (बीमारी से ग्रसित न हो)
8.वाक चातुर्य होना चाहिये ।
9.चालाक किस्म का होना चाहियें ।
10. वी.आई.पी. से सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी होनी चाहिए ।
11. वी.आई.पी. की आदतों की जानकारी होनी चाहिए ।
12. वी.आई.पी. के प्रोग्राम की जानकारी
13. ट्यूर या कार्यक्रम को पूर्व तैयार रहना चाहिए ।
14. पी.एस.ओ. को वी.आई.पी. के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए ।
जहां तक संभव हो संबंधित संगठन

X,Y,Z, Z+ केटेगरी –धमकियों और खतरों के आधार पर जिनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, उन्हें निम्न श्रेणियों में बांटा जाता है।

1.**X श्रेणी** :– कम खतरे की श्रेणी वाले वी.आई.पी. इसमें आते हैं अर्थात् ऐसे व्यक्तियों को आतंकवादी या दुश्मन लोग उनकी पार्टी या साथियों की मदद से नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो उन्हें चाहे

PTS JODHPUR

राजनीतिक, प्रशासनिक व अन्य मांगो को जबरदस्ती मनवाने के लिए नुकसान पहुंचाना चाहते हैं । अतः इनके यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुए तीनों शिफ्ट में एक–एक पीएसओ लगाये जाते हैं

2.**Y श्रेणी** :– यह अधिक खतरे वाली श्रेणी हैं। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनहें प्रशासनिक, राजनैतिक तथा मिशनरी से जुड़े हुए होते हैं जिन्हें किसी व्यक्तिगत बदले की भावना के कारण भारी धमकियां विरोधियों तथा आतंकवादियों से मिलती रहती हैं । इस कारण इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1–4 की गार्ड लगाई जाती है । इसके अलावा 2–2 पीएसओ तीनों शिफ्टों में लगाते हैं । एक निगरानी कर्ता Round the clock रहेगा ।

3.**Z श्रेणी** :– अत्यधिक खतरे वाले वी.आई.पी. इसमें आते हैं जिन्हें आपसी पार्टी और व्यक्तिगत बदले की भावना के कारण विरोधियों तथा आतंकवादियों की धमकियां मिलती रहती है। ऐसे वी.आई.पी. राजनैतिक प्रशासनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण संगठनों के पदाधिकारी होते हैं । अतः उनके 2–8 की आर्म्ड गार्ड लगाई जाती है। जो फ्रन्ट और रियर भागों को निवास स्थान पर कवर करती है। इसके अलावा 2 पीएसओ हर वक्त रहेंगे । एक के पास स्टेनगन तथा दूसरे के पास 9एमएम पिस्टल रहेगी । दिन में दो शिफ्ट में 1–3 की हथियार धारी एस्कार्ट रहेगी । इसके अलावा दो निगरानी कर्ता दिन में और एक रात्रि में रहेगा और एक्सेस कन्ट्रोल तथा एंटीसबोटाज चैक आवश्यक रूप से करावें जायेंगे ।

4.**Z+ श्रेणी** :– सर्वाधिक खतरे वाले वी.आई.पी. इसमें आते हैं, इन्हें बुलेट प्रूफकार उपलब्ध कराई जाती है। एस्कार्ट हमेशा लगाते हैं। 2–8 की फ्रंट और रियर गार्ड निवास स्थान पर लगाई जाती है। दो निगरानीकर्त्ता दिन में और एक रात्रि में लगाते हैं। एक्सेस कन्ट्रोल और एन्टीसबोटाज चेक आवश्यक रूप से करायी जाती है। अन्य कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता होवे तो उन्हें उपलब्ध कराई जाती है–

एक – एस्कोर्ट, एक वार्निंग, एक बी.पी. कार, एक जैमर कार ।

10. बी.डी.एस., डॉग स्क्वाड, एन्टी सबोटाज चैकिंग –

1. बी.डी.एस. –बम डिस्पोजल स्क्वाड राजस्थान में हर रेंज स्तर पर बनाया गया है। इनके पास बम एवं विस्फोटक सामग्री एवं खतरनाक रासायनिक पदार्थो की जॉच के लिए उपकरण रखें जाते है। उनकी मदद से एवं डॉग की मदद से जब भी कोई विस्फोटक घटना या वी.वी.आई.पी. एवं वी.आई.पी. का विजिट हो तो इस स्क्वाड की मदद से विजिट से पूर्व एवं किसी प्रकार की घटना घटित होने के बाद मदद ली जाती है। विशेष तौर से जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जावे वाले वी.आई.पी.की विजिट से पहले इस स्क्वाड से एन्टी सबोटाज करवाई जाती है।

2. डॉग स्क्वाड – डॉग स्क्वाड मुख्य रूप से वी.वी.आई.पी. विजिट के दौरान एवं विशेष प्रकार की घटना होने पर प्रशिक्षित डॉग की मदद ली जाती है जिससे किसी प्रकार का कोई एक्सप्लोजिव व दुर्गन्ध, सुगन्ध के आधार पर डॉग द्वारा पहचान कर अपराधी, वस्तु तक पहुॅचा जा सकता है। डॉग स्क्वाड में प्रशिक्षित डॉग अलग–अलग श्रेणी के होते हैः–

1.**एक्सप्लोजिव डॉग**– ये डॉग जहॉ कहीं पर एक्सप्लोजिव होने की सम्भावना होती है उस जगह बैठकर उसके बारे में एण्डीकेट करता है।

2 **ट्रेकर डॉग**– ये डॉग चोरी, नकबजनी, हत्या, डकैती, बलात्कार आदि घटना स्थल पर पहुॅचकर वहॉ पर स्थित भौतिक साक्ष्यों को सुंघकर उनसे मैल खाने वाली वस्तु तक पहुॅच जाता है तथा उसे सुंगन्ध दुगन्ध के आधार पर उस चीज को इण्डीकेट करता है। अभियुक्त का पता लगाता है।

3.**नाकोटिक्स डॉग**– ये डॉग स्वापक मादक पदार्थ (नारकोटिक्स पदार्थ) को उसे सूंघाने के बाद उसी वस्तु से मैल खाने वाली वस्तु को ढूढकर बता देता है।

नोटः– ये मान्यता है कि इंसान से कुत्ते में सूंघने की क्षमता 100 गुनी होती है तथा डॉग स्क्वाड जमीन में तकरीबन 3फीट तक गहराई तक सूंघने की क्षमता रखता है।

डॉग की किस्मः–

1.जर्मन शेफर्ड (सल्सेस)
2.बॉक्सर
3.डॉबर मैन पीक्यर
4.लेब्रा डॉग
5.गोल्डन रिट्रीबर
6.सेन्ट वेनार्ड (बेनार्ड)

7.फौजी
8.पोईन्टर
10. कॉकर स्पेनीयम

सुरक्षा उपकरणों की जानकारी –

NLJD नॉन लिनीयर जंक्शन डिटेक्टर
DSMD (डीप सर्च मेटल डिटेक्टर) गहराई सर्च मेटल डिटेक्टर
टॉर्च
HHMD (हैण्ड होल्ड मेटल डिटेक्टर)
एक्सटेंशन मीटर डिटेक्टर
DFMD (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर)
स्नापर डॉग

किसान, छात्र, श्रमिक व राजनैतिक पार्टियों के आन्दोलन –

1.**किसान आन्दोलन**–जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद कृषकों में शांति थी, परन्तु कुछ नेताओं ने अपने आप को किसानों का मसीहा बनाने के लिए कई कारणों से भोले–भोले किसानों को भड़का कर उन्हे आन्दोलनों में झोंक दिया है। इसमें खेती उत्पादनों के उचित मूल्य की मांग को लेकर, बिजली ,सरकार द्वारा भूमि की अवाप्ति ,अच्छे खाद बीज की मांग को लेकर प्रदर्शन, रास्ता रोको, घेराव आदि आयोजित होते है।

2. **छात्र आन्दोलन –** युवकों एवं छात्रों का देश निमार्ण में बहुत योगदान रहता है । आजादी से पूर्व महात्मा गांधी ने भी युवा वर्ग की शक्ति को पहचान कर उनका आह्वान किया था। लेकिन यह विडम्बना पूर्ण स्थिति है कि आजादी के के 67 वर्ष पश्चात भी भारत का युवा भटकाव की स्थिति में है और उनमें असंतोष की स्थिति बरकरार है। इसका दोष लार्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली को दिया जाता है। जिसने युवकों का बौद्विक विकास रोककर मात्र सफेदपोश क्लक्र तैयार किये थे। आज शिक्षण कार्य धार्मिक कर्त्तव्य न होकर एक पेशा एवं व्यवसाय बन गया है। जब से छात्र राजनीति की अवधारणा आर्विभूत हुई है तब से छात्र आन्दोलनों में भी तेजी आई है इन आन्दोलनों को राजनैतिक पार्टियों ने शह देकर आग में धी का काम किया है। छात्र आन्दोलन राष्ट्रीय राजनीति को भी सीधे तौर पर पर प्रभावित करते है।

छात्र आन्दोलन के दौरान व्यवस्था – छात्र आन्दोलन के दौरान व्यवस्था बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है । ऐसे आन्दोलन के प्रति कभी भी दमनात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए । यदि विद्यार्थी आन्दोलन हिंसात्मक होकर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो जान एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबंध करने चाहिए । बिना उचित कारण एवं बिना पर्याप्त पुलिस बल के बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके समझाइस का रास्ता अख्तियार करना चाहिए ।भारी मात्रा में विद्यार्थियों की गिरफतारी नहीं करनी चाहिए । अपराधी एवं समाजकंटकों पर नजदीकी नजर रखनी चाहिए ,क्योंकि ये लोग विद्यार्थियों की आड में अपने स्वार्थो की पूर्ति करते है ं अपराधी तत्व चोरी, मारपीट जैसे अपराध कर गुजरते है । छात्र आन्दोलन सामान्यतः शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित होते है । सरकार का इस संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार कर समस्या का समाधान करना चाहिए । विश्वविद्यालय प्रशासन,स्कूल प्रशासन आदि को साथ लेकर छात्र समस्याओं का समधान तलाशना चाहिए ।

3. श्रमिक आन्दोलन – भारत का मानव संसाधन का काफी भाग श्रमिक के रूप में है। श्रमिक अनपढ एवं गरीब तबके का वर्ग है, इसलिए समाज द्वारा सदैव उपेक्षित रहा है । अमीर वर्ग एवं समाज के उच्चवर्ग द्वारा हमेशा से ही श्रमिको का शोषण हुआ है और यहीं शोषण उनके असंतोष का सबसे बडा कारण रहा है । भारत में श्रमिक को एक वस्तु के रूप में माना जाता रहा है । जब चाहा तब हटा दिया और जब चाहा तब रख लिया । निम्न आय,कार्य की लंबी अवधि,असुरक्षा की भावना,अस्वस्थ कार्य की दशाएं ,गन्दे आवासीय परिसर,आदि बातें श्रमिक असन्तोष के कारण रहे हैं । आर्थिक जीवन की कठिराइयां,श्रमिकों के प्रति आर्थिक अन्याय , आदि ने श्रम आन्दोलनों को जन्म दिया है । इन कारणों से श्रमिकों एवं औद्योगिक घरानों के संबंधों में दरार और गहरी हुई है और श्रमिकों ने अपनी मांगो को लेकर आन्दोलनों का सहारा लिया है । औद्योगिक हडतालों से समाज के समस्त वर्गो की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है ।

PTS JODHPUR

श्रमिक आन्दोलनों के दौरान पुलिस कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्न प्रयास करने चाहिए ।

● श्रमिक आन्दोलन के दौरान पुलिस की भूमिका एक सेतु की होनी चाहिए । पुलिस को मध्यस्थ बनकर दोनों पक्षों के बीच सुलह का रास्ता निकालने में मदद करनी चाहिए । पुलिस दोनों पक्षों के प्रति तटस्त रहकर समस्या का व्यवहारिक समाधान ढूंढना चाहिए । पुलिस को रैफरी की तरह कार्य करना चाहिए ।

● श्रमिक हडताल को प्रारम्भ से ही नियंत्रित रखना चाहिए,विकराल रूप न ले सके। जब ऐसे आन्दोलन विकराल रूप लेकर हिंसात्मक हो जाते है तो तोडफोड,आगजनी ,आदि की घटनाएं हो जाती हैं

● श्रमिक आन्दोलनों के दौरान पुलिस को अपराधी एवं समाजकंटकों पर नजदीकी नजर रखनी चाहिए ,क्योंकि ये लोग इन आन्दोलनों की आड में आपराधिक गतिविधिया कर गुजरते है । इन लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए ।

● कई बार पुलिस अकारण ही विवादग्रस्त स्थिति में पहुंच जाती है । एक तरफ मालिक वर्ग शिकायत करता है कि पुलिस उन्हे कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं कर रही ,वहीं दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग कहता है कि पुलिस बल उनके साथ दमनकारी नीति अपना रही है और उन्हें आन्दोलन करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है ।

● पुलिस को मजदूर नेताओं से सम्पक्र करके उनके भावी कार्यक्रमों की जानकारी पूर्व में ही प्राप्त कर लेनी चाहिए और उसी के अनुसार पुलिस व्यवस्था करनी चाहिए ।

● श्रमिक आन्दोलन की सूचना पर कार्यपालक मजि0 आदि से सम्पक्र रखना चाहिए,जहां तक हो सके ये अधिकारी मौके पर ही रहें ।

राजनैतिक पार्टियों का आन्दोलन –

आन्दोलनों के दौरान भीड़ नियन्त्रण–

A कार्यवाही से पूर्व –

1.आन्दोलनकारी को अपराधी नहीं मानें जब तक वो शांत रहें।
2.विवाद के मूल कारण की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।
3.आन्दोलन के कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करें, जैसे –
(i) किस–किस क्षेत्र से लोग आयेंगे।
(ii) किसके नेतृत्व में आयेंगे।
(iii) किन–किन साधनों से कितनी संख्या में आयेंगे।
(iv) कहाँ पर आयेंगे व कब पहुँचेंगे।
(v) आन्दोलनकारी क्या करेंगे– पुतला जलायेंगे, घेराव करेंगे, रास्ता जाम करेंगे या ज्ञापन देंगे आदि।
4.सी.एल.जी. सदस्यों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत कर समझाईश का प्रयास करें। बातचीत में कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की प्रतिबद्धता तथा सख्त कार्यवाही के लिए तैनात होने की बातें भी प्रचारित करें।
5.साज–सामान पहनकर भीड़ की तरफ रूख करके खड़ा रहना चाहिए। हेलमेट, जाकेट, ढ़ाल व लाठी लिये एक साथ खड़े पुलिस बल का अच्छा प्रभाव पड़ता है और सुरक्षा भी रहती है।
6.भीड़ में अपनी व्यक्तिगत या विभाग की कोई राय जाहीर नहीं करें।
7.बल प्रयोग प्रभारी अधिकारी के आदेशानुसार करना है। गैस, लाठी व हथियार का प्रयोग प्रशिक्षण के दौरान सीखे हुए तरीके से करें।
8.संचार के साधन वायरलैस/मोबाईल साथ रखें।
9.भीड़ के साथ बातचीत में संयमित भाषा का प्रयोग करें और अनावश्यक बातचीत ना करें।
10. बॉडी लैंगवेज आक्रामक हो और आत्मविश्वास से भरपुर हो।
11. किसी को माध्यम बनाकर, आश्वासन देकर व उच्चाधिकारियों से वार्ता कराकर भीड़ को शांत करने का प्रयास करें।
12. कार्यवाही से पहले हेलमेट, जाकेट व अन्य सामान पहनना सुनिश्चित करें।
13. कई बार किसी नेता की रूचि पुलिस से बल प्रयोग करवाने में होती है ताकि माहौल बिगाड़ कर राजनीतिक लाभ उठाया जा सके जिसकी जानकारी साधारण आन्दोलनकारी को नहीं होती है इस

PTS JODHPUR

कारण पुलिस को उकसाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में संयम बरतें, किसी के उकसाने में नहीं आवें और अपना मानसिक संतुलन बनाये रखें।

B. कार्यवाही के दौरान–

1.साम्प्रदायिक व अनावश्यक उग्र भीड़ में बिना पक्षपात उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सख्त व त्वरित कार्यवाही करें।

2.पथराव या गालियाँ देने पर आक्रोशित ना होवें, ढ़ालों की दीवार बनाकर खड़े रहें और एक साथ आगे बढ़ें मगर बिखरें नहीं। बल प्रयोग तभी करें जब और कोई उपाय संभव नहीं हो तथा व्यक्तिगत सुरक्षा को सर्वोपरी समझें।

3.अधिकारी के आदेश पर ही कार्यवाही करें। जोश में आकर व्यक्तिगत बहादुरी नहीं दिखावें तथा संयमित रहकर एक दल के रूप में कार्य करें।

4.एक साथ आगे बढ़े, दौड़कर बिखरें नहीं, प्रभारी के संपक्र में रहें। भागती भीड़ का इतनी दूर तक पीछा नहीं करें कि अकेले भीड़ की पकड़ में आ जावें। अनावश्यक थके नहीं, एकजुट रहें। कहीं भी दो से कम जवान नहीं जावें। गलियों में मकानों की छतों से हमले का ध्यान रखें।

5.बल प्रयोग करते समय मुँह से हल्ला बोलने व पांव पटकने की आवाज निकालकर आक्रामकता का प्रदर्शन करें।

6.अपने आवेगों पर नियंत्रण रखें, प्रहार गुस्से में होकर नहीं करें व कमर से ऊपर चोट कतई नहीं मारें। गिरे पड़े किसी अकेले आन्दोलकारी को बहुत सारे जवान घेरकर नहीं मारें। मारते समय लाठी कंधे से ऊपर नहीं उठानी चाहिये। साईड से मारने पर गंभीर चोट की संभावना कम हो जाती है।

7.पकड़े गये व्यक्ति को नहीं पीटें व घायल को तुरन्त उपचार के लिए भिजवायें। कार्यवाही के दौरान पत्रकारों द्वारा खीचें जा रहे फोटो या वीडियोग्राफी में आने से बचने का प्रयास करें।

8.गैस फायर के समय हवा के रूख का ध्यान रखें, भीड़ नजदीक हो तो सीधे गैस सैल फायर नहीं करें, इससे गंभीर चोट लग सकती है।

9.प्लास्टिक प्लेट्स– रबर बुलेट का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि निशाना कमर के नीचे ही लगें। भीड़ नजदीक होने पर इससे गंभीर चोट लग सकती है।

10. गोली तभी चलायें जब अधिकारी/मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त कर लिया हो। पांव पर गोली चलावें तथा संकट की घड़ी में सबसे उग्र आन्दोलनकारी पर हिट फायर करें। अन्धाधुंध फायर कभी नहीं करें।

11. इस बात का ध्यान रखें कि बल प्रयोग के दौरान अनावश्यक लाठी प्रहार ना हो, किसी के गंभीर चोट न आये, बहुत दूर तक लाठी प्रहार करते हुए नहीं जायें। अनावश्यक फायरिंग नहीं करें।

12. विशेष ध्यान रखें कि सामान्यजन, बच्चों एवं महिलाओं को नहीं पीटे, पीछा करते हुए किसी दुकान या परिसर में नहीं जावें। तलाशी के दौरान अधिकारी साथ रहें।

13. पुलिस को यदि पीछे हटना पड़े तो एक साथ रहें, भागते नहीं दिखें। एक टुकड़ी भीड़ पर कार्यवाही का नाटक करे व उल्टे पांव चले। पुलिस दल के पलटते ही भीड़ दुगुने जोश से पीछे भागती है। लोटते समय साथियों का ध्यान रखे ताकि कोई पीछे ना छुटे।

14. बल प्रयोग के दौरान गंभीर रूप से घायल हुये व्यक्ति या मौत होने पर लाश को तुरन्त कब्जे में लेकर उपचार/अग्रिम कार्यवाही के लिए भिजवायें। प्रयास रहे कि लाश भीड़ के हाथ न लगे।

C- कार्यवाही के पश्चात् –

1.प्रभारी अधिकारी को कार्यवाही के दौरान प्रयोग किये गये एम्यूनेशन (गैस सैल, रबर बुलेट आदि) की जानकारी देगा। अन्य कोई जानकारी जैसे किसी आन्दोलनकारी का नाम पता चलता है तो प्रभारी अधिकारी को अवगत करावें। प्रयास रहे कि अधिक से अधिक नामों के साथ अधिक से अधिक प्रकरण दर्ज हो।

2.हालात सामान्य नहीं होने तक घटनास्थल छोड़े नहीं। उच्चाधिकारियों के आदेश पर ही घटनास्थल छोड़ें।

D- व्यावहारिक प्रशिक्षण–आउटडोर स्टाफ द्वारा बलवा परेड के प्रशिक्षण के दौरान भीड़ नियंत्रण के व्यावहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण करवाया जावेगा।

PTS JODHPUR

आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता सम्बन्धि सामान्य जानकारी –

आतंकवाद –शब्द '' आतंकवाद'' अंग्रेजी भाषा के शब्द ''टैरोरिज्म'' का हिन्दी अनुवाद है, जिसकी उत्पति अंग्रजी के शब्द Terror से हुई है। Terror (टेरोर) का अर्थ है भय देना, डराना, किसी व्यक्ति में भय पैदा करना या आंतक फैलाना। आतंक फैलाने के लिए किसी भी विधि या वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव में, आतंकवाद से तात्पर्य उस विधि या कार्य से है जिसका प्रयोग करके लोगों में भय की चरम सीमा पैदा करके उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार कसम करने के लिए मजबूर करें और वे इसके अनुसार कार्य करें। जिसके आधार पर सरकार को विवश करके हिसी विशिष्ट उद्देश्यों का पूरा करने के लिए सरकार या आम लोगों के विरूद्व हिंसा का प्रयोग करें, हत्या करे, तोड़–फोड करें या किसी व्यक्ति या किसी यातायात के साधन का अपहरण करें जिससे लोगों में भय या आतंक फैले और वे भय के कारण उस कार्य के अनुसार काम करने के लिए मजबूर हो जाएँ और राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के प्रति खतरा उत्पन्न हो तो उसे आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि प्रत्येंक व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य होता है तो गलत न होगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिकतर आतंकवादी हिंसा का मार्ग चुनते है। हिंसा के द्वारा वे सरकार एवं आम जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयास करते है ताकि उनके उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुका है। आधुनिक आतंकवाद की शुरूआत खाड़ी देशों से हुई थी। धीरे–धीरे यह उत्तरी आयरलैड, अल्जीरिया, चिल्ली व अनरू अफ्रीकी देशों तक फैल गया। आजकल कोई ऐसा देश शायद ही बचा हों जहॉ आतंकवाद का बोलबाला न हो। लगभग सभी देश आतंकवादी हिंसा के शिकार हो रहे है। भारतवर्ष इस समस्या से अछूता हो ऐसा नहीं है। हमारे देश में आतंकवाद की शुरूआत पूर्वोतर राज्यों से हुई नागालैण्ड, मिजोरम, असम, पश्चिमी बंगाल, आंध्रप्रदेश इत्यादि राज्यों का नाम लिया जा सकता है जो प्रारंभिक आतंकवाद के लिए उत्तरदायी है। तमिलनाडू एवं एवं पंजाब के अलावा जम्भू व कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियॉ जितनी तेजी से फैली है अन्य राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया। पंजाब व जम्भू–कश्मीर में तो उग्रवाद एवं आतंकवाद ने मानवता कीक सभी पराकाष्ठाओं को पार लिया। यूँ तो आतंकवाद की शुरूआत भारत में 1960 के दशक के प्रारंभ में ही हो चुकी थी लेकिन आतंकवाद का विकास 1980–90 के दशक में विशेष रूप से महत्वपूर्ण एवं निर्णायक साबित हुआ। दूसरे राज्यों की अपेक्षा पंजाब राज्य में आतंकवादी गतिविधियों कुछ भिन्न प्रकार की है।

भारत में आतंकवाद का इतिहास– आतंकवाद का साय इस सृष्टि पर हर युग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। आज कभी भी देश में इसकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। आतंकवाद न केवल एक राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। हमारा भारत वर्ष भी इससे अछूता नहीं है। विभिन्न राज्यों में जैसे पंजाब, असम, पश्चिमी बंगला, आध्रप्रदेश और तमिलनाडू आदि में आतंकवाद का उदाहरण प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है।

हमारा भारतवर्ष एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य में जनहित और असम चैन को महत्व दिया जाता है। चूंकि आज संपूर्ण विश्व में आतंकवाद की ज्वाला में दहक रहा है। अतः भारत में भी इसका पाया जाना स्वाभाविक है। आज के आतंकवाद के अन्तर्गत देखा जाता है कि जब कोई संगठन या ग्रुप अपनी सरकार नहीं बना पाता तो खिन्न होकर आतंकवाद का सहारा लेता है। लोगों में दहशत फैला कर मौजूदा सरकार की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर सरकार पलटने की कोशिस करता है। जन–सामान्य एवं सरकारी अधिकारियों के उपर इतने जुल्म ढाता है कि लोग मजबूर होकर उनकी मांगे मान लें। इन जुल्मों के तहत बहुत ही घिनौनी एवं आमनवीय हरकतें करता हैं

प्रारंभ में भारत, नागालैण्ड, मिजोरम, असम, पश्चिमी– बंगाल तथा आंध्रप्रदेश में व पिछले कुछ वर्षो में पंजाब में आतंकवादी हरकतें काफी तेज हो गई है।

(1) तमिलनाडू में (L.T.T.E.) संगठन लिब्रेशन टाईगर ऑफ तमिल इलम सक्रिय है। श्रीलंका में दो जातियॉ, सिंहली व तमिल में आपस में विवाद का परिणाम है। यह दोनों जातियां, हिन्दू जाति से संबंध रखती है। ये दोनों ही भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल और तमिल जाति भारत के दक्षिणी भारत से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व श्रीलंका में जाकर बसी थी।

(2) आतंकवादी आंदोलनः– भारत में वर्ष 1967 में पश्चिमी बंगाल व केरल में कम्यूनिस्ट पार्टियों की लैफ्ट–फ्रंट सरकारें थी तो नक्सलवादियों ने सोचा कि यह सरकारें उनका आंदोलन चलाने में सहायता देंगी परन्तु लैफ्ट –फरंट सरकारों ने सोचा कि यदि वह नक्सलवादी आंदोलन की और नकारात्मक रूप

अपनाया जिससे नक्सलवादी आंदोलनकारियों ने सोचा कि दोनों लैफ्ट फ्रंट सरकारें कांग्रेस (आई) को केन्द्रीय सरकार से सौदेबाजी कर रही है। नक्सलवादियों आंदोलकारियों ने सोचा कि जब तक शक्ति से राजनीतिक सत्ता हासिल न की तो तब तक सामाजिक सुधार अंसभव है इसलिए नक्सवादियों ने पारूमजुदार के नेतृत्व में हथियारबंद आंदोलन का बिगुल बजाया और पश्चिमी बंगाल के सीलिगुडी उपमंडल में एक विशाल सभा की जिसमें कुछ प्रस्ताव पास किए गएः–

(क) जागीरदारी प्रणाली समाप्त करना।
(ख) किसान समिति के माध्यम से भूमि का बंटवारा करना।
(ग) उपरोक्त कार्य के संचार के लिए हथियार बनाने की समिति को नियुक्त करना।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर इस संगठन को लागू करने का लक्ष्य सौपा गय–

(1) भूमिहिनों की भूमि दिलाना।
(2) भूमिधरों से हर प्रकार का नाता तोडना।
(3) खाद्य–पदार्थो का जब्त करना।
(4) भूमिधरों व समृद्व व्यक्तियों से उधार लिया पैसा व भूमि आदि को उन्हें वापस न लौटाना।
(5) आंदोलन का विरोध करने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिलाना है।
(6) सुलभ शस्त्र जैसे–बरछा, भाला, बंदूक आदि से लैस होकर, ग्रामीणों द्वारा सुरक्षा दस्ते तैयार करना।
(7) सामान्य – प्रशासन किसानों द्वारा चलाया जाना आदि।

इस आंदोलन भारत के बिहार, आंध्रप्रदेश, केरल, मद्रास, असम, मेघालय तथा अरूणाचल प्रदेश में भी चलाया गया।

इस आंदोलन द्वारा बुद्विमान व्यक्तियों की हत्या, पुलिस पर आक्रमण, सरकारी कर्मचारियों पर आक्रमण, हथियार छीनना, जेल तोडना आदि कार्य किए गए। दिनांक 28 दिसम्बर 1987 को गूथेडू जिला पूर्व गोदावरी में दिन के समय 15 अलगाववादियों द्वारा घात लगा नौ– वरिष्ठ अधिकारियों का अपहरण किया जनमें सात अधिकारी प्रशासनिक सेवाओं से बंदित थे तथा उनको रिहा करने के बदले अपने आठ साथी को भारत की रजामंदी, केद्रीय कारागार में बंद थे। छुडाने की मांग की थी। भारत सरकार ने पहले इन अपहरणेां के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा छानबीन कराने की योजना बना दी थी। परन्तु मना ना करके सकरार ने उग्रवादियों की मांगे स्वीकार कर ली।

<u>आतंकवाद का उद्देश्यः</u>– यद्यपि आतंकवाद का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता तो भी अधिकतर आतंकवाद का उद्देश्य राजनीतिक ही होता है। क्योकि अधिकतर आतंकवाद क्षेत्रीय समस्याओं पर आधारित होता है इसलिए इसके अनेक उद्देश्य हो सकते है। आतंकवाद का कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन अंततः आतंकवाद का आम उद्देश्य राजनीतिक ही होता है। इतिहास में अनेक उदाहरण भरे पडे है जो उद्देश्यों को सही ढंग से स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करते है। आमतौर पर आतंकवाद के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैः–

(i) अधिकतर आतंकवाद का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक होता है जैसे कि पाकिस्तान द्वारा आतंकावादियों को प्रशिक्षित करके भारत में भेजना और यहां पर सरकार के सम्मुख समस्याएॅ उत्पन्न करना इसका प्रमुख उदारहण है।

(ii) आतंकवाद फैलाने का विशिष्ट उदेश्य होता है जिसे पूरा करने के लिए वे हिंसात्मक तरीके अपनाते है और सरकार व आम जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार काम करने के लिए बाध्य करने के लिए प्रयास करते है।

(iii)आतंकवाद का मुख्य उदेश्य दुश्मन की शक्ति को नष्ट करना या कम करना भी हो सकता है। लेकिन अधिक शक्तिशाली दुश्मन के विरूद्व ऐसा करना अनुचित, हानिकारक एवं व्यर्थ साबित होता है। जैसा कि ग्राईबस ने इसका प्रयोग अंग्रेजी फौजों, पुलिस और गुरिल्ला के विरूद्व किया था।

(iv)आतंकवाद का उदेश्य लोगों में दहशत पैदा करना भी हो सकता है ताकि आतंकवादियों द्वारा अपने उदेश्य को पूरा किया जा सके और अपनी प्रभावशीलता को बनाए रख सकें।

(v) आतंकवाद का उदेश्य पृथक प्रांत या राज्य की स्थापना करना भी हो सकता है क्योकि पंजाब में किस प्रकार का आतंकवाद विद्यमान है उसमें आतंकवादियों का मूल उदेश्य ''खालिस्तान'' राज्य की मांग प्रमुख उदेश्य है जो पाकिस्तान की शह पर चला रहा है।

PTS JODHPUR

(vi)आतंकवाद का उदेश्य एक वर्ग–विशेष के लोगों को विशिष्ट क्षेत्र से निष्काषित करना भी हो कसता है जैसे कि असम समस्या इसका प्रमुख उदाहरण है। असम राज्य की आर्थिक स्थिति पर उन व्यक्तियों ने नियंत्रण कर रखा है जो दूसरे राज्यों से वहां जाकर बसे है। इसलिए वहां के स्थानीय लोग उन्हें वहां से खदेडने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहे है।

(vii) आतंकवाद का उदेश्य सरकार को गिराना या गुमराह करना भी हो सकता है। क्योकि अधिकतर, आतंकवाद का उदेश्य राजनीतिक ही होता है।

(viii) कई बार आतंकवाद को फैलाने का मुख्य उदेश्य आतंकवादी गिरोहों का गठन करना व उनकी शक्ति व संख्या में वृद्वि करने के अलावा वर्ग–विशेष के लोगों का सफाया करना होता है जो उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते है तथा अपने संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी आतंकवाद का ही सहारा लिया जाता है।

(ix)कभी–कभी आतंकवाद सैन्य या आर्थिक उदेश्यों की प्राप्ति के लिए फैलाया जाता है।

(x) आतंकवाद का उदेश्य बदले की भावना भी हो सकता है क्योकि यदि कोई नागरिक पुलिस द्वारा बार–बार तंग किया जाता है या किसी आतंकवादी गिरोहद्वारा डराया–धमकाया जाता है तो बदले की भावना से भी आतंकवाद का सहारा लिया जा सकता है। जैसा कि सन 1934 में स्टालिन के मित्र करोव की हत्या करने पर स्टालिन ने काफी विशाल प्रत्यांतक (Counter Terroism) का सहारा लिया था जो आज भी निर्दयता और क्रूरता की एक प्रमुख मिसाल है।

आतंकवाद के प्रकार – आतंकवाद को दो भागों में बॉट कर अध्ययन किया जा सकता है जो इस प्रकार हैः–

(i) **विशिष्ट आतंकवाद या चुना हुआ आतंकवाद**– जब आम लोगों में चरम सीमा पर दहशत फैलाना हो या सरकार को तख्ता पलटना हो या सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रमों को छिन्न–भिन्न करना हो तो ऐसी आतंकवादी कार्यवाहियों का निर्धारण पहलेक ही सोच–समझकर योजनाबद्व तरीके से कर लिया जाता है। ऐसी कार्यवाहियों में अधिकतर ट्रेड यूनियन, पुलिस, फौज एवं सिविल के उच्चाधिकारियों की हत्या करना, इत्यादि शामिल है। आतंकवाद फैलाने के लिए प्रायः अत्याधुनिक हथियारों, बसों विस्फोटकों, अफवाहों एवं बारूद्वी सुरंगों का प्रयोग किया जाता है।

(ii) **सामान्य आतंकवाद या नर–संहार संबंधी आतंकवाद**– सामान्य या नर–संहार संबंधी आतंकवाद से तात्पर्य हिंसात्मक कार्यवाहियों से है जिनमें आम जनता में दहशत या आतंक फैलाने के लिए सामूहिक या व्यक्तिगत हत्याएँ करने के लिए की जाती है। इसमें कोई चुनाव या भेदभाव नहीं होता बल्कि आम लोगों की हत्या की जाती है चाहे वे पुरूष हों या स्त्री, बच्चे हो जवान व बूढे। चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित क्यों न हों। सभी की हत्या करने के लिए एक ही तरीका अपनाया जाता है। जैसे सिनेमागृहों, होटलों, कार्यालयों, धार्मिक केन्द्रों, बस अड्डों , रेलवे स्टेशन या रेलगाडियों पर किए गए हमले या विस्फोट इस बात का एक पक्का सबूत है। आतंकवादियों का केवल एक ही उदेश्य होता है कि आम जनता को डर और आतंक की चरम सीमा पर पहुँचाया जाए ताकि वे अपने उदेश्य में सफल हो सकें।

आतंकवाद के कारण–आतंकवाद को कोई एक निश्चित कारण नहीं है बल्कि आतंकवाद के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हैः–

(1) राजनीतिक कारण
(2) आर्थिक कारण
(3) धार्मिक कारण
(4) मनोवैज्ञानिक कारण
(5) अन्य कारण।

आतंकवाद फैलाने की विधियाँ या तरीके – यद्यपि किसी अपराधी या आतंकवादी की भावी काल्पनिक उड़ानों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पता लगाना काफी मुश्किल है लेकिन आतंकवाद फैलाने के लिए किसी भी हथियार या विधि या तरीके का प्रयोग किया जा सकता है। साधारणतया आतंकवाद फैलाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता हैः–

(1) मनोवैज्ञानिक विधियाँ (2) शारीरिक विधियाँ (3) अन्य विधियाँ

PTS JODHPUR

भारतीय आतंकवादी संगठन

(i) मिजोरम–मिजो नेशनल फ्रंट, असम लिब्रेशन फ्रंट, असम ट्राईबल टाईगर

(ii) आंध्रप्रदेश– नक्सलवादी

(iii)तमिलनाडू–तमिल टाईगर्स फोर्स, एंटी तमिल टाईगर्स फोर्स

(iv)पंजाब–बब्बर खालसा, दमदमी टकसाल, दशमेश रेजीमेंट, अखिल सिख छात्र संघ,खालिस्तान नेशनल आर्मी, खालिस्तान लिब्रेशन भिंडरावाला टाईगर्स फोर्स।

साम्प्रदायिकता– धार्मिक संगठन ने अपने धर्म विशेष की मान्यताओं पर कट्टररूख अपनाते हुए अपनी–अपनी मान्यताओं पर अडिग रहते है तथा अपने समुदाय विशेष में अपना रूतबा कायम रखने के लिए इन समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आवश्यकता पडने पर भड़काते है तथा उनके माध्यम से अपनी उपस्थिति व रूतबा प्रदर्शित करते है ऐसे धार्मिक संगठनों द्वारा समय विशेष पर धार्मिक उन्माद भडकाने से कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थिति उत्पन्न होती है क्योकि इस समय विशेष पर लोगों का धर्मिक उन्माद चरम पर होता है व ऐसी स्थिति में समुदाय विशेष के लोग किसी भी स्थिति तक जा सकते है अतः कानून व्यवस्था की ऐसी गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का आवश्यक सुरक्षात्मक, ऐहतियाती, निरोधात्मक उपाय काम में लिये जाने चाहिए। जिनका ब्यौरा निम्न है– ऐसा स्थान जहां पर धार्मिक उन्माद भडका है उस स्थान की भौगोलिक, सामाजिक व सामरिक स्थिति का अच्दी तरह से अध्ययन कर पुलिस बल का डिप्लोयमेंट करें व अन्य आवश्यक उपाय किये जावेः–

(1) साम्प्रदायिक दंगे भडकाने वाले असामाजिक तत्वों की सूची पूर्व से ही तैयार रखकर दंगे भडकाने की सम्भावना होने पर उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जावे।

(2) पूर्व में हुये दंगों का गहराई से अध्ययन कर दंगों से संबंधित संवेदनशील क्षेत्र का चार्ट व पूर्ण जानकारी रखे ताकि विभिन्न समुदायों के त्यौहारों पर निगरानी रखी जा सके।

(3) दंगो की सम्भावना को कम करने के लिए मौहल्ला स्तरपर शांति समितियों का गठन कर समय–समय पर मीटिंग लेते रहना चाहिए व इस समिति के सदस्यों को उस क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए।

(4) दंगे भडकने की सम्भावना होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 {163 BNSS}का प्रयोग करना चाहिए।

(5) अफवाहों को फैलने से रोकने की पूरी व्यवस्था की जावे व अफवाह फैलाने वालों पर सख्य कार्यवाही की जानी चाहिए।

(6) गुप्त सूचचाएं एकत्रित कर इसके अनुरूप कार्यवाही की जावे व सूचना तंत्र को एवं संचार तंत्र को मजबूत बनाया जावे।

(7) जलसे एवं जुलूसों का सुरक्षित रास्ता तय करें व पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करें।

(8) पैट्रोलिंग व गश्त की व फिक्स पिकेटस लगाये जावे।

(9) पर्याप्त जाप्ता मय दंगा निरोधक उपकरणों के मौजूद रखे।

धार्मिक संगठनः– भारत में अनेक धार्मिक संगठन अपना–अपना कार्य कर रहे है जिनका विवरण इस प्रकार हैः–

1 आनंद मार्ग।

2 आल इण्डिया मुस्लिम लीग।

3 सिमी।

4 जे.के.एल.एफ.

5 इण्डियन मुजेईदीन

6 तबलीगी जमात।

7 हिजबूल मुजाईदीन

8 जमाते इस्लामी।

9 तहरीके तालिबान।

10 ताहरिके उल्लेमा।

11 हुरियत कान्फ्रेंस

PTS JODHPUR

साम्प्रदायिक तनाव,दंगों के नियंत्रण में पुलिस के कर्त्तव्य एवं भूमिका – साम्प्रदायिक हिंसा व दंगे किसी भी सभ्य समाज के लिये एक चुनोती है क्योकि इससे न केवल विभिन्न धर्मो,जातियों एवं समुदाय के लोगों में तनाव व वैमनस्यता बढती है वरन आपसी सौहार्द और राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है दंगो को रोकना व राज्य में कानून का शासन स्थापित करना पुलिस का प्रमुख कर्तव्य है क्योंकि दंगों के दोरान हत्या,आगजनी,लूट पाट,पूजा स्थलों का अपमान व तोड़फोड़ तथा महिलाओं के बलात्कार जैसी घृणित घटनायें होती है। जिन्हें तुरन्त नियंत्रित कर कानून व्यवस्था कायम करना पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दंगो को नियंत्रित करने में पुलिस को निम्न उपायों को काम में लेना चाहिए

1. दंगो से पूर्व सुरक्षात्मक उपाय,
2. दंगो के सुरक्षात्मक उपाय एवं
3. दंगों के बाद सुरक्षात्मक उपाय।

1. दंगों से पूर्व सुरक्षात्मक उपाय–

(क) साम्प्रदायिक दंगें भड़काने वाले असामाजिक तत्वों की सूची पूर्व से ही तैयार रखकर दंगे भड़कने की सम्भावना होने पर उन्हें पहले ही गिरफतार कर लिया जावे।

(ख) पूर्व में हुये दंगो का गहराई से अध्ययन कर दंगो से संबंधित संवेदनशील क्षेत्र का चार्ट व पूर्ण जानकारी रखें ताकि विभिन्न समुदायों के त्यौंहारों पर निगरानी रखी जा सके

(ग) दंगो की सम्भावना को कम करने के लिये मौहल्ला स्तर पर शांति समितियों का गठन कर समय–समय पर मीटींग लेते रहना चाहिए व इस समिति के सदस्यों को उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उतरदाइयी बनाना चाहिए।

(घ) दंगे भड़कने की सम्भावना होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का प्रयोग करना चाहिए।

(ड़) अफवाहों को फैलाने से रोकने की पूरी व्यवस्था की जावे व अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

(च) गुप्त सूचनाऐं एकत्रित कर इसके अनुरुप कार्यवाही की जावे व सूचना तंत्र को एवं संचार तंत्र को मजबूत बनाया जावे।

(छ) जलसे एवं जुलूसों का सुरक्षित रास्ता तलाश करें व पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करें।

(ज) पैट्रोलिंग व गश्त की व फिक्स पिकेटस लगाये जावे।

(झ) पर्याप्त जाप्ता मय दंगा निरोधक उपकरणों के मोजूद रखें।

2. दंगों के दौरान उपाय

(क) आपराधिक तत्वों की अधिक से अधिक गिरफ्तारी करें।

(ख) इलाके में सघन तलाशी ली जावे व अनावश्यक लाईसेंस व अवैध हथियारों को कब्जे में लिया जावें।

(ग) केन्द्रीय व स्थानीय शांति समिति के सदस्यों को शातिं व्यवस्था बनाये रखने में काम में लिया जावे।

(घ) धारा 144 {163 BNSS}के तहत कर्फ्यू लगाया जावे।

(ड) दंगा क्षेत्र में 24 घण्टे सशस्त्र पैदल व गाड़ियों द्वारा गश्त की जावें व फिक्स पिकेट्स लगायी जावे, गश्त पर गश्त लगाई जावे व फिक्स पिकेटस लगाई जावे।

(च) उच्चाधिकारी दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जावें और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेवें।

(छ) आवश्यकता अनुसार सशस्त्र बलों और मिलिट्री के दस्तों की उचित व्यवस्था हो।

(ज) समस्त जाप्ता पूर्णतया दंगा निरोधक उपकरण से सुसज्जित रहकर ड्यूटी पर तैनात रहें।

(झ) दंगों के दौरान त्वरित व प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए।

3. दंगों के बाद उपाय

(क) जनता में विश्वास कायम करने के लिए दोनों के समुदाय के लोगों को साथ लेकर शांति व्यवस्था कायम करने के एवं आपसी सोहार्द बनाने के प्रयास करने चाहिए।

(ख) दंगो के दौरान प्रयुक्त उपायों को उस समय तक जारी रहने दें जब तक शांति व्यवस्था कायम ना हो जावे व लोगों में भय समाप्त ना हो जावें।

(ग) आवश्यक सेवायें बहाल की जावें।

(घ) दंगों के दौरान मृत व्यक्तियों की लाश को तुरन्त हटाया जावे व घायल व्यक्तियों को तुरन्त चिकित्सा व्यवस्था दिलवायी जावे।

(ड़) दंगों को राजनैतिक स्वार्थ सिद्दि का साधन नहीं बनने देना चाहिए।

PTS JODHPUR

(ड) कर्फ्यू एवं दंगों के दौरान जान माल की सुरक्षा में पुलिस के कर्त्तव्य – भारत एक विशाल प्रदेश है जहां पर विभिन्न धर्मों, पंतों, मान्यताओं, के अनुयायी निवास करते हैं वर्ग विशेष की भावनाओं व मान्यताओं की पूर्ति के लिए धार्मिक अनुयायी व पंत विशेष के अनुयायी अपने–अपने वर्ग विशेष की भावनाओं की पूर्ति के लिए कई बार वर्ग विशेष की भावनाओं को भड़का देते हैं जिसके कारण वैमनस्य की भावना उत्पन्न होने से अराजकता व दंगा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके नियंत्रण के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है ऐसे कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में जानमाल की सुरक्षा हेतु निम्न उपाय काम में लेते हैं –

1.समाज विरोधी उपद्रवी तत्वों का पता लगायें और उन्हें गिरफ्तार करें ।

2.जिन व्यक्तियों के पास लाईसेन्स वाले हथियार हों उन्हें थाने पर जमा करें।

3.दंगों के दौरान लूटपाट चोरी करने वालों या जबरन औरतों से बलात्कार करने वालों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करें ।

4.छुरेबाजी या गोली चलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सशस्त्र बलों की गश्त लगायें

5. अफवाहों को फैलाने से रोकें और उनका खण्डन करें ।

6.लोगों को शांत रखने के लिए मोहल्ला समिति के सदस्यों का सहयोग लें ।

7.दंगों के दौरान सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करवा देना चाहिए और पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बलों को तैनात करना चाहिए ।

8.स्थिति पर नजर रखने के लिए संचार व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए ।

9.अधिकतम आसूचनाऐं एकत्रित करें एकत्रित सूचना पर प्रभवी कार्यवाही करें ।

स– विधि विज्ञान :–

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न खण्डों की जानकारी, अपराध अनुसंधान में उपयोगिता –
विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सामान्यतः निम्नलिखित खण्ड होते हैः–

1 **रसायन खण्ड** (Chemistry Divisioin):–रसायन खण्ड में अवैध शराब तथा नारकोटिक ड्रग्स व साईकोट्रोपिक सब्सटांस से संबंधित मामलो का रासायनिक परीक्षण किया जाता है। जैसे शराब में एल्कोहल की मात्रा तथा अफीम में मोरफीन की मात्रा के सबंध में रासायनिक परीक्षण करना।

2 **भौतिक खण्ड** (Physics Divisioin):– भौतिक खण्ड में भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, एक्सीडेंट के हिट एण्ड रन केस, चोरी के केसेज, कापीराइट केसेज आदि के संबंध में परीक्षण कर निष्कर्ष निकाल जाते है।

3 **जीव विज्ञान खण्ड** (Biology Divisioin):– जैव खण्ड में डायटम टेस्ट, सुपर इम्पोजीशन फेसियल रिकन्स्ट्रक्सन बाल, कंकाल इत्यादि परीक्षण किये जाते है और अपराध की वसतुस्थिति का पता लगाया जाता है।

4 **सीरम विज्ञान खण्ड** (Serology Divisioin):–सीरम खण्ड में खून, वीर्य, पसीना, थूक, पेसाब इत्यादि शारीरिक द्रव्यों का परीक्षण कर निष्कर्ष निकाले जाते है। बलात्कार, हत्या, मारपीट के मामलो में सीरम खण्ड अत्यन्त उपयोगी है।

5 **विष विज्ञान खण्ड**(Toxicology Divisioin):– जहर से संबंधित मामलो में विसरा तथा अन्य पदार्थो का परीक्षण कर अपराध की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाता है कि मृतक को कौनसा जहर दिया गया था।

6 **आग्नेययास्त्र खण्ड** (Ballastics Divisioin):– इस खण्ड मे फायर आर्म्स से संबधीत मामलों में परीक्षण किया जाता है। फायर आर्म, बुलेट, कार्ट्रिज, टारगेट इत्यादि के परीक्षण के आधार पर अपराध में प्रयुक्त फायर आर्म, फायर की गई गोली, फायर करने की दिशा व दूरी इत्यादि के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

7 **विस्फोटक व आगजनी खण्ड** (Explosive and Arson Divisioin):– इस खण्ड मे आगजनी तथा विस्फोटन के केसेज में रासायनिक परीक्षण द्वारा आगजनी व विस्फोटन मे प्रयुक्त सामग्री व विस्फोटक पदार्थों के बारे मे जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

PTS JODHPUR

8 **प्रलेख खण्ड (Document Divisioin)**:– प्रलेख खण्ड में दस्तावेजो से संबंधित फजीवाडे. के कैसेज में हस्तलेख, कागज, स्याही, प्रिंट इत्यादि के सबंध में परीक्षण कर निष्कर्ष निकाले जाते है।

अपराध अनुसंधान में उपयोगिताः–

सामान्य परिचयः– अपराध का कुशल अनुसंधान प्रत्येक पुलिस संगठन की मूल आवश्यकता होती हैं। पुलिस द्वारा प्रत्येक तफ्तीश सन्देह और अनुमान के आधार पर आरम्भ होती है। जबकि आज के वैज्ञानिक युग में जहां समाज एक और विज्ञान एवं तकनीकी पर निर्भर है, वही दूसरी और, पुलिस अनुसंधान कार्य केवल सदेह और अनुमान के आधार पर करे, यह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। क्योकि पुलिस के लिए वैज्ञानिक सहायता का उपयोग करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। वैज्ञानिक सहायता द्वारा अपराध, अपराधी घटना–स्थल एवं पीड़ित व्यक्ति के बीच परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। जबकि अनुमान पर आधारित तफ्तीश दिशाहीन एवं व्यर्थ भी साबित हो सकती हैं। अनुसंधान कार्यो मे वैज्ञानिक सहायता का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय डॉ. लोकार्ड को जाता है।

वैज्ञानिक सहायता से तात्पर्य अन्वेषण की उन विधियों से है, जिनका प्रयोग विशेषज्ञों की सहायता से अपराधिक मामलो को सुलझाने में किया जाता है। आज के अपराधी पुराने तरीको और यातायात के साधनो का प्रयोग करते हुए अपराध नहीं करते है, बल्कि आधुनिक वाहनो, यन्त्रो और उपकरणो जैसे रिमोट कन्ट्रोल आदि का उपयोग करके अपराध करते है। क्योंकि अपराधी अपराध करके कुछ घंटो में मीलो दूर निकल जाते हैं और पुलिस उन्हे पकड़ने में सफल नही हो पाती। अतः पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणो की सहायता से अपराधो का अनुसंधान करके अपराधियों को गिरफ्तार करें और अपराधी के लिए और अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए दो प्रकार के साक्ष्यो की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है–

1– मौखिक साक्ष्य

2– भौतिक साक्ष्य

1– मौखिक साक्ष्यः– मौखिक साक्ष्य से अभिप्रायः– उस साक्ष्य से है, जो बयान के रूप में किसी पुलिस अफसर या न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति द्वारा दी गई हो, जिसने स्वंय घटना को घटते हुए देखा हो। ऐसे साक्ष्य अनुसंधान की दिशा निर्धारण करने में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सि़द्ध होते है।

अतः भौतिक साक्ष्य की उपेक्षा मौखिक साक्ष्य को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। परन्तु प्रत्येक मामले मे चश्मदीद गवाह मिल जाये यह मुमकिन नहीं होता। फिर हो सकता है कि अपराधी द्वारा दबाव डाले जाने पर या लालच या भय से गवाह अदालत में अपना बयान बदल दे या फिर अपराधीयों के डर से कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार ही न हो। इस प्रकार मौखिक साक्ष्य कई बार मुल्यवान साबित नहीं होते। इसलिए पुलिस के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है कि वह अपने कार्यो को सफलतापूर्वक पूरा करने, अपराधियों का पता लगाने और अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए मौखिक साक्ष्यो के अलावा भौतिक साक्ष्यो का उपयोग, वैज्ञानिक विशेषज्ञो द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक सहायता के माध्यम से करे, जो अधिक उपयोगी, विश्वसनीय एवं मान्य है।

2– भौतिक साक्ष्यः–साधारणतया भौतिक साक्ष्य से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान पर जहां पर अपराध घटित हुआ हो कोई भौतिक वस्तु, चिन्ह या हथियार इत्यादि पाये जाते है जो अपराध, अपराधी पीडित व्यक्ति और घटनास्थल को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जैसे घटना स्थल से प्राप्त रक्त, बाल, चुड़ियों, के टुकडे, वीर्य, कपड़े का टुकडा, रेशे, पेंट, टायर चिन्ह, यात्रिक चिन्ह, अगुल चिंन्ह, गोली, छर्रे, छुरा, चाकु, जूता, चम्पल या इसी प्रकार की कई अन्य भौतिक साक्ष्य इत्यादि। अपराधी कितना ही शातिर और चालक क्यो न हो फिर भी घटना, स्थल पर अनजाने मे कोई न कोई भौतिक सूत्र अवश्य छोड़ जाता हैं। जैसा कि डॉ. लोकार्ड का स्पर्श सिद्वान्त इसकी व्याख्या करता है। डॉ. लोकार्ड के स्पर्श सिद्वान्त के अनुसारः–

''प्रत्येक स्पर्श कोई न कोई चिन्ह अवश्य छोड़ता हैं''।

जिसके द्वारा उस स्पर्श की पहचान साक्ष्य के रूप में की जा सकती है। अपराधी द्वारा घटनास्थल पर छोड़े गये इन्ही चिन्हो या वस्तुओं को भौतिक सूत्र कहा जाता है, जो अन्वेषण करने वाले अधिकारी के लिए बहुमूल्य साबित हो सकती है। परन्तु लापरवाही एवं अज्ञानता के कारण प्रायः में भौतिक सूत्र नष्ट कर दिये जाते है, लेकिन जिसके फलस्वरूप पुलिस अधिकारी का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाती है, साधारणतया पुलिस को घटना स्थल पर जो भौतिक साक्ष्य मिलती है।

PTS JODHPUR

डी0एन0ए0, ब्रेन मेपिंग, नारकोटेस्ट की सामान्य जानकारी

डी0एन0ए0– अपराधियों का पता लगाने वाली एक और तकनीक का विकास हुआ है जिसे डी0एन0ए0 फिंगर प्रिन्ट पद्धति कहा जाता है। इसका पूरा नाम है–'डी आक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड'। इस तकनीक के आविष्कार का श्रेय डॉ0 जेम्स सी वाट्सन तथा फ्रांसिस एच0 किक को जाता है। इनके द्वारा सर्वप्रथम 02 अप्रैल 1953 को डी0एन0ए0 की संरचना को रेखांकित किया गया था। इस आविष्कार के लिए दोनों वैज्ञानिक सन् 1962 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि हर व्यक्ति शरीर में असंख्य कोशिकायें पाई जाती है। हर कोशिका में एक न्यूक्लियस है जिसमें हजारों डी0एन0ए0 अणु पाये जाते है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि दो व्यक्तियों में डी0एन0ए0 एक समान नहीं, होते हैं और इसी कारण हर व्यक्ति की शक्ल सूरत व उनका व्यक्तित्व अलग–अलग होता हैं। लेकिन दो जुड़वा बच्चों पर यह बात लागू नहीं होती हैं। उनमें डी0एन0ए0 व जीन एक समान हो सकते है। प्रजनन के माध्यम से माता–पिता के विशेष गुण उनकी संतानों में पहुॅचते हैं और यह कार्य डी0एन0ए0 अणु द्वारा सम्पन्न होता है।

डी0एन0ए0 क्या हैं– जैसा कि हम उपर देख चुके हैं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में असंख्य कोशिकाऐं पाई जाती है। इन कोशिकाओं के बीच में एक केन्द्र होता है जिसमें एक गाढा द्रव्य डी0एन0ए0 भरा होता हैं। डी0एन0ए0 ही हमारे आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। माता–पिता का डी0एन0ए0 अण्डाणु और शुक्राणु के माध्यम से बच्चों में पहुॅचता है। और इस तरह इनके सम्मिलित गुण अगली पीढी में दिखाई देते है।

रासायनिक संरचना– डी0एन0ए0 चार प्रकार की आधार भुत इकाइयों से बना होता है–

(क) एडनाइन–(ए) (ख) गुएनाइन–(ग) थाइमिन–(टी) (घ) साइटोसीन (स) इन चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों के भिन्न–भिन्न प्रकार के अनुक्रम से कितने ही प्रकार के डी0एन0ए0 का निर्माण होता है। अलग–अलग मनुष्य के डी0एन0ए0 में भी चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम भिन्न–भिन्न होता है, किन्तु प्रत्येक मनुष्य की सारी कोशिकाओं में इनका अनुक्रम एक ही होता है। इसी निश्चित अनुक्रम के कारण एक व्यक्ति विशेष को अन्य व्यक्तियों से पृथक पहचाना जा सकता है। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के आधार पर किसी व्यक्ति को पहचानने की इस विधि को डी0एन0ए0 फिंगर प्रिन्ट विधि कहा जाता है।

डी0एन0ए0 परीक्षण निम्न प्रकार की समस्याओं मे बहुत उपयोगी हैः–

(1) अपराधी, अपराध–पीडित, हथियार, वाहन, घटनास्थल, मार्ग आदि के आपसी सम्पक्र को स्थापित कर सकते है, जब शारीरिक पदार्थ रह जाते है अथवा उनका आदान–प्रदान हुआ हो।

(2) अपराधी या पीड़ित की शारीरिक पदार्थो द्वारा पहचान करना। ये पदार्थ गिरे हुए अथवा खीचे हुए बाल भी हो सकतें है।

(3) बलात्कार के मामलों में अपराधी के वीर्य के धब्बों या योनि के पोंछन से पहचान करना।

(4) प्याले, गिलास, सिगरेट के टोटे, थूक और दॉतो से काटने में जो लार उपस्थित होती है, उससे अपराधी को पहचानना।

(5) मुत्र व मल द्वारा व्यक्ति को पहचानना।

(6) क्षत–विक्षत शवों की पहचानना, जब जीवन काल के जाने–पहचाने शरीरिक पदार्थ उपलब्ध हों।

(7) जब अनेक शवों के टुकड़े बिखरे पड़े हों, तो उनका आपस में सही मेल।

(8) पितृत्व के विवादों में सही माता–पिता की पहचान।

(9) परिवार के सदस्य से अनैतिक सम्बन्ध के मामले।

(10) त्यागे हुए बच्चे के मॉ–बाप।

(11) शिशु–हत्या के मामले में बच्चे के मॉ–बाप।

(12) खून के रिश्ते के दावे की पुष्टि करना।

(13) अवैध सम्बन्धों की पुष्टि करना।

(14) जुड़वा बच्चे समान रूप है अथवा असमान रूपी।

(15) पितृत्व, बलात्कार आदि के झूठे आरोप।

(16) सामूहिक बलात्कार के मामलों में सभी अपराधियों को अलग– अलग से पहचानना।

नमूनों के स्त्रोतः– डी0एन0ए0 शरीर की लग–भग सभी कोषिकाओं में पाया जाता है। अतः इसे अनेक शरीरिक पदार्थो से निष्कर्षित कर सकते है। इसकी सूची इस प्रकार हैः–

PTS JODHPUR

1– रक्त
2– वीर्य
3– बाल की जड़े
4– कटेनाखुन(मांस या रक्त लगा हो)
5– लार
6– शरीर के उत्तक
7– हडिडयो का मज्जा
8– मूत्र
9– मल
10– दांत की कैनाल का गुद्वा (पल्प)
11– भ्रूण (अविकसित शिशु का शरीर)
12– शवों से लिया गया रक्त आदि।

ब्रेन मेपिंग– इसे ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग भी कहते है। इस तकनीक का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक डा0 लारेंस फारवैल ने किया था। यह तकनीक वर्तमान समय में मानव–मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। ऐसे ही अपराधी के मस्तिष्क में अपराध की छवि अंकित हो जाती है, किंतु यह वह पूछताछ में अपराध स्वीकार न भी करें, तो भी अपराध संबंधी दृश्य पुनः आंखों के सामने आने पर उसके मन में विशेष विधुतीय तरंगे उठने लगती है। पी–300 नामक इन तरंगो को ई ई जी द्वारा रिकार्ड कर लिया जाता है। तथा आरोपी के दिमाग को पढकर सत्य–असत्य की जांच की जाती है। इस तकनीक में आडियोविजुअल, कम्प्यूटर तथा ई ई जी आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

भारत में ब्रेन मैपिंग की शुरूवात अहमदाबाद स्थित कारेंसिक साईस लेबोरेटरी से हुयी थी। इसके पश्चात बंगलौर स्थित फारेंसिक साईस लेबोरेटरी में इस तकनीक को शुरूवात हुई। अब तक बंगलौर की लैब में ब्रेन मैपिंग के करीब 700 तथा नाको एनालिसिस के 300 मामलों का परीक्षण हो चुका है।

(1) कोई भी चिकित्सक किसी भी परिस्थिति के चलते उत्पीडन अथवा किसी अन्य बर्बन व अमानवीय तरीकों में किसी भी रूप में भागीदार नहीं होगा, चाहे पीडित व्यक्ति किसी अपराध का संदिग्ध, आरोपी और दोषी ही क्यों न हो और किसी हथियारबंद मुहिम और नागरिक संघर्ष के उद्देश्य से प्रेरित क्यों न हो ।

(2) यातना के किसी भी बर्बर और अमानवीय तरीकों तथा इस प्रकार की यातनाओं को सहने की प्रतिरोधक क्षमता को कम करने की कार्यवाही के लिए कोई चिकित्सक परिसर उपकरण, सामग्री अथवा जानकारियों मुहैया कराने में मदद नहीं करेगा।

नारको एनालिसिस टेस्ट– टुथ टेस्ट के रूप में प्रचलित यह नाको एनालिसिस शब्द 1930 में प्रचलन में आया। इस टेस्ट के लिए सोडियम थियोपेटल (जिसे आमतौर पर सोडियम पेटोथाल भी कहा जाता है) नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। कानून के अनुसार दवा देते समय वहां पर एक क्लीनिकल साइकोलाजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट का उपस्थित होना जरूरी होता है। एनेस्थेटिस्ट ही पूछताछ के लिए तय समय सीमा को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को दिए जाने वाले दफ्रय सीरम की मात्रा तय करता है। शरीर में यह दवा प्रवेश करने के बाद व्यक्ति लगभग सोने की स्थिति में आ जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति से उस घटना से संबंधित सवाल पूछे जाते हें जिसमें उसके शामिल होने या जानकारी रखने की संभावना होती है या उस घटना से संबधित चित्र दिखाए जाते है। ऐसी स्थिति में वह पुलिस से कुछ भी छुपा नही पाता है और सब कुछ सही–सही बता देता है। चुकि न्यायालय इस टेस्ट के परिणामों को बहुत महत्व नही देती है, अतः किसी अपराधी के नारकों एनालिसिस रिजल्ट को कोर्ट में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

नारको एनालिसिस टेस्ट में प्रयोग की जाने वाली अन्य दवाइयां सोडियम एमिटाल व स्कोपोलामाइन है। ये ड्रग्स जीवन को जोखिम में डालने वाले कई दुष्प्रभावों को भी जन्म देते है। इससे अवसाद का बढना, श्वसन क्रिया पर असर तथा केद्रीय तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। सिरदर्द, याद्दाश्त का मंद पड जाना, उददीपन और लम्बी निद्रा आदि जैसी समस्याएं भी हो सकती है।

पदचिन्ह, अंगुल चिन्ह उठाना –

पदचिन्ह (foot print)

परिचयः– फुट प्रिन्ट शब्द का प्रयोग फुट प्रिन्ट (नंगेपाव) व शू प्रिन्ट जूते सहित छाप को कहते है। पदचिन्ह को पहचान में सहायता लेने के रन्ज सभ्यता के प्रारम्भ से प्रयूक्त किया जा रहा है। पद चिन्ह एवं जूते के चिन्ह के

PTS JODHPUR

द्वारा अभियुक्त की घटनास्थल पर उपस्थिति स्थापित की जाती है। इसकी साक्ष्य का मूल्य प्रकट पहचान के चिन्हों के अनुपात में ही होता है। समान्य प्रारूप एवं माप का विशेष महत्व नहीं है। अपूर्ण प्राकृति एवं विशिस्तियों को तलाशकर अध्ययन किया जाता है।

फुट प्रिन्ट की प्रकृतिः– पदचिन्ह निम्न परिस्थितियों में पाये जाते हैः–

(क) पैरो की छाप, धूल, कीचड, मिटटी तथा बफ्र जैसे–पदार्थे पर पायी जा सकती है। इस प्रकार की छाप धंसी हुई तथा द्विविमिय होती है और धंसे हुए (unken) पद चिन्ह कहलाते है।

(ख) धूल, मैल, तेल, रक्त एवं रंगीन बारीक पदार्थो की समतल एवे सख्त सतह पर जमा होने पर उत्पन्न पद चिन्ह सतती पद चिन्ह (द्विविमिय) कहलाते हैं, ये चिन्ह प्रायः इन्डोर में पाये जाते है।

(ग) धूल या द्रव पदार्थो के पांव के साथ चिपकने से सतह पर उत्पन्न फुट प्रिन्ट ''नेगेरिव'' फुट प्रिन्ट कहलाते हे।

पदचिन्हों का परिरक्षण (सुरक्षित करना) –यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अभियुक्त द्वारा छोड़े गये अवशेषो में पद चिन्हों के नस्ट होने का खतरा अधिक होता है। हवा,वर्षा, चींटियों, किड़ो इत्यादि से पद चिन्ह विकृत हो सकते है। अभियुक्त एवं उसके साथियों द्वारा भी इन्हे नस्ट करने का प्रयास हो सकता है। अनुसंधान अधिकारी एवं उसके सहायक द्वारा भी रिकार्ड करने व सुरक्षित करने में लापरवाहीं या उपेक्षापूर्ण रख रखाव द्वारा भी नष्ट हो सकते है। उचित अनुरक्षण हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहियें

(क) यदि आसानी से हटाने योग्य वस्तुओं पर पद चिन्ह हो तो उन पर प्रकरण का विवरण अंकित करने के बाद व गवाहों व अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर करवा कर उन्हे पुलिस अभिरक्षा में ले लेना चाहियें।

(ख) यदि मकान के अन्दर हो व अविलम्ब रिकार्ड करना संभव नहीं हो तो कमरे पर ताला लगा देना चाहिये।

(ग) यदि खुले स्थान पर पाये जावे तो इन्हे ठकने के बाद सुरक्षा गार्ड लगाना चाहिये।

(घ) दीवारों पर पदचिन्ह हो तो कागज से ढक देना चाहिये।

(ड) पदचिन्हों को हवा, पानी व किड़े, मकोड़ो द्वारा विकृत करने से बचाव के सभी संभावित उपाय करने चाहिये।

पदचिन्हों का संग्रहणः– सामान्यतया पदचिन्हों को अन्य किसी विफि द्वारा उठाने से पूर्ण रिकार्ड करने के प्रयास में बिगड़ने के खतरो के मध्यनजर रखते हुये फोटोग्राफी कर लेनी चाहिये। पदचिन्हों का फोटो लेने से पूर्व निम्न सावधानियां रखनी चाहियेः–

1–कैमरे से लैस पदचिन्ह युक्त सतह के समानान्तर रखने चाहिये।

2–शहर को न्यूनतम अनुमत एक– स्थान पर जमाना चाहिये। ताकि अधिकतम गहराई प्राप्त हो सके।

3– स्पस्टता हेतु सूर्य की रोशनी में भी फलैश का प्रयोग करना चाहिये।

4– प्रिन्ट के बराबर पैमाना (Ruler) रखना चाहिये।

(अ) पहचान की विशिस्तियों युक्त एक कागज का टूकड़ा पास में लगाना चाहिये जिस पर दिनांक, प्रकरण का विवरण, अनुसंधान अधिकारी व गवाहो के हस्ताक्षर अंकित हो।

(ख) ट्रेसिंग (Tracing)– यह एक अपक्व किन्तु पदचिन्ह अभिलिखित करने की आसान विधि है एक कांच या सेलुलॉयड शीट और एक ग्लास माक्रिग पेन्सिल का प्रयोग कर पद चिन्हों को बाहरी रन्ज रेखा (खाका) तैयार की जाती है।

घटनास्थल से पद चिन्ह उठाने के तरीके (फोटोग्राफी, ट्रेसिंग, लिफिटगं व कास्टिगं)

फोटोग्राफी–सामान्यतः फुट प्रिटं को किसी भी विधि से उठाने से पूर्व फोटोग्राफी अवश्य कर लेनी चाहिए ताकि फुट प्रिटं को उठाते समय बिगड़ने पर फोटो का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सके। रक्त या रंग से बने फुट प्रिंट को पैमाने के साथ फोटोग्राफी द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाता है।

फोटोग्राफी करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ़:–

1. कैमरे के लैंस पद चिन्ह युक्त सतह के समानान्तर रखने चाहिए ।

2.अधिकतम गहराई प्राप्त करने के लिए शटर को न्यूनतम अनुमत एफ स्टॉफ पर फिक्स करना बेहतर होता है।

3.सुर्य की रोशनी में भी फ्लैश का प्रयोग करके ओर अधिक स्पष्ट फोटो प्राप्त किया जा सकता है।

4.फुट प्रिंट के बराबर पैमाना रखना चाहिए ताकि सुपरइम्पोजिशन तकनीक से तुलना एवं विश्लेषण में कोई कठिनाई न उत्पन्न हों।

5.पहचान की विशिष्टियों से युक्त एक कागज का टुकड़ा फुट प्रिंट के पास लगाना चाहिए जिस पर दिनांक ,प्रकरण का विवरण ,अनुसंधान अधिकारी व गवाहों के हस्ताक्षर अंकित हो।

ट्रेसिगं :–यह पद चिन्ह अभिलिखित करने की आसान विधि है एक कॉच या सेलुलाइड शीट को और एक ग्लास मार्किंग पेन्सिल का प्रयोग कर पद चिन्हों की बाह्य रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है–

1.कॉच या सेल्युलाइड सीट को पद चिन्हों के उपर निकटतम दूरी पर इस प्रकार लगाना चाहिए कि फुट प्रिंट को वास्तव में स्पर्श न करे।

2.ट्रेसिगं पुरा होने तक कॉंच या सेलुलाइड को हटाना व हिलाना नहीं चाहिए।

3.पेन की नोक तथा आँख को एक ही सीध में रेखांकित किये जाने वाले भाग के लम्बवत ऊपर रखें।

4.ग्लास मार्किंग पेन्सिल से खींची गई रेखाए यथा सम्भव बारीक, सतत् व सुस्पष्ट होनी चाहिए।

लिफ्टिंगः– फुट प्रिंट को उठाने हेतू फोटोब्रोमाइड पेपर तकनीक तथा स्थिर वैद्युतिक तकनीक प्रयुक्त की जा सकती है।

फोटोब्रोमाइड पेपरः–धूलनुमा पदार्थों द्वारा निर्मित पद चिन्ह काले फोटोब्रोमाइड कागज द्वारा उठाये जा सकते है। पेपर को थोड़ी देर पानी में डुबोकर नम बना कर फालतू पानी हटा लिया जाता है। इस कागज को पद चिन्ह युक्त सतह नर रखकर समान रूप से दबाया जाता है जिससे धूलयुक्त पदचिन्ह कागज का चिपचिपी सतह पर स्थानान्तरित हो जाता है कागज को एक कोने से पकड़ कर धीरे–धीरे सतह से हटा लेना चाहिए।

स्थिर वैद्युतिक लिफटः– कम्बल,कपड़ों ,चटाई व पायदान इत्यादि पर पॉवो की धूल या गन्दगी लगने पर उत्पन्न सतही प्रिंट,उनके रंग व बुनाई के कारण दिखाई नही देते है। ब्लैक विनाईल प्लास्टिक या काली परत युक्त एल्यूमिनियम फोइल को उच्च विभव की बैटरी द्वारा आवेशित करने पर नेगेटिव फुट प्रिंट उभर आता है।

कास्टिगं :– धंसे हुए 3डी त्रिविमीय फुट प्रिंट को ट्रेसआउट करने के लिए कास्टिगं मैथड प्रयोग में ली जाती है सर्वप्रथम उपलब्ध फुट प्रिंट के आस –पास मौजुद घास ,कंकड़ आदि को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता है तत्पश्चातृ चुने का मिश्रण बनाने के लिए चुना व पानी को 7:4 में लेकर एकरूप घोल तैयार करते हुए तथा उसे हथेली की सहायता से फ्रेम में डालते है फुट प्रिंट को मजबुती प्रदान करने के लिए लोहे की जाली लगा देते है फुट प्रिंट को सुखने पर फ्रंम को हटाकर फुट प्रिंट ले लेते है।

अंगुल चिन्ह– अंगुल चिन्ह लेने के तरीके एवं उनका वर्गीकरण, खोज करना और घटना स्थल से अंगुल चिन्ह उठाना (प्रयोगिक)

अंगुल चिन्ह, लेने के तरीके एवं उनका वर्गीकरण, खोज करना और घटनास्थल से अंगुल चिन्ह पैकिग लेबल करना प्रदर्शो का भेजना, आरपीआर नियम 1948 के नियम 415,416,417,418,420 उठाना (प्रयोगिक) उठाए गए अंगुल चिन्हों का विकसित करना।

अंगुल चिन्हः– ''अंगुल छाप'' से तात्पर्य अगुलियों के अन्तिम पोर (phalange) में रघीनो (ridge) की बनावट (pattern) को स्याही,खून, रंग गंदगी नयी तथा चिकनाहट आदि की साहयता से अंकित होना या करना है।

व्यक्ति की पहचान के एक सफलता एवं निश्चयात्मक साघन के रूप में ''अंगुल चिन्ह'' को स्वीकार किया गया है।

निम्नलिखित विशेषताओं के कारण पहचान की इस विधि का महत्व है–

(क) अद्वितीय पूरे विश्व में अब तक के अनुभवों में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नही मिले है। जिनके ''अंगुलचिन्ह'' समान हो तथा एक ही व्यक्ति को दो अलग–अलग अंगुलियों के ''अंगुलचिन्ह भी कभी समान नहीं पाये गये है। अर्थात प्रत्येक ''अंगुल चिन्ह पूरे विश्व में अपूर्व एवं अकेला होता है। इसी विशेषता के कारण अगुल चिन्ह किसी व्यक्ति की पहचान का महत्वपूर्ण एवं निश्चयात्मक (conclusive) साक्ष्य माना गया है।

(ख) स्थापित्व (permanence) किसी व्यक्ति की अंगुलियों के रघीनों की बनावट उसके पूरे जीवन काल में अपरिवर्तित रहती हे। चमड़ी के प्रत्यारोपण या शल्य किया के द्वारा भी रघीनों की बनावट (तपकहम चंजजमतदे) को बदला नहीं जा सकता अंगुलियों के कुछ रोगो या अव्यवस्थाओं के कारण अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु कुछ समय पश्चात पुनः प्रकट ही जाते है।

उक्त दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के अलावा निम्न गुण भी हैः–

(ग) सर्वव्यापकता (**universlity**) प्रत्येक व्यक्ति की अंगुलियों पर रघीनो की बनावट (तपकहम चंजजमतदे) पायी जाती है।

(घ) अभिलेख को सरलताः–किसी व्यक्ति की अंगुल चिन्ह उसके ज्ञान के बिना सरलता से अभिलिखित किये जा सकते है।

PTS JODHPUR

(ड) वर्गीकरण के सरलताः– अंगुल चिन्ह पर्चियों के एक व्यापक समूह को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पत्रावलियों में पृथक स्थान दर्शाया जा सकता है।

चोटो के प्रकार,शव परीक्षण, मेडिकल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट –

चोट : – किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शारीरिक कष्ट रोग या दुर्बलता देना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 319 के अनुसार चोट है। वैसे चोट से अभिप्राय शारीरिक आघात के साथ मानसिक वेदना पहुंचाना भी हैं। न्यायिक दृष्टि से चोट दो प्रकार की होती हैं–

1. साधारण चोट
2. गम्भीर चोट

1.साधारण चोटः – वह चोट जो मामूली हो और खतरनाक न हो। इस प्रकार की चोट से कोई स्थायी नुकसान नहीं होता है। शरीर में कोई स्थायी विकृति नहीं आती। वे सभी चोटें साधारण होती हैं, गम्भीर न हो।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 319 में साधारण चोट की परिभाषा इस प्रकार की गई हैं– ''जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग–शैथिल्य कारित करता हैं, वह उपहति करता हैं, यह कहा जाता है।''

2. **गम्भीर चोटः** – यह साधारण चोट का गम्भीर रूप है। ऐसी कोई भी चोट या उपहति जो गम्भीर एवं स्थायी प्रकृति की हो, गम्भीर चोट कहलाती है.|

3. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 के अनुसार– उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में 'घोर उपहति' (गम्भीर चोट) कहलाती है–

पहली– पुंस्त्वहरण।

दूसरी–दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद।

तीसरी–दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद।

चौथी–किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद।

पाँचवीं–किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थाई ह्रास।

छठी–सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण।

सातवीं–अस्थि या दाँत का भंग या विसंधान।

आठवीं–कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहृत व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली काम–काज को करने में असमर्थ रहता है।

चोटो की पहचान के मुख्य लक्षण

1. अपघर्षण अथवा रगड़ (Abrasions)
2. नील अथवा गुम्मा (Congestion)
3. खरोंच अथवा हल्की चोट (Bruise)
4. फटे हुए या कुचला हुआ घाव (Lacerated Wound)
5. कटा हुआ घाव (Incised Wound)
6. वेध या वेधक घाव (Stab Wound)

1. **अपघर्षण अथवा रगड़:** – यह एक सामान्य प्रकृति की चोट होती हैं जो शरीर की बाहरी अर्थात् ऊपरी त्वचा पर किसी कठोर अथवा खुरदरे पदार्थ की रगड़ से कारित होती है।

अपघर्षण चोट कारित होने का समयः – चोट का समय उसके रंग, स्वभाव एवं कालान्तर में उसकी स्थिति से ज्ञात किया जाता है।

(1) ताजी चोट का रंग लाल होता है।
(2) चोट लगने 12 से 24 घंटों में वहाँ पपड़ी बन जाती है और प्रारम्भ में वह लाल रंग की होती है।
(3) दो या तीन दिनों में पपड़ी का रंग धूसर हो जाता है।
(4) चार से सात दिनों में विरोहड़ होता है तब पपड़ी गिर जाती है।
(5) 10 से 15 दिनों में यह चोट पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है।

2. **नील अथवा गुम्मा**ः – कभी –कभी ऐसी घटनाये होती हैं जिनमें प्रहार से ऊपरी त्वचा को कोई आंच नहीं आती, लेकिन त्वचा के नीचे अंदर की तरफ रक्तवाहिनी नलिकाओं को आघात पंहुचता हैं जिससे रक्त का प्रवाह अवरूद्ध हो जाता हैं और रक्त एक जगह एकत्रित हो जाता हैं। वहाँ लाल रंग या नीले रंग का निशान दिखता है जिसे हम नील अथवा गुम्मा कहते हैं। सामान्यतः ऐसी चोटे साधारण होती हैं।

PTS JODHPUR

3. **खरोंच अथवा हलकी चोटः** – यह एक सामान्य प्रकृति की चोट होती हैं।

4. **फटे हुए या कुचला हुआ घावः** – कुछ चोटे ऐसी होती हैं जिनसे त्वचा और उसकी निचली परत फट जाती है तथा घाव बन जाता हैं ऐसी चोटों को निम्न लक्षणों से पहचाना जा सकता है। (1) घाव अथवा चोट के दोनों किनारे कटे–फटे रहते हैं। (2) यह खुरदरे होते है। (3) उन पर नील बनी रहती है। यह चोट निम्नांकित कारणों से कारित होती हैं– (1) किसी भौंठे हथियार ;ठसनदज ॅमंचवदद्ध से। (2) खुरदरे पदार्थ की रगड़ से। (3) पत्थर से। (4) लाठी आदि से।

5. **कटा हुआ घावः** – इसे धारदार हथियार की चोट भी कहा जाता हैं क्योंकि यह धारदार हथियारो से ही कारित होती है धारदार हथियार से कारित चोट अथवा घाव सामान्य, गम्भीर एवं प्राण घातक कैसी भी हो सकती हैं यह हथियार एवं प्रहार में बल प्रयोग पर निर्भर करता हैं। लक्षणः – (1) घाव के किनारे साफ कटे हुए होते है। (2) रक्त वाहिनियां भी कटी होती है। (3) घाव चौड़ाई एवं गहराई की अपेक्षा लम्बा अधिक होता है। (4) नीचे की अस्थियों पर छिन्न चिन्ह पाये जाते हैं आदि।

6. **वेध या वेधक घावः** – इसे गहरी चोट भी कहा जाता हैं किसी तेज धार के नोक दार हथियार को त्वचा में भेदते हुए शरीर के अंदर प्रविष्ट यह घाव कारित किया जाता हैं। लक्षणः –(1) हथियार के किसी अंग के आर–पार हो जाने पर उसका प्रवेश घाव निर्गम घाव से बड़ा होता हैं (2) घाव की गहराई उसकी लम्बाई एवं चौड़ाई से अधिक होती हैं (3) घाव के किनारे स्पष्ट होते हैं (4) किनारे विभक्त होते हैं अर्थात् प्रवेश–स्थल के किनारे अन्तर्मुखी और निर्गम स्थल के किनारे बाह्य मुखी होते है।

मेडिकल –

चोट प्रतिवेदन रिपोर्टः– अनुसंधान में व्यक्ति के शरीर पर आई चोटे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होती हैं जिन्हे मान्यता प्राप्त चिकित्सक से परीक्षण करवा चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र में चोट प्रतिवेदक का नाम, पिता का नाम, आयु, जाति, निवासी, पुलिस प्रतिवदेन संख्या, दिनांक व पहचान चिन्ह आदि का उल्लेख किया जाता है

1.प्रथम भाग में चोट का स्वरूप अंकित किया जाता है।

चोट मुख्यत चार प्रकार की होती हैंः– 1 औजार से, 2 गर्मी से, 3. रसायन से, 4 अन्य चोटेः–

- औजार से में निलगू, रगड/खंरोच एंव घाव आते हैं।
- गर्मी से जलना व झुलसना
- रासानियक में तेजाब व अन्य पदार्थो से
- अन्य में विधुत, आकाशीय बिजली आदि आते हैं

2.इसमें प्रत्येक चोट का आकार, लम्बाई, चौडाई व गहराई में अंकित किया जाता है।

3.इसमें चोट शरीर के कौनसे अंग पर लगी अंकित की जाती है।

4.इसमें चोट का प्रकार सामान्य या गम्भीर अंकित किया जाता है।

चोट प्रतिवेदन प्रपत्र के नीचे के भाग में निम्न प्रकार गम्भीर चोट का वर्णन किया हुआ होता हैः–

प्रथम– पुंसत्वहरण

द्वितीय– किसी भी कान की श्रवण शक्ति या किसी भी आंख की ज्योति की स्थाई हानि।

तृतीय– किसी भी कान से स्थाई या अस्थाई रूप से सुनना रूक जाना।

चतुर्थ– जोड के किसी अंग का काम करने से रूक जाना।

पंचम– जोड के किसी भी अंग की शक्ति का स्थाई रूप से नाश हो जाना या स्थाई रूप से अलग हो जाना।

षष्टम– सिर या चेहरे का स्थाई रूप से विकृत हो जाना।

सप्तमः– ऐसी चोट जो जीवन के लिए घातक हो या चोट लगने वालो को 20 दिन तक तीव्र शारीरिक दर्द पहुंचाती है या

उसे दैनिक दिनचर्या पालन में असमर्थ करती हैं।

5.इसमें चोट किस प्रकार के हथियार से लगी है, हथियार धारदार या भोंडे से है का अंकित की जाती है।

6.चोटग्रस्त व्यक्ति के पहचान चिन्ह अंकित किया जाता है।

7.इसमें चोट के एक्सरे तजबीज का अंकन किया जाता है।

8.इसमें चोटग्रस्त व्यक्ति का विशेष विवरण अंकित किया जाता है जिसमें विशेष परिस्थितयों उसकी मौजुदा हालत हृदय गति, ब्लड प्रेशर, होश में या नहीं आदि का वर्णन किया जाता है।

9.चोट प्रतिवेदन पर चोटग्रस्त व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान अंकित होते हैं।

PTS JODHPUR

न्यायिक चिकित्सा रिपोर्टः– जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध कारित किया जाता है एवं अपराध के अनुसंधान में पीडित व्यक्ति के शारीरिक परिक्षण से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं तो उस व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सय/शारीरिक परिक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, उक्त रिपोर्ट का विधिक महत्व होता है। वह रिपोर्ट न्यायिक चिकित्सा रिपोर्ट कहलाती है। इसमें यह आवश्यक नही है कि व्यक्ति के शरीर पर प्राप्त साक्ष्य जाहिरा चोट के रूप में हो। जैसे उस व्यक्ति नें जहर खा लिया हो, आत्महत्या का प्रयास किया हो या अन्य किन्ही संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हुआ हो ऐसे व्यक्ति के बारे में मेडिकल लीगल रिपोर्ट(एमएलसी) तैयार की जाती है, उक्त रिपोर्ट के आधार अनुसंधान अधिकारी द्वारा अग्रीम जांच/कार्यवाही की जाती है। इसमें चिकित्सा विधि विशेषज्ञ सम्बन्धित मामलों में अपनी राय देते है। एक चिकित्सक विधि विशेषज्ञ निम्न बातों का पता लगाने के लिए अपनी राय देता है।
एमएलसी रिपोर्ट फॉर्म में पीडित का नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, लिंग, पता के पूर्ण विवरण के साथ कहां से रैफर किया गया, किस वार्ड में है, कब हुआ, किस वार्ड में भर्ती का उल्लेख होता है। इसके अतिरिक्त पीडित के पहचान के चिन्ह व रिपोर्ट का विवरण अंकित होता है।

पोस्टर्माटम –

शव परीक्षण (पोस्टर्माटम रिपोर्ट) –

इसका महत्व एवं उददे्श्य, विसरा व बाल आदि के सैम्पल सुरक्षित करना।
मरणोन्तर परीक्षा(Postmortem examination(Autopsy) मरणोन्तर परीक्षा क्या हैः–
मृत्यु के पश्चात चिकित्सक द्वारा शव का बाहरी तथा आन्तरिक परीक्षण किया जाता है जिससे मृतक तथा उसकी मृत्यु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस जानकारी से अन्वेषण अधिकारी को तथा कालान्तर में कानून को सहायता मिलती है।
मरणोन्तर परीक्षा क्यों कराई जाती हैः–मरणोत्तर परीक्षा विभिन्न परिस्थितियों में हुई मृत्यु से संबन्धित सभी पहलुओं की जांच के लिये की जाती है।

1.मुंह, दांत, जीभ तथा खाने की नली का अग्रभाग (Buccal cavity , teeth, tongue, and pharynx) मुंह के अन्दर बाहरी वस्तु जैसे कपडा, रक्त, कीचड आदि देखे जाते है। दांतो की संख्या टूटे हुए दांत, नकली दांत तथा जीभ की स्थिति, जीभ का रंग आदि देखे जाते है। खाने की नली के अग्र भाग में बाहरी वस्तु आदि देखे जाते है।

2.आमाशय तथा उसकी अर्न्तवस्तुएं (Stomach & contents) आमाशय कितना भरा हुआ है उसमे पचा हुआ भोजन है या नही तथा अन्य वस्तुऐं जैसे शराब, जहर, आदि के लिए देखा जाता है।

3.छोटी तथा बडी आंत और उनकी अर्न्तवस्तुऐं (Small & large Intestines and their contents) आमाशय की तरह इनको भी बाहर से तथा अन्दर से देखा जाता है।

4.यकृत (Liver) तथा पिताशय (Gall bladder) इन अंगो की बनावट,रंग चोट आदि के लिए देखा जाता है।

5.अग्नाशय (pancreas) इस अंग की बनावट आदि देखी जाती है।

6.तिल्ली (Spleen) तिल्ली की नाप इसमें चोट आदि देखी जाती है।

7.गुर्दे (Kidney) गुर्दो की नाप,इनमे चोट आदि देखी जाती है। शरीर में दो गुर्दे होते है।

8.मूत्र थैली (Bladder) इसमें मूत्र की मात्रा चोट के लक्षण आदि देखे जाते है।

9.जननांग ;Organs of Generation) बच्चेदानी (Uterus) की स्थिति अण्डाशय (ovaries) की स्थिति, योनि तथा लिंग आदि का अध्ययन जैसे बलात्कार के लक्षण, खून, मवाद का वीर्य होना, चोट के निशान आदि ।

आंतरिक अवयव तथा दूसरे पदार्थो का संकलन (Viscera and other samples/material) कई स्थितियों में आंतरिक अवयव शरीर से निकाल कर जांच के लिए भेजे जाते है। विशेषकर जहर के द्वारा मृत्यु के सन्देह में। साधारणतया यकृत (liver) आँते (Intestines) आमाशय (Stomach) गुर्दे व मस्तिष्क के जांच के लिए रखा जाता है। रक्त का नमूना जैसे शराब के केस में उल्टी, जैसे जहर के केस में तथा मूत्र को भी जांच के लिए रखा जा सकता है। आमाशय तथा आंतो में पाया गया पदार्थ अलग से सील कर रखा जाता है।

मृत्यु के तरीके तथा कारण के बारे मे राय (Opinion to cause & manner of death) पोस्टमोर्टम परीक्षा तथा अन्य परिस्थितियो से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार मृत्यु का कारण तथा किस प्रकार से मृत्यु हुई थी इस आशय की रिपोर्ट चिकित्सा अधिकारी इसमे वर्णित करता है। जैसे यदि गला घोटने से मृत्यु हुई तो लिखा जायेगा गला

PTS JODHPUR

घोटने से श्वासरोध के कारण मृत्यु (death due to asphyxia because of strangulation) अन्त में स्थान, दिनांक तथा चिकित्सक के हस्ताक्षर होते है।

शव काठिन्य अर्थात् शव का अकड़ना (Rigor Mortis)

शवः – जब किसी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती हैं या आत्महत्या कर लेता हैं या हत्या कर दी जाती या किसी कारण दुर्घटना में मार दिया जाता है या मर जाता हैं, तब शव में परिवर्तित हो जाता है। जब किसी पुलिस को किसी व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता हैं तब मृतक व्यक्ति की शिनाख्त करने, मृत्यु के तरीके का पता लगाने, मृत्यु के समय और कारणों का पता लगाने के लिए उसका परीक्षण किया रजिस्टर्ड सरकारी डॉक्टर से करवाया जाता है।

शव का अकड़नाः – जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हैं तो जैसे–जैसे शव के पड़े रहने की अवधि बढ़ती जाती हैं वैसे–वैसे उसको शारीरिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं जैसे रक्त का दौर बंद हो जाना, शरीर का ठण्डा होना, पुतलियाँ गायब हो जाना, त्वचा का रंग बदलने लगना, शरीर का अकड़ जाना और शव का सड़ना आदि। शरीर का अकड़ना भी एक ऐसी ही शारीरिक परिवर्तन की घटना है जो देरी से होती है। प्रत्येक शव में मृत्यु के पश्चात दो घंटे में शरीर की मांसपेशियों में अकड़न शुरू हो जाती है। इसमें आँखों की पलकें, गर्दन, जबड़ा, चेहरा, छाती, हाथ और पैर क्रमशः अकड़ते हैं। सर्दियों में अकड़न 24 से 48 घंटे तक रहती हैं जबकी गर्मीयों 18 से 36 घंटे तक बनी रहती हैं। शव के अकड़न की अवस्था को देखने से मृत्यु के समय का अनुमान लगाया जा सकता हैं।

मरणोत्तर परीक्षा (POST MORTEM EXAMINATION (AUTOPSY)

मरणोत्तर परीक्षा क्या है :– मृत्यु के पश्चात् चिकित्सक द्वारा शव का बाहरी तथा आंतरिक परीक्षण किया जाता है जिससे मृतक तथा उसकी मृत्यु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस जानकारी से अन्वेषण अधिकारी को तथा कालान्तर में कानून को सहायता मिलती है।

मरणोत्तर परीक्षा क्यों करवाई जाती है :– मरणोत्तर परीक्षा विभिन्न परिस्थितियों में हुई मृत्यु से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिये की जाती है। शव परीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित होते है :–

1.**यदि व्यक्ति अज्ञात है तो उसकी पहचान करना**। इस परीक्षण में विभिन्न पहलू देखे जाते है जैसे :–

(अ) मूल वंश (race) का पता लगाना जैसे अफ्रीकन, चीनी, भारतीय इत्यादि

(ब) धर्म का पता लगाना जैसे हिन्दु तथा मुसलमान व्यक्तियों की पहचान करना इत्यादि

(स) लिंग (sex) का पता लगाना विशेषकर यदि शव सड़ गया हो, लिंग वाला हिस्सा गायब हो आदि

(द) आयु इसके लिये दातों, हड्डियों आदि का परीक्षण किया जाता है

(य) अंगुष्ट छाप, पद चिन्ह आदि के द्वारा

(र) शारीरिक विशेषताएं जैसे किसी की छः अंगुलियाँ होना, किसी अंग का विकृत होना इत्यादि। पुरानी क्षति (पदरनतल) के निशान भी मिल सकते है, इसके अलावा तिल, मस्से आदि भी देखे जाते है

(ल) शरीर पर गोदने के निशान (tattoo marks) भी मिल सकते है

(व) व्यवसायिक निशान शरीर पर मिल सकते है जैसे दर्जी की अंगुलियों में सूई चुभने के निशान आदि।

2.**मृत्यु का समय निकालना :–** मृत्यु कब हुई इसके लिए निम्न बिन्दुओं का सहारा लिया जाता है।

(अ) शव का ठण्डा होना – मृत्यु के बाद शरीर ठण्डा होना लगता है, ठण्डा होने की गति निकालने से समय का अनुमान हो सकता है।

(ब) शरीर पर विभिन्न रंगों के धब्बे होना (Post mortem staining) – यह धब्बे शरीर के पृथ्वी की तरफ वाले हिस्से में होते है तथा इनका कारण रक्त का इकट्ठा होना होता है जो कि निश्चित समय पर पैदा होते है।

(स) शरीर का अकड़ना (Rigor mortis) – मृत्यु पश्चात शरीर एक निश्चित क्रम में तथा निश्चित समय में अकड़ने लगता है जिससे मृत्यु का समय मालुम किया जा सकता है।

(द) शरीर का विघटन होना या सड़ना (decomposition) – यह भी एक निश्चित क्रम में होता है तथा इसके विभिन्न लक्षणों द्वारा समय का अनुमान लगाया जा सकता है।

(य) आमाशयों तथा आंतों में भोजन की स्थिति – पचा हुआ या अपचा भोजन से भी समय निकाला जा सकता है।

(र) मूत्राशय – मूत्र की मात्रा से संभावित समय मालुम हो सकता है जैसे देर रात हुई मृत्यु में मूत्र ज्यादा मिलेगा।

PTS JODHPUR

3.**मृत्यु का कारण मालूम करना :–** यह पता लगाया जाता है कि मृत्यु प्राकृतिक (natural) है या अप्राकृतिक (unnatural)। यदि अप्राकृतिक है तो यह आत्महत्या (suicide), हत्या (homiside) या दुर्घटनावश (Aaccidental) हो सकती है तथा जिस प्रकार से मृत्यु हुई है उसके अलग–अलग लक्षण मिलते है। मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो अन्त में या तो गहरी बेहोशी (coma) हो जाती है या रक्तहीनता (shock) हो जाती है या श्वासारोध (asphyxia) हो जाता है। इन सभी के अलग–अलग कारण होते है तथा तदानुसार शव पर लक्षण भी अलग–अलग पाये जाते है। भूख, गर्मी या ठंड से, जलने से, बिजली से तथा विष द्वारा मृत्यु होने पर शरीर पर अलग–अलग लक्षणों से इनका पता लगाया जा सकता है।

4.नवजात शिशु में पता लगाना कि शिशु मृत पैदा हुआ था या जीवित।

मरणोत्तर परीक्षा की अनुमति–मरणोत्तर परीक्षा हेतु अन्वेषण अधिकारी मृतक की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर शव को रजिस्ट्रीकृत सक्षम चिकित्सक के पास भेज देता है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु के सम्भावित कारण, घाव के चिन्ह, शव का नाम, लिंग, आयु तथा परीक्षा की आवश्यकता के कारण आदि का उल्लेख अन्वेषण अधिकारी द्वारा किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बिना अन्वेषण अधिकारी की लिखित अध्यपेक्षा के मरणोत्तर परीक्षा चिकित्सक द्वारा नहीं की जा सकती है।

मरणोत्तर परीक्षा का समय–सामान्यतः मरणोत्तर परीक्षा दिन में तथा सूर्य के प्रकाश में किया जाना चाहिये, ऐसा इसलिये की शव पर आई आन्तरिक एंव बाह्य चोटों का सम्यक विधि एंव विधिवत परीक्षण हो सके, चिकित्सक को जैसे ही शव परीक्षण हेतु अप्यपेक्षा प्राप्त हो बिना विलम्ब किये शव परीक्षण कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। शव परीक्षण सार्वजनिक छुट्टी के दिन भी किया जा सकता है। जहां शव रात के समय लाया जाता है और शीत गृह की व्यवस्था नही होती, बाह्य शव परीक्षण रात में ही किया जा सकता है। बाह्य परीक्षण के अन्तर्गत शव पर बाह्य क्षति के निशान, मरणोत्तर नीला, शरीर का तापमान व मृत्युज माठिन्य आदि आते है।

मरणोत्तर परीक्षा की रिपोर्ट का प्रारुप –शव का परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है बाह्य परीक्षण (external examination) तथा आंतरिक परीक्षण (internal examination)

मरणोत्तर परीक्षा निम्न प्रारुप में तैयार की जाती है :–लाश का नाम (ज्ञात या अज्ञात) (on the body of) स्थान (place) दिनांक (date) समय (time) शव पहचान करने वाला आरक्षक/चौकीदार (body identified by police constable/ Chowdikar) अनुमानित उम्र (probable age) ऊंचाई (height) मृत्यु का अनुमानित समय (probable time since death).

बाह्य परीक्षण (External Examination) :–

1.शरीर की बनावट (condition of the body) :– इसमें शरीर की मांसलता आदि देखी जाती है जैसे मजबूत काठी (strong body) या दुर्बल शरीर (weak or emaciated body)। यह भी देखा जाता है कि शव किस अवस्था में है जैसे मुड़ा हुआ इत्यादि। कुछ बीमारियों में विष के कारण या श्वासारोध के कारण शरीर का रंग परिवर्तित हो सकता है।

2.मृत्यु के बाद की अकड़न (rigor mortis) :– अक्सर शव परीक्षण के समय शरीर अकड़ जाता है। यह देखा जाता है कि पूरा शरीर अकड़ा है अथवा उसका कोई हिस्सा।

3.शव के विघटन अथवा सड़ने की स्थिति (decomposition) :– इसमें सड़ने के लक्षण जैसे बदबू आना, शरीर का फुलना, शरीर पर धब्बे आदि लक्षण देखे जाते है।

4.पहिचान का निशान जो लाश पर हो (mark of identification) :– जैसे पुरानी चोट का निशान (scar), विकृति का निशान, मस्सा आदि।

5.आखों की स्थिति जैसी खुली, अधखुली। आखों का रंग तथा आखों में रन्द्र (pupil) की स्थिति। जैसे अफीम के जहर में इसका सिकुडा हुआ मिलना इत्यादि।

6.प्राकृतिक छिद्रों की स्थिति। जैसे कान, नाक, मुख, गुदा, मूत्र मार्ग, योनि मार्ग का वर्णन (condition of the natural orifices – ear, nose, mouth, anus, urethra & vagina)। इसमें रक्त आदि के लिये देखा जाता है।

7.चोटें :– इनमें चोटों का प्रकार जैसे नील पड़ना, खुरोंच, घाव आदि का वर्णन होता है। वह शरीर के किस भाग में है उनकी लम्बाई, चौड़ाई, गहराई तथा उनकी दिशा का वर्णन भी किया जाता है।

PTS JODHPUR

8.हाथ पैरों की स्थिति (condition of limbs) :– क्या हाथ में कोई चीज पकडी हुई है जैसे हथियार या बिजली का तार इत्यादि।

9.हड्डियों तथा जोड़ों की स्थिति :– क्या फ्रेक्चर है या जोड़ उतरा हुआ है इत्यादि।

10. जननांग तथा छातियां :– जननांग में चोट, वीर्य, रक्त आदि का मिलना। स्त्री में छातियों पर दाँतों के निशान, चोट के निशान आदि।

<u>आंतरिक परीक्षण (internal examination) :–</u>

(अ) सिर तथा ग्रीवा (head and neck)

1.खोपड़ी तथा खोपडी की हड्डियों की स्थिति – फ्रेक्चर आदि देखा जाता है। (scalp and skull bonė)

2.मस्तिष्क के ऊपर स्थित झिल्लियों (membranes over the brain) की स्थिति। उनमें रक्त आदि का पाया जाना (blood in between the membranes), मस्तिष्क के चारों तरफ तीन झिल्लियों का आवरण होता है।

3.मस्तिष्क (brain) :– इसमें रक्त, मवाद या चोट आदि का पाया जाना। जैसे मस्तिष्क में रक्त हो तो वह चोट से हो सकता है अथवा उच्च रक्तचाप आदि से।

4.खोपडी का आधार (base of the skull) :– विशेषकर चोट का मिलना।

5.रीड़ की हड्डिया :– कोई फ्रेक्चर अथवा अपने स्थान से हटी हुई।

6.मेरु रज्जु (spinal cord) :– चोट आदि का पाया जाना।

(ब) सीना (Thorax)

1.सीने की दीवारों, पसलियों आदि की स्थिति (walls, ribs and coatilages) इनमें टूट फूट, खून का इकट्ठा होना इत्यादि।

2.फेफड़े की झिल्लियां तथा सीने और पेट के मध्य स्थित झिल्ली इनमें चोट, रक्त, पानी आदि देखा जाता है। फेफड़े दो परतों वाली झिल्ली के अन्दर स्थित होते है।

3.स्वर यंत्र, मुख्य श्वास नली तथा इसकी शाखायें (larynx, traehea and bronchi) इनमें बाहरी वस्तु जैसे कीचड़, धुएं के कण, पानी, सुपारी तथा चोट आदि मिल सकते है। विशेषकर गला घोंटने पर, फांसी से लटकने पर, पानी में डूबने से आदि स्थितियों में।

4.दायां तथा बायां फेफडा (right and left lungs), इनमें पानी, रक्त या चोट के लिये देखा जाता है। जैसे पानी में डूबने पर, गला घोटने पर इत्यादि।

5.ह्रदय की झिल्ली (pericardium) इनमें पानी या रक्त के या चोट के लिये देखा जाता है।

6.ह्रदय (heart) इसमें ह्रदय आघात (heart attack), रक्त का थक्का आदि देखा जाता है। ह्रदय के अन्दर खून की मात्रा बायी तथा दायीं तरफ देखी जाती है।

7.बड़ी रक्त वाहिनियां (large vessels) ह्दय की रक्त वाहिनियां (coronoriė) जो कि ह्रदय आघात के लिये जिम्मेदार होती है के साथ ही बड़ी वाहिनियां जैसे वतजं आदि को भी देखा जाता है।

(स) पेट(Abdomen)

1.पेट की दीवारे(walls) इसका रंग, चोट के निशान, पेट का फुला होना इत्यादि।

2.पेट की झिल्ली (Peritoneum) पेट के सारे अवयव एक झिल्ली से ढके रहतें है जिसकी दो परते होती है। इन परतो में रक्त, पानी चोट आदि देखी जाती है।

3.पेट की गुहा (Abdominal cavity) पेट के अन्दर खाली जगह मे सारे अवयव होते है जैसे आतें, लीवर इत्यादि। इस गुहा मे रक्त आदि के लिए देखा जाता है।

4.मुंह, दाँत, जीभ तथा खाने की नली का अग्रभाग (Buccal cavity , teeth,tongue, and pharynx) मुंह के अन्दर बाहरी वस्तु जैसे कपडा, रक्त, कीचड आदि देखे जाते है। दाँतो की संख्या टूटे हुए दांत, नकली दांत तथा जीभ की स्थिति, जीभ का रंग आदि देखे जाते है। खाने की नली के अग्र भाग में बाहरी वस्तु आदि देखे जाते है।

5.आमाशय तथा उसकी अर्न्तवस्तुएं (Stomach & contents) आमाशय कितना भरा हुआ है उसमे पचा हुआ भोजन है या नही तथा अन्य वस्तुऐं जैसे शराब, जहर, आदि के लिए देखा जाता है।

PTS JODHPUR

6.छोटी तथा बडी आंत और उनकी अर्न्तवस्तुऐं (Small & large Intestines and their contents) आमाशय की तरह इनको भी बाहर से तथा अन्दर से देखा जाता है।

7.यकृत (Liver) तथा पिताशय (Gall bladder) इन अंगो की बनावट,रंग चोट आदि के लिए देखा जाता है।

8.अग्नाशय (pancreas) इस अंग की बनावट आदि देखी जाती है।

9.तिल्ली (spleen) तिल्ली की नाप इसमें चोट आदि देखी जाती है।

10. गुर्दे (Kidney) गुर्दों की नाप, इनमे चोट आदि देखी जाती है। शरीर में दो गुर्दे होते है।

11. मूत्र थैली (Bladder) इसमें मूत्र की मात्रा चोट के लक्षण आदि देखे जाते है।

12. जननांग (Organs of Generation) बच्चेदानी (Uterus) की स्थिति अण्डाशय (ovaries) की स्थिति, योनि तथा लिंग आदि का अध्ययन जैसे बलात्कार के लक्षण, खून, मवाद का वीर्य होना, चोट के निशान आदि ।

(द) **आंतरिक अवयव तथा दूसरे पदार्थो का संकलन** (viscera and other samples/material) कई स्थितियों में आंतरिक अवयव शरीर से निकाल कर जांच के लिए भेजे जाते है। विशेषकर जहर के द्वारा मृत्यु के सन्देह में। साधारणतया यकृत (liver) vkars (intestines) आमाश; (stomach) गुर्दे व मस्तिष्क के जांच के लिए रखा जाता है। रक्त का नमूना जैसे शराब के केस में उल्टी, जैसे जहर के कैस में तथा मूत्र को भी जांच के लिए रखा जा सकता है। आमाशय तथा आंतो में पाया गया पदार्थ अलग से सील कर रखा जाता है।

(य) **मृत्यु के तरीके तथा कारण के बारे मे राय** (Opinion as to cause & manner of death) पोस्टमोर्टम परीक्षा तथा अन्य परिस्थितियो से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार मृत्यु का कारण तथा किस प्रकार से मृत्यु हुई थी इस आशय की रिपोर्ट चिकित्सा अधिकारी इसमे वर्णित करता है। जैसे यदि गला घोटने से मृत्यु हुई तो लिखा जायेगा गला घोटने से श्वासरोध के कारण मृत्यु (death due to asphyxia because of strangulation) अन्त में स्थान, दिनांक तथा चिकित्सक के हस्ताक्षर होते है।

सड़ी हुई विघटित लाश का परीक्षण (Examination of decomposed bodies) –सड़ी हुई लाश का पोस्टमार्टम भी उसी विधि से किया जाता है जैसे कि साधारण केस में। इन लाशों में भी चोट के कई कारण स्पष्ट नजर आते है जैसे गरदन पर फंदे के निशान तथा मरणोत्तर परीक्षा में फेफड़ों में पानी का मिलना या शरीर में गोली आदि का मिलना।

क्षत विक्षत शव का परीक्षण (Examination of mutilated bodies or fragments)–चोट के द्वारा या किसी भी प्रकार से हुई मृत्यु के बाद जानवरों आदि के खाने से शव क्षत विक्षत हो सकता है। इसमें यह देखा जाता है कि शव मनुष्य का है या नही। जहां तक सम्भव हो अलग–अलग हिस्सों को जोड़ कर देखना चाहिये कि वह एक ही व्यक्ति के है या एक से ज्यादा के। हिस्से किस प्रकार से अलग हुए है इसका अनुमान उसके किनारे (margins) को देख कर लगाया जा सकता है जैसे साफ कटे हुए (धार वाले हथियार से)। विभिन्न अवयवों को देख कर स्त्री या पुरुष का पता लगाया जा सकता है जैसे लिंग या बच्चेदानी का मिलना, कूल्हे की हड्डी की बनावट इत्यादि। उम्र पता लगाने के लिए दांत, बाल, हड्डियां आदि देखी जाती है। पहचान के लिए अन्य निशान जैसे गोदना, अंगुल छाप, शरीर की या अंग की कोई विशेषता आदि से देखे जाते है। मृत्यु का कारण किसी विशेष अंग में चोट के लक्षण आदि से देखा जाता है।

हड्डियों का परीक्षण (Examination of bones)–इनमें साधारणतया यह देखा जाता है कि हड्डियां मानव की है या जानवर की, यदि मानव की है तो पुरुष था या स्त्री। एक ही व्यक्ति की है या ज्यादा की। व्यक्ति की लम्बाई क्या होगी, उम्र क्या होगी तथा मृत्यु का संभवत कारण निकालना। शरीर की विभिन्न हड्डियां जैसे कूल्हे की हड्डी, जांघ की हड्डी आदि से स्त्री, पुरुष में भेद किया जा सकता है। लम्बाई के लिये यदि सारी हड्डियां हो तो करीब 3 से.मी. जोड़ कर मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। उम्र के लिए दांतों का विशेष महत्व है इसके अतिरिक्त एक्स रे आदि से इसका पता लगाया जा सकता है। हड्डियों में मृत्यु पूर्व हुए फ्रेक्चर के द्वारा यदि वह बड़ी हड्डी में या सिर में हो तो कारण का संभवत अनुमान हो सकता है। सखियां (Arsenic), एन्टीमनी, सीसा (lead) या पारा (mercury) हड्डियों में पाया जा सकता है जिससे मृत्यु का कारण पता लग सकता है। धार वाले हथियारों से हड्डियों के किनारे साफ कटे हुए दिख सकते है जैसे कुल्हाड़ी या गंड़ासे से।

मृत्यु पश्चात शरीर पर पाए जाने वाले लक्षणों द्वारा मृत्यु के कारण का पता लगाना–पुलिस अधिकारी को शव देखकर मृत्यु के संभावित कारणों का पता लगाना होता है। इसके लिए घटना स्थल तथा शव दोनों के परीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मृत्यु के साधारण कारणों तथा उनके लक्षण का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

PTS JODHPUR

(अ) श्ंवासावरोध (asphyxia)

1.फांसी से लटकना (hanging)

• <u>फंदा या फंदे का निशान गरदन में सबसे उपरी भाग में स्थित होता है।</u>

• मुंह के एक कोने से लार (सपअं) निकली हुई मिल सकती है।

• अधिकतर यह आत्महत्या के कारण होता है इसलिये साधारणतया शरीर पर अन्य चोट आदि के लक्षण नही मिलते है।

2.गला घोंटना (strangulation)

• दूसरे के द्वारा गला घोटा जाता है इसलिए प्रतिरोध के कारण शरीर पर विभिन्न प्रकार की चोटें मिल सकती है।

• चेहरा सूजा हुआ, आंखें तथा जीभ बाहर निकली हुई, चेहरा, आंखें ललाईपन लिये हुए तथा नाक में से तथा मुंह से खून निकला हुआ मिल सकता है।

• गरदन में फंदे का निशान बीच में होता है तथा नील, खरोंच आदि मिल सकते है।

3.**दम घुटना** (suffocation) जिस प्रकार से दम घुटा है उसके लक्षण मिलेंगे। होठ, जीभ, नाखुन नीले मिल सकते है। नाक और मुंह दबाने पर चोट के निशान मिल सकते है या सीने पर दबाव हो तो सीने पर चोट के निशान मिल सकते है।

4.**पानी में डूबना** (drowning) मुंह और नाक के आसपास झाग मिल सकते है। हाथ में पानी में स्थित कोई पेड़ की शाखा या अन्य वस्तु कस कर पकड़ी हुई मिल सकती है।

(ब) चोटें (injuries) :– चोटें शरीर पर स्पष्ट होती है लेकिन कई चोटें अंदरुनी हो सकती है जिसके लक्षण बाहर मिल सकते है जैसे :–

• सिर के अन्दर की चोट में खोपडी का पिचका हुआ या उभरा हुआ मिलना (सिर पर चारों तरफ हाथ फेर कर देखना चाहिए)। चेहरे पर या आंखों के आसपास नील मिल सकती है।

• पेट के अन्दर की चोट में पेट के ऊपर नील तथा सूजन का मिलना।

• हड्डी टूटने पर हाथ पैर आदि का मुड़ा हुआ मिलना।

(स) विष (poisoning):–विष के प्रकार के अनुरुप लक्षण मिलेंगे। साधारणतया यह लक्षण मिलते है :–

• शरीर या शरीर के भाग जैसे होंठ, जीभ, नाखुन नीले मिल सकते है।

• शरीर पर उल्टी होने के लक्षण मिल सकते है।

• शरीर पर इन्जेक्शन के निशान या सर्प आदि के काटने के निशान।

• कुछ जहरों में शरीर पीला या लाल मिल सकता है।

• मुंह में या हाथ में जहर मिल सकता है या शरीर के पास जहर की शीशी आदि मिल सकती है।

• तेजाब आदि पीने पर जलने के लक्षण मिल सकते है।

(द) जलना (Burns) :– जले हुए शरीर पर चोट के निशान अवश्य देखने चाहिए तथा फफोले आदि भी नोट करना चाहिए जिससे मर कर जलने पर या जल कर मरने पर (Anti mortem and post mortem) अन्तर किया जा सके। जलने से मृत्यु होने पर अधिकतर शरीर का हर जोड़ मुडा हुआ होता है। बिजली से मृत्यु होने पर शरीर पर बिजली के करंट के प्रवेश स्थान पर तथा निकासी स्थान पर जलने के लक्षण मिल सकते है तथा हाथ में तार आदि पकड़ा हुआ मिल सकता है।

(य) भूख से, सर्दी से या गर्मी से मृत्यु :– भूख में शरीर दुबला पतला तथा सूखा हुआ मिल सकता है या कभी–कभी सूजन लिये हुए। सर्दी से मृत्यु होने पर अक्सर शरीर के जोड़ मुड़े हुए मिल सकते है। चमड़ी पर लाल रंग के धब्बे मिल सकते है। गर्मी से मृत्यु होने पर शरीर सूखा हुआ मिल सकता है लेकिन कोई विशेष लक्षण नही होता।

(र) बलात्कार तथा मृत्यु (Rape and Murder)**:–** अधिकतर बलात्कार के लक्षणों के साथ–साथ शरीर पर विभिन्न प्रकार की चोटें मिल सकती है। गला घुटा हुआ मिल सकता है। शरीर पर या बाहरी तथा आंतरिक वस्त्रों में खून तथा वीर्य के धब्बे मिल सकते है। चेहरे पर, स्तनों पर दाँतों के निशान मिल सकते है।

(ल) नवजात शिशु हत्या :– (Infanticide) शिशु के ऊपर चोट के निशान या गला घोंटने के लक्षण या विष जैसे अफीम आदि के लक्षण मिल सकते है। जानवरों द्वारा खाये जाने पर उसके अनुरुप लक्षण मिलेंगे।

Exhumation (गडी लाश को निकालकर परीक्षण करना)

PTS JODHPUR

म्गीनउंजपवद का अर्थ है गड़े हुए शव का बाहर निकालना। मरणोत्तर परीक्षा के लिये यह मुस्लिम, ईसाई तथा कुछ हिन्दुओं में संभव हो सकता है।

Exhumation के उद्देश्य :–

1.मृत्यु के बारे में शंका होना जैसे हत्या, अवैध गर्भपात, जहर आदि। इसके लिए मृत्यु का कारण तथा प्रकार आदि देखा जाता है।
2.मृतक की शिनाख्त करना। यह सिविल तथा क्रिमीनल केसेज के लिए जरुरी हो सकता है।
3.कभी–कभी मृत्यु का समय ज्ञात करने के लिए भी म्गीनउंजपवद करना पड़ सकता है।

परीक्षा :–

1.यदि शव को गाड़े हुए ज्यादा समय नही हुआ है तो साधारण तौर पर मरणोत्तर परीक्षा की जाती है।
2.यदि शरीर सड़ गया हो तो शव का लिंग, उसकी कद काठी तथा पहिचान के निशान नोट किये जाते है। शव के एक्स–रे की जरुरत पड़ सकती है।
3.बाल, हड्डियां, नाखुन सील कर लिये जाते है जिससे संख्या आदि जहरों का पता लग सके।
4.शरीर पर तथा हड्डियों पर चोट के निशान, फ्रेक्चर आदि देखे जाते है।
5.शरीर के अन्दर के अवयव सील कर लिये जाते है जिससे जहर आदि का पता चल सके।

Exhumation की समय सीमा :– भारत वर्ष में इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नही है।

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में काम आने वाली साधारण शब्दावली

Abdomen	पेट
Abdominal cavity	पेट की गुहा
Abrasions	खरोंच
Accidental	दुर्घटनावश
Asphyxia	श्वासअवरोध (ऑक्सीजन की कमी से श्वास रुकना)
Autopsy	मरणोत्तर परीक्षा
Ante Mortem	मृत्यु से पहिले
Aneomia	खून की कमी
Body	शरीर
Bruise	नील
Blisters	छाले
Cadaver	लाश
Coagulation of Blood or Clotting of Blood	खून का जमना
Clot	खून का थक्का
Coma	गहरी बेहोशी
Congestion	खून का अधिक मात्रा में इकट्ठा होना
Cyanosis	नीलापन
Decomposition of the body	शरीर का सड़ना
Drowning	पानी में डूबना
Femur	जांघ की हड्डी
Froth	झाग
Genitals	गुप्तांग
Haematoma	खून के इकट्ठा होने से हुई सूजन
Hemorrhage	खून का बहना
Hanging	फांसी से लटकाना
Homicide	हत्या
Hyoid Bone	गले की हड्डी
Infanticide	नवजात शिशु की हत्या
Intestines	आंते
Incised Wound	कटा हुआ जख्म
Kidneys	गुर्दे (वृक्क)
Ligature Mark	फंदे का निशान

PTS JODHPUR

Liver	कलेजा, जिगर, यकृत
Lividity of Cadaver	शव पर रंग का होना
Lungs	फेफड़े
Lacerated Wound	फटे हुए या कुचले हुए जख्म
Maggots	मक्खी के बच्चे (कीड़े)
Mutilated body	क्षत विक्षत शव
Esophagus	भोजन की नली
Putre Faction	शरीर का सड़ना
Pallor	पीलापन (खून की कमी)
Post Mortem	मृत्यु के बाद
Peripheral Circulatory Failure	बाहय रक्त संचालन का कम होना
Pupil	आंख की पुतली
Pelvis	कूल्हे की हड्डी
Punctured Wound	छिद्र वाला जख्म
Rigor Mortis	मृत्युपरांत शरीर की अकड़न
Rupture	फटना
Scalds	तरल पदार्थों से जलना
Scalp	खोपड़ी
Skeleton	हड्डी का ढांचा
Spleen	तिल्ली
Strang ulation	गला घोंटना
Sub Dural Hemorrhage	मस्तिष्क के उपर स्थित झिल्ली के अन्दर खून का बहना
Suffocation	दम घुटना
Semen	वीर्य
Starvation	भूख
Syncope	ह्रदय रुकने से रक्त संचार का रुकना
Shock	रक्तचाप का कम होना
Stomach	भोजन की थैली (आमाशय)
Saliva	थूक, राल
Thorax	सीना
Trachea	श्वास की बडी नली
Uterues	बच्चेदानी
Viscera	शरीर के अवयव
Wounds	जख्म

2. श्वंासरोधी मृत्यु के लक्षण व पहचान

1.**फासीः** – श्वांसरोधी द्वारा कारित मृत्यु में फाँसी का अत्यधिक प्रचलन है। इसमें ग्रीवा में रस्सी आदि बाँधकर शरीर को लटका दिया जाता हैं जिससे शरीर के भार के कारण ग्रीवा पर संकीर्णन का दबाव आ जाता हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया में शरीर के भार के कारण बन्धन की गाँठ खिसक कर ग्रीवा में कस जाती है और उसके कारण वायु मार्ग में संकुचन उत्पन्न होने से अवरोध उत्पन्न होता हैं और वायु कोष्ठों में वायु का प्रवेश अवरूद्ध हो जाता है।

लक्षण एवं पहचानः –

1.जब ग्रीवा पर रस्सी आदि को कस कर बांधा जाता है तो उस पर उसके चिन्ह अंकित हो जाना स्वाभाविक है। चिन्हों की आकृति एवं स्वरूप बन्धन के प्रयोग की रिति, बंधन के प्रकार आदि पर निर्भर करता हैं।

2.बंध चिन्हों की सतह पर खरोंच, नीलाभ, आदि के निशान भी पाये जाते हैं।

3.त्वचा के नीचे रक्तस्राव भी पाया जाता है।

4.रक्ताधिक्य के क्षेत्र भी पाये जा सकते हैं।

5.जीभ बाहर निकली हुई पायी जा सकती है।

6.कभी–कभी मुंह में लार भी टपकती हैं।
7.ग्रीवा अथवा गर्दन एक तरफ लटक जाती हैं।
8.चेहरे का रंग सफेदी लिये होता है। पहले यह पीत वर्ण का होता है और बाद में नील वर्ण का।
9.आँखों की पुतलियाँ प्रसारित हो जाती हैं।
10. मुट्ठियाँ भिंची हुई होती है।
11. ओंठ एवं नाखूनों का रंग भी नीला पड़ जाता है।
12. कुछ आन्तरिक क्षतियाँ भी हो सकती हैं।

2.**<u>गला घोटनाः</u>** – श्वांसरोधी द्वारा कारित मृत्यु के मामलों में गला घोटने की घटनायें अक्सर होती है। इसका प्रचलन अधिक हैं, क्योंकि यह सबसे आसान रीति हैं एवं इसमें किसी उपकरण अथवा वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है।

इसमें हाथ से गला दबाकर मृत्यु कारित की जाती है। हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को कण्ठ पर रखकर बलपूर्वक दबाया जाता है। यही कारण हैं कि इसे 'हस्त–कण्ठाघात' भी कहा जाता है।

<u>लक्षण एवं पहचानः</u> –
1.गला अंगुठे एवं अंगुलियों से बलपूर्वक दबाया जाता हैं, इसलिये गले पर अंगूठे एवं अंगुलियों के चिन्ह स्पष्ट प्रतीत होते हैं।
2.कभी–कभी नाखूनों के चिन्ह भी अंकित हो जाते है।
3.कण्ठ पर नील के निशान बन जाते हैं जो प्रारम्भ में लालिमायुक्त होते है, लेकिन कालान्तर में भूरे रंग में बदल जाता है।
4.अंगूठे का चिन्ह अंगुलियों के चिन्हों से छोटा होता हैं लेकिन चौड़ा एवं स्पष्ट दिखाई देने वाला होता है।
5.शरीर पर प्रतिरोध के निशान मिल सकते है।
6.चेहरे का रंग नीलवर्ण का हो जाता हैं तथा सूजन भी आ जाती है।
7.जीभ बाहर निकली हुई होती हैं तथा कभी–कभी वह दाँतों से कट जाती है।
8.नाक, मुंह एवं कान से रक्तस्राव होने लगता है।
9.मुट्ठी बंध जाती है।
10. लिंग फूल जाता हैं।
11. कभी–कभी मल–मूत्र का विसर्जन एवं वीर्य का स्खलन भी हो जाता है।

3.**<u>पानी में डुबनाः</u>** – जल में डूबकर मर जाने की घटनायें आये दिन होती रहती है। ऐसी घटनायें मुख्यतया तीन कारणों से होती है–
1.किसी को जल में डूबोकर जानबूझकर मारा जाता हैं, यह हत्या का मामला होता है।
2.कोई स्वयं ही मर जाने के लिए जल में कूद जाता है, यह आत्महत्या का मामला होता हैं।
3.कभी–कभी पानी में तैरते–तैरते या नाव में आते–आते या कंएँ पर पानी आदि खींचते हुए पाँव फिसल जाने आदि से पानी में डूबकर हो जाती हैं, यह दुर्घटना का मामला होता है।

<u>लक्षण एवं पहचानः</u> –
1.ऐसे व्यक्ति के मुंह और नाक में से श्वेत और गाढ़ा झाग निकलता है।
2.श्वासावरोध के सभी चिन्ह प्रकट होते है।
3.मुट्ठी में मिट्टी, पौधे, कीचड़ आदि जकड़े हुए मिलते है।
4.चेहरा पीला अथवा नील वर्ण का होता है।
5.चेहरे पर रक्ताधिक्य भी पाया जाता है।
6.आँखें पूरी अथवा आधी बन्द मिलती है।
7.नेत्र तारा फैले हुए तथा नेत्र श्लेष्मा पर रक्ताधिक्य पाया जाता है।
8.जीभ फूली हुई तथा बाहर निकली हुई होती है।
9.त्वचा ठिठुरी हुई लगती है।
10. कपड़े गीले होते है तथा शरीर व नाखूनों पर कीचड़ लगा होता है।
11. फेफड़े गुब्बारे की तरह फूले हुए होते हैं और वे ह्रदय पर आच्छादित होते है।
12. आमाशय व आँतों में पानी भरा होता है।
13. यकुत, प्लीहा, गुर्दा, श्वास नलिका में रक्ताधिक्य पाया जाता है।
14. रक्त झाग युक्त एवं गहरे काले रंग होते है।

PTS JODHPUR

15. हथेलियों एवं तलुवों की त्वचा सिकुड़ जाती है। यह स्थिति 12 घंटे पानी में रहने पर बनी रहती है।

<u>4. दम घुटनाः</u> – यह श्वासरोधी द्वारा कारित मृत्यु का ही एक रूप है। जिसमें वायु–प्रवेश के मार्गों में या तो भौतिक अवरोध पैदा कर दिया जाता है या फिर श्वसन–क्रिया को अवरोधित कर दिया जाता हैं। दम घुटने के मामलो में व्यक्ति का मुंह, नाक को किसी वस्तु से बंद करके श्वास नली में अवरोध उत्पन्न करके उसे ऑक्सीजन से वंचित कर दिया जाता है। इस प्रकार होने वाली मृत्यु को दम घुटना कहा जाता है।

कई बार किसी हानिकारक गैस के कारण भी दम घुट कर मृत्यु हो जाती है जैसे– सर्दियों में प्रायः घरों में कोयले की सिगड़ी उपयोग किया जाता है। जिन घरों में रोशनदान की उपयुक्त व्यवस्था न हो उनमें कमरा बंद होने पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) व कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) गैस की मात्रा अधिक हो जाती हैं जिससे कमरे में सोने वाले व्यक्ति को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नही मिल पाती जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है।

पुराने कुओं तथा खदानों में से निकलने वाली हानिकारक गैस से दम घुटने से मृत्यु हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त कई लोगों का भीड़ में दम घूटने के कारण मृत्यु हो जाती है।

<u>लक्षण एवं पहचानः</u> –

1.नाक एवं मुंह के आस–पास खरोंच एवं नील के निशान पाये जाते है।
2.मसूड़ों पर भी नीलाभ पाया जा सकता है।
3.बच्चे के वक्ष पर दबाव के निशान मिल सकते है।
4.अभिघातक श्वासावरोध में छाती पर भारी दबाव पड़ता हैं जिससे रक्त छोटी शिराओं में खिसक जाता हैं और वे फूल जाती है।
5.ऐसे मामलों में आँखें रक्त–रंजित हो जाती है।
6.मुख–मण्डल पीत वर्ण का होता हैं।
7.जिह्वा बाहर निकली हुई होती है।
8.ओंठ नील वर्ण के होते है।
9.मुंह एवं नाक से मिश्रित झाग निकलता है।
10. मस्तिष्क, यकृत, प्लीहा एवं वृक्क (गुर्दे) में रक्ताधिक्य पाया जाता है।

<u>4.बलात्कार के लक्षण व पहचान</u>

<u>परिभाषा :</u>– भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार जो पुरूष किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छः तरह की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति मे मैथुन करता है, वह पुरूष बलात्कार करता हैं, यह पाया जाता है–

1.उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।
2.उसी स्त्री की सम्मति के विरूद्ध के बिना।
3. उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति उसे मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई हो।
4.उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरूष यह जानता हैं कि उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिये दी है कि वह विश्वास करती हैं कि वह वही पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित हैं या विवाहित होने का विश्वास करती हैं।
5.उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह मन की विकृत चित्तता अथवा किसी जड़िमाकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के सेवन के कारण उस कार्य की, जिसके लिए उसने सम्मति दी हैं, प्रकृति एवं उसके परिणाम जान सकने में असमर्थ रही हो।
6.उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के जब कि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

<u>बलात्कार के लक्षण एवं पहचानः</u> –

1.पीड़िता के कपड़ों पर वीर्य, खून और बाल चिपके हो सकते है तथा संघर्ष में झड़कर गिर सकते है उन्हें एकत्र किया जाये और उन्हें थ्ैण्स्ण् में जांच हेतु भेजा जाए।
2.पीड़िता के शरीर पर पड़ी खरोचों तथा एक–दूसरे के शरीर पर हंस्तातरित सिर के बाल और पश्य आदि की तलाश की जाए।
3.खून और बाल आदि के सुराग के लिए नाखूनों की जांच की जाए।

PTS JODHPUR

4.पीड़िता के गुप्तागों मे स्थित द्रव प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए तथा प्रयोगशाला में इसकी जांच करवाई जाएं।
5.योनि में किसी प्रकार की क्षति की आंशका होने पर डॉक्टरी जांच करायी जाए विशेष कर जब पीड़िता अविवाहिता हो। पुलिस कर्मी महिला की इज्जत का पूर्ण ध्यान रखे।
6.अभियुक्त के शरीर पर मैथुन व खून के धब्बे, घटनास्थल की धूल और वनस्पति आदि को एकत्रित किया जाएं।
7.घटनास्थल पर फर्श या बिस्तर पर संघर्ष के चिन्ह व हाथापाई के निशान भी महत्वपूर्ण साक्ष्य बलात्कार के मामले की पुष्टि में मदद करते है।
8.घटनास्थल की मिट्‌टी के नमूने एकत्र कर लिए जाऐं ताकि अपराधी के शरीर और कपड़ो पर पाई गई मिट्‌टी से उसकी तुलना की जा सके।

4. हत्या एवं आत्महत्या में अन्तर व दोनों के प्रमुख लक्षणः –कई बार पुलिस को किसी व्यक्ति की हत्या करके उसे आत्महत्या में बदलने से संबंधित मामले की सूचना प्राप्त होती है। इससे पुलिस के समक्ष दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इस बात का निर्धारण करना थोड़ा कठिन हो जाता हैं कि वह व्यक्ति फांसी पर लटकने के बाद मरा या मार कर लटकाया गया है। निम्नलिखित भेदों के आधार पर यह पता लगाया जा सकता हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु फांसी देने से हुई हैं (अर्थात् उसे मरने से पहले फांसी दी गई हैं) या उसकी मृत्यु के बाद फांसी पर लटकाया गया हैं अर्थात् उसे पहले मार कर बाद फांसी पर लटकाया गया है। अतः अन्वेषण अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह निम्नलिखित बातों के आधार पर फांसी पर लटकने या मारकर फांसी पर लटकाने का पता लगाए।

हत्या एवं आत्महत्या में अन्तर

मृत्यु से पुर्व फांसी या फांसी पर लटकाना	**मृत्यु के बाद फांसी या मारकर लटकाना**
1.लार मुंह के निचले भाग से टपक रही होगी। 2.मृत्यु से पहले फांसी लेने या आत्महत्या करने के मामलों में केवल एक गांठ ही मिलेगी। 3.फंदे का निशान गर्दन के ऊपर अधूरा और तिरछा होगा। गॉठ के पीछे होगी। 4.जीभ बाहर निकली हुई या दांतों के बीच फंसी होगी। 5.शरीर के निचले भागों में नीलगू (नीले) निशान होता है। 6.फंदे का चिन्ह फोड़े की तरह दिखाई देगा। 7.होठ, नाखून इत्यादि नीले पड़ जाते हैं। 8.मल–मूत्र या वीर्य कपड़ों में पाया जाता हैं।	1.इसमें मुंह से लार नहीं टपकती है। 2.इसमें एक गांठ भी मिल सकती हैं लेकिन अधिकतर एक से अधिक गांठे पाई जाती है। 3.इसमें यह आवश्यक नहीं हैं गांठे सामने या बराबर में पाई जा सकती हैं और फंदे का निशान पूरा भी मिल सकता हैं । 4.जीभ मुंह के अन्दर ही रहती है। 5.नीलेपन के चिन्ह शरीर के अन्य भागों में भी पाये जा सकते हैं। 6.फंदे का चिन्ह फोड़े की तरह दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं है। 7.इसमें ऐसा पाया जाना जरूरी नहीं है। 8.इसमें मल–मूत्र या वीर्य कपड़ों पर नहीं पाया जाता हैं।

आत्महत्या में फांसी	मारकर लटकाने में फांसी
1.फंदे का निशान गर्दन के ऊपर अधूरा और तिरछा होगा। 2.शरीर पर हिंसा के चिन्ह या चोट के निशान नहीं मिलेंगे। 3.आत्महत्या के मामले में अधिकतर एक ही गांठ मिलेगी। 4.दरवाजा अन्दर से बंद होगा। 5.आत्महत्या में प्रयुक्त सहायक सामग्री जैसे कुर्सी या स्टूल इत्यादि मौके पर मिलेगी।	1.गर्दन के निचले भाग में फंदे का चिन्ह गोल व लगातार एक ही जगह पाया जाएगा। 2.शरीर पर चोट या हिंसा के चिन्ह मिलेंगे। 3.कई गांठे फंदे मिल सकती है। 4.दरवाजा खुला होगा या बाहर से बंद होगा। 5.इसमें सहायक सामग्री मिलना जरूरी नही है। इसमें कुछ भौतिक चिन्ह घटनास्थल से दूर पाये जा सकते हैं।

PTS JODHPUR

मरणोत्तर परीक्षा का समयः— सामान्यतः मरणोन्तर परीक्षा दिन में या सूर्य के प्रकाश में किया जाना चाहिये, ऐसा इसलिये कि शव पर आई आन्तरिक व बाह्य चोटों का सम्यक विधि एवं विधिवत परीक्षण हो सके, चिकित्सक को जैसे ही शव परीक्षण हेतु अध्यपेसा प्राप्त हो बिना विलम्ब किये शव परीक्षण कार्य आरम्भ कर देना चाहिये। शव परीक्षण सार्वजनिक छुट्टी के दिन भी किया जा सकता है। जब शव रात को लाया जाता है और शीतगृह की व्यवस्था नहीं हो तो शव परीक्षण रात में ही किया जा सकता है। बाह्य परीक्षण के अन्तर्गत शव पर बाह्य क्षति के निशान मरणोन्तर नीला, शरीर का तापमान व मृत्यु जन्य काठिन्य आदि आते है।

अतिरिक्त — राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम अध्याय 6 के प्रावधान

6.30 मृत्यु समीक्षा (मरणान्वेषण) — किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक या अकस्मात मृत्यु की सूचना यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मिले तो जबकि ऐसे व्यक्ति का शव उसके पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में हो वह इसकी सूचना मरणान्वेषण के लिए अधिकृत निकटतम मजिस्ट्रेट को तुरन्त देगा और स्वंय जहॉ शव पडा है वहॉ के लिए प्रस्थान करेगा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 {194 BNSS}के अनुसार अन्वेषण का कार्य अपने हाथ में लेगा। जब उप निरीक्षक प्रभारी पुलिस स्टेशन , बीमारी के कारण या अनुपस्थिति के कारण पुलिस स्टेशन पर न हो और मामले का क्रियान्वयन न कर सके तो जैसे ही सुविधाजनक स्थिति में आएँ उस स्थान के लिए प्रस्थान करेगा जहा कि मृत व्यक्ति पाया गया है और स्वंय व्यक्तिगत रूप से अन्वेषण के परिणामों को प्रमाणित करेगा।

(2) ऐसे मामले जिनमें शव प्राप्त न हुआ हो या जला दिया गया हो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 {194 BNSS}के अन्तर्गत कोई अन्वेषण नही किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में जहॉ सन्देह करने के समुचित आधार हो कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो पुलिस मामला पंजीकृत करेगी और अन्वेषण प्रारम्भ करेगी।

निम्न मामले इस नियम में अपवाद समझे जायेंगे—

(क) यदि कोई मृत्यु , सैनिक , बन्दीगृह या सिविल कारागृह की दीवारों में हिंसा द्वारा हो तो पुलिस मृत्यु के कारणो के बारे मे कोई अन्वेषण नही करेगी जबकि मृत्युन्वेषण किसी प्राधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया हो।

(ख) कोई अप्राकृतिक या अकस्मात मृत्यु कारागृह की दीवारों के भीतर होने की सूचना वरिष्ठ मजिस्ट्रेट जो मुख्यालय पर उपस्थित हो को तुरन्त देगा और स्वंय कारागृह के लिए रवाना हो जायेगा और शव के पास रक्षकदल नियुक्त करेगा। जब तक मजिस्ट्रेट न आ जाए न तो शव का और न ही उन वस्तुओं को जिनसे कि मृतक की मृत्यु हुई है हटाया जायेगा।

6.31 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 {194 BNSS}के अन्तर्गत अन्वेषणः—

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 {194 BNSS}के अन्तर्गत जब मामला अकस्मात या अप्राकृतिक मृत्यु का हो तो अन्वेषण में भाग लेने हेतु उन प्रतिष्ठित निवासियों को चुना जाए जो मामले में विशेष जानकारी रखते हो और जो ऐसे अन्वेषण के लिए उपयोगी हों।

6.32 मृत्यु के घटना स्थल पर अन्वेषण अधिकारी की कार्यवाहीः—

जहॉ शव पडा हुआ मिले अन्वेषण अधिकारी वहॉ पहुॅचते ही निम्न प्रकार कार्य करेगाः—

(1)वह मृत्यु के कारणों को जो साक्ष्य हो नष्ट होने से रोकेगा।

(2) वह शव के चारों ओर भीड को जमा होने से और पद चिन्हों अंगुली चिन्हों को बिगडने से रोकेगा।

(3) वह मृत शरीर के पास अनावश्यक भीड को बढने से तब तक रोकेगा जब तक कि अन्वेषण समाप्त न हो जाए।

(4) वह उपर्युक्त बर्तनों से पदचिन्हों को जब तक आवश्यक हो ढकेगा।

(5) वह मृत्यु के दृश्य का सही मानचित्र बनायेगा और उसमें मामले की उचित समझ के आवश्यक लक्षणों का लिखेगा।

(6)यदि कोई चिकित्सक या दूसरा अधिकारी घटना स्थल पर न आये तो वह अन्य व्यक्तियों के साथ जो अन्वेषण कर रहा हो ,शव की सावधानीपूर्वक परीक्षा करेगा और दिखाई देने वाले समस्त असाधारण लक्षणों को लिखेगा।

(7) वह शव के शरीर को ढके रहने वाले कपडों के अलावा अन्य सब कपडे आभूषण और ऐसी वस्तु जिससे मृत्यु हुई हो या मृत्यु से सम्बंधित हो को वहॉ से हटायेगा और उसको सीलबन्द करेगा और उसकी सूची बनायेगा।

सूची में जो वस्तु जिस स्थिति में मिली हो उसका वर्णन करेगा और कोई रक्त का धब्बा, चिन्ह नोट अथवा अन्य ध्यान देने योग्य तथ्य जो इन वस्तुओं से सम्बंधित हो लिखेगा। ऐसे धब्बों चिन्हों चोटों इत्यादि की संख्या और आकार को भी सूची में प्रविष्ट किया जायेगा।

PTS JODHPUR

ऐसी वस्तु या पार्सल जिसमें कि ये वस्तुऐं बन्द की गई है के साथ चिन्ह और सील का प्रतिरूप संलग्न किया जायेगा और उनकी सूची के साथ संलग्न या सूची में लिखे जायेगे।

(8)यदि शव पहचाने जाने योग्य न हो तो मृत व्यक्ति के अॅगूली चिन्ह लेगा।

(9)शव के फोटो एवं घटनास्थल के दृश्य साक्ष्य में बडा महत्व रखते हैं।

6.33 शवों को खोदकर निकालना (शवोत्खनन):–

शवों को खोदकर निकालने के सम्बंध में निम्नलिखित नियम हैं:–

(1) किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक या अकस्मात मृत्यु का अन्वेषण कर रहा हो यह मालूम होने पर कि मृत व्यक्ति का शव औपचारिक रूप से जला दिया गया है या गाड दिया गया है तो ऐसी सूचना जो उसके पास पहॅुची है उसे लिखेगा और वे कारण भी लिखेगा जिनके आधार पर वह उस शव को खुदवाकर निकलवाना आवश्यक समझे।

(2)वह इस प्रकार लिखी गई सूचना को निकटतम अधिकृत मजिस्ट्रेट को भेजेगा, जो मरणान्वेषण करता हो और उससे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176(3) {196(3) BNSS}के अन्तर्गत आदेशों की मॉग करेगा और इस अवधि में कब्र को सुरक्षित रखेगा।

(3)ऐसे आदेश प्राप्त होने पर यदि मजिस्ट्रेट मरणान्वेषण के लिए उपस्थित न हो तो ऐसा पुलिस अधिकारी दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित पडौसी निवासियों की उपस्थिति में शव को खोद कर निकालेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 {194 BNSS}के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(4) पुलिस अधिकारी अन्वेषण प्रारम्भ करने से पूर्व साक्षियों से खोदकर निकाले गये शव की पहचान करायेगा।

(5) जब किसी शव को कब्र में लिटाये तीन सप्ताह से अधिक अवधि हो गई हो तो किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा कब्र को तब तक नही खोदा जायेगा जब तक सिविल सर्जन की राय प्राप्त न हुई हो और तब भी जिला मजिस्ट्रेट की सहमति ली जायेगी।

6.34 मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट:–

(1) अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण समाप्त होते ही एक प्रतिवेदन तैयार करेगा। यह प्रतिवेदन कार्बन विधि से दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिस अवस्था में मृत व्यक्ति मिले उसके अनुसार ही प्रपत्र संख्या 6.34 (1) (अ),(ब) या (स) का प्रयोग किया जायेगा।

(अ) प्राकृतिक कारणों से,

(ब) हिंसात्मक कारणों से, तथा

(स) विष के कारण

(2) ऐसे प्रतिवेदन में मृत्यु के प्रकट के कारण बताये जायेगे, शव पर हिंसा के चिन्ह , एक या अधिक मात्रा में पाये जाये उनका वर्णन लिखा जायेगा और वह ढंग तथा उस हथियार का वर्णन किया जायेगया जिससे ऐसे चिन्ह बने जान पडते हों।

(3)अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये जायेगे और दूसरे वे सब व्यक्ति जिन्होने अन्वेषण में सहायता की हो हस्ताक्षर करेगे तथा यह प्रतिवेदन बिना किसी विलम्ब के वृत अधिकारी के माध्यम से क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा।

(4) निम्नलिखित अभिलेख इस प्रतिवेदन के प्रमुख भाग होंगे:–

(अ) मृत्यु के घटना स्थल का मानचित्र,

(ब) कपडों आदि की सूची।

(स) शव पर या शव के साथ सामान की सूची यदि शव को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भिजवाया गया हो,

(द) चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजे गये सामान की सूची।

(5) ऐसी मृत्यु जो फॉसी देकर की गई हो का प्रतिवेदन लिखते समय उॅचाई और सहारे की उपयुक्त्ता और शव के भार को सहन करने के लिए काम मे लाई गई वस्तु की प्रकृति का विवरण अंकित किया जाना चाहिए पानी में डूबने वाले मामले में पानी की गहराई बताई जायेगी।

(6) ऐसे प्रतिवेदन की कार्बन प्रति पुलिस स्टेशन के रजिस्टर संख्या 4 नियम 3.46 में रखी जायेगी।

(7) रेलवे दुर्घटना के कारण यदि मृत्यु हुई हो तो ऐसे समस्त प्रतिवेदनों की एक प्रति रेलवे पुलिस अधीक्षक को भेजी जायेगी, जो रेलवे पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा बनाई गई हो।

टिप्पणी:–उल्लेखनीय है कि मृत्यु समीक्षा के दौरान तैयार किये जाने वाले पंचनामें में अभियुक्त का नाम जाना आवश्यक नही है (शेख अयूब बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट एआईआर 1998 एससी 1285)

PTS JODHPUR

ठीक ऐसा ही मत '' अमरसिह बनाम बलविन्दर सिंह (एआईआर 2003 एससी 1164) के मामले में अभिव्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में घटना कारित होने की रीति एवं अभियुक्त का नाम होना आवश्यक नही है।

6.35 शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) कब और किसके द्वारा किया जाएगाः—

(1) किसी योग्य सर्जन द्वारा शव का परीक्षण सम्बंधी विधिक आवश्यकताऐ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 {194 BNSS}में विहित है। ऐसे प्रत्येक मामले जिसमें मृत्यु आत्महत्या या नर हत्या दुर्घटना या संदेहास्पद कारणों से हुई जान पडें और जहॉ मृत्यु के सही कारणों में कोई भी शंका हो या अन्वेषण अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 या 174 {176 या 194 BNSS}के अन्तर्गत समाधान की आवश्यकता हो तो शव को निकटतम चिकित्सकीय अधिकारी के पास भेजा जायेगा जो किसी सरकार द्वारा शव परीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो । शव को उन्ही दशाओं में चीरफाड के लिए भेजने से रोका जाएगा जबकि परिस्थितियॉ ऐसी हो कि चीरफाड करना कठिन और व्यर्थ हो।

(2) नियमों की यह अपेक्षा है कि शव को निकटतम योग्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाये। कुछ अपवादों में छोडकर चिकित्सा अधिकारी को शव परीक्षण के लिए घटना स्थल पर या घटना स्थल के पास के स्थानों पर नही बुलाया जायेगा। जब कभी शव ऐसी परिस्थिति में मिले कि उसको वहॉ से हटाये जाने पर वह चिकित्सा अधिकारियों के लिए परीक्षण के योग्य न रहे और वह चोटों के प्रकार और मृत्यु के कारणों का सही पता लगा सके तो शव को वहॉ से न हटाया जाये। ऐसे मामले में यदि अन्वेषण अधिकारी यह सोचे कि न्याय हित में विशेषज्ञ द्वारा पोस्टमार्टम परीक्षण आवश्यक है तो वह योग्य चिकित्सा अधिकारी से घटना स्थल पर चलकर परीक्षण करने के लिए निवेदन करेगा।

(3)ऐसे मामलों में जहाँ शव को न तो चिकित्सा अधिकारी के पास भेजना सम्भव हो और न घटना स्थल पर चिकित्सा अधिकारी को बुलाना सम्भव हो तो अन्वेषण अधिकारी अपनी इच्छा से निकटतम दुसरे राजकीय चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना करेगा, चाहे उसको शव परीक्षण का अधिकार ही न हो। वह अपने शरीर सम्बन्धी ज्ञान और दूसरी विशेषताओं के आधार पर चोटों आदि के कारणों और प्रभावो को जानने में सहायता देगा। ऐसे अधिकारी शव पर किसी प्रकार की चीरफाड करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

("परन्तु सडक और रेल दुघर्टनाओं के मामले में यदि अन्वेषण अधिकारी को मृत्यु के कारण के बारे में कोई सन्देह नहीं हो तो शव परीक्षा के लिए भेजना उनके लिए आवश्यक नहीं होगा।")राजस्थान राजपत्र भाग —ग(1) दिनांक 28.09.2014 में प्रकाशित द्वारा परन्तुक जोडा गया।

शव परीक्षण का मुख्य उद्देश्य मृत्यु के कारणों एवं अन्य परिस्थितियों का पता लगाना है, जैसे—

(क) चोट या घाव मृत्यु से पूर्व का है या बाद का,

(ख) चोट कारित करने में कैसे हथियारों का उपयोग किया गया है।(ठाकुर बनाम स्टेट,ए.आई.आर. 1955 इलाहाबाद 189)

6.36 शव परीक्षण(पोस्टमार्टम) और पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही—जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाये तो निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाये—

1.अन्वेषण अधिकारियों द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रपत्र संख्या6.36(1) में सावधानीपूर्वक लिखा जावे।शव पर पाये जाने वाले कपडे, बाह्य पदार्थ जो शव में प्रविष्ट कराये गये हो और ऐसे उपकरण जो मृत्यू के कारण बनें और शव में रह गये हों या शरीर पर पायें जायें तो उनको जिस स्थिति में सुरक्षित रखा जाये तथा जब तक संभव हो तो सावधानीपूर्वक इनको नियम संख्या 6.39 के अनुसार अलग से बॉंध लिया जाये।

2.शव को खराब होने व सडने से बचाने के लिए जँहा तक संभव हो शव पर 10% फॉर्मलीन का घोल छिडका जायेगा और क्लोराइड ऑफ लाइम को पानी में मिलाकर लगाया जायेगा। जिन शवों को दूर ले जाना हो उन पर सूखा क्लोराइड ऑफ लाइम छिडका जायेगा अथवा टीन के बक्सों में बंद व्यापारिक कार्बोलिक पाउडर को जालीदार ढक्कन से, जो खास तौर से छिडकने के लिए बनाया जाता है, छिडका जायेगा। कोयले के चूरे का उपयोग वर्जित है क्योंकि इसके द्वारा बने धब्बे पोस्टमार्टम परीक्षण में जटिलताएँ उत्नन्न करते हैं।

3. शव को एक चारपाई पर या हल्की पालकी पर रखा जायेगा और उसको धूप,मक्खियों एंव मौसम में खराब होने से बचाया जायेगा।पालकी को शव परीक्षण के लिए नियत किए गये स्थान पर भेजा जायेगा और इसके लिए साधन का प्रयोग करते समय मौसम, दूरी व शव की दशा एंव परिस्थितियों को देखते हुए,जैसा अन्वेषण अधिकारी उचित समझे,करेगा। अगर शीघ्र आवश्यक हो तो ऐसे शव व उसके स्थान वाले रक्षक दल व साथियों को किराये पर मोटरगाडी लेकर पहुँचाया जा सकता है।

PTS JODHPUR

4.शव को चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाते समय रास्ते के आसपास जो भी पुलिस हो वह शव को शीघ्र पहुँचाने में सहायता देगी।

5. वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने सर्वप्रथम शव,जिस अवस्था में पाया गया हैं,को देखा हो और ऐसे शव को रास्ते में ले जाने पर उसके बिगडने की संभावना हो अथवा इसके आवरण में कोई परिवर्तन होने की आशंका हो तो वे जब तक परीक्षण पूरा न हो शव को अपने संरक्षण में रखेंगे। यदि अतिरिक्त रक्षक की आवश्यकता हो तो शव–गृह पर एक सन्तरी लगाया जायेगा।परन्तु वे अधिकारी जो शव के साथ घटना स्थल पर आये हों मृत व्यक्ति को शव परीक्षण करने वाला चिकित्सा अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से संभालेगें और साथ ही सारे प्रतिवेदन एंव सामग्री जो अन्वेषण अधिकारी ने परीक्षण में सहायता हेतु भेजी है, उसे भी संभलायेगे। पोस्टमार्टम प्रतिवेदन को प्राप्त कर अन्वेषण अधिकारी को इससे अवगत करायेंगे।

6.ज्योंही चिकित्सा अधिकारी इस बात की सूचना दे कि उसने परीक्षण पूरा कर लिया है और यदि पुलिस अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कोई अन्य आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा न मिले हो तो शव को मृतक के रिश्तेदारों या मित्रों को सौपेगे। यदि कोई रिश्तेदार या मित्र न हो या शव को लेने से इन्कार करें तो वे शव को नियमानुसार गाड देंगे अथवा जला देंगे।

6.37 न पहचाने गये शव (लावारिस शव)–

यदि कोई शव न पहचाना जा सके तो अन्वेषण करने वाला अधिकारी सावधानीपूर्वक सारा विवरण लिखेगा और उसमें सब चिह्न, विशेषताये, कमजोरियाँ, विशेष प्राकृतिक बनावट बतायेगा और उसके अँगुल चिह्न लेगा। इसके अतिरिक्त शव की पहचान के समस्त प्रयत्न करेगा। यदि संभव हो तो उसके फोटो लेगा और यदि ऐसा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण मामले से समबन्धित हो तो गुप्तचर विभाग के राजपत्र में इसका विवरण प्रकाशित करवाया जायेगा। न पहचाने गये शव को किसी दान संस्था को सौंप दिया जायेगा जो उनको लेने के इच्छुक हों और यदि ऐसी कोई संस्था लेने को तैयार न हो तो शव को जला या गाड दिया जायेगा।

6.38 घायल व्यक्ति के साथ भेजे जाने वाले प्रपत्र–

जब घायल व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जाये तो अन्य प्रतिवेदनों के साथ प्रपत्र संख्या 6.36(1) भी भेजा जायेगा। इसको कार्बन कॉपी विधि द्वारा तैयार किया जायेगा और डुप्लीकेट प्रति उस पुलिस अधिकारी को दी जायेगी जो घायल व्यक्ति के साथ जा रहा हो अथवा जिसके संरक्षण में घायल भेजा जा रहा हो।

6.39 चिकित्सकीय परीक्षण की सामग्री कैसे भेजी जाये–

1. शव अथवा घायल व्यक्ति के साथ चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जो सामान भेजा जाना हो, उसे उस व्यक्ति के संरक्षण में भिजवाना चाहिए जो शव अथवा ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहा हो।

2. जब घायल व्यक्ति या शव न भेजा जाये तब ऐसा सामान एक पुलिस अधिकारी के साथ भिजवाना चाहिए जो उनको प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पास पहुँचायेगा।

6.40 रासायनिक परीक्षण–

(1) सम्पर्क करने का तरीका– पुलिस अधीक्षक ही रासायनिक परीक्षको से पत्र–व्यवहार के लिए अधिकृत है और ये ही रासायनिक परीक्षकों को मानव विषपान के अतिरिक्त समस्त मामलों की परीक्षण योग्य सामग्री को सीधें ही भेजते हैं। मानव विषपान सम्बन्धी समस्त मामलो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी की मार्फत भेजे जाते है।

(2) रासायनिक परीक्षण योग्य सामग्री– रासायनिक परीक्षण के लिए जो सामग्री बॉधकर भेजी जाये उसके लिए निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाये–

1. द्रव, कै (उल्टियॉ) आदि एक स्वच्छ चौडें मुॅह वाली बोतल या ग्लेज्ड जार में रखे जायेंगे। डाटा या कार्क, जिनसे कि बोतल को बन्द किया जायेगा, वे ब्लेडर, चमडें या कपडें के होगे। डोरें की गॅठों पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी की सील लगाई जायेगी।

इन बोतलों और जारों को कुछ समय के लिए उलट कर इस बात की जॉच की जायेगी कि ये टपकती तो नहीं हैं।

2. दवाइयॉ या विष जो सूखे पदार्थो हों, इसी प्रकार जार बॉधे जायेगे अथवा मुहरबंद पार्सल में रखे जायेंगे।

3. समस्त दृष्टिगत संदिग्ध वस्तुयें जिन पर धब्बें हों, उनको परीक्षण के लिए भेजने और बन्द करने से पूर्व भली–भाति सुखा लेना चाहिए। ऐसे मामलो में जहॉ दृष्टिगत वस्तुओं को सुखाने पर टूटने का डर हो तो, उनको सावधानीपूर्वक उपर रखकर, तब तक लकडी के बक्से में बन्द करना चाहिए।

4. खून के धब्बे लगे हथियार, कपडें या अन्य सामग्री पर मुहर लगाई जायेगी और उनको मुहर लगे पार्सल में रखा जायेगा तथा सारी वस्तुएँ भेजी जायेंगी।

PTS JODHPUR

5. तीखे किनारे और नुकीनी वस्तुयें, जैसें– तलवार, भाले इत्यादि बक्से में बन्द किए जायेगे और उनको कपडे में लपेटा जायेंगा क्योंकि ये रास्ते में बॉधी जाने वाली सामग्री को काट सकते हैं और फिर उसकी सुरक्षा सम्भव नहीं है।

6. प्रत्येक बोतल, जार, पार्सल और प्रत्येक वस्तु पर लिखकर लेबल को उस वस्तु पर लगाया जायेगा जिससे कि अलग–अलग पहचान हेा सके और यह लिखा जायेगा कि प्रत्येक वस्तु कहॉ से प्राप्त हुई है।

ऐसे लेबल पर मुहर लगाई जायेगी और मुहर का दूसरा भाग बोतल, जार अथवा पार्सल को बॉधनें में उपयोग में लाया जायेगा।

ऐसे लेबल की एक प्रति और मुहर का दूसरा भाग मृत्युन्वेषण प्रतिवेदन में और पशुओं को देने के मामले में केस डायरी में दिया जायेगा।

7. जहॉ तक हो सके दृश्य वस्तुओं पर कोई भी अक्षर अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, जिससे के वे वस्तुओं का विश्लेषण करने में बाधक हों।

8. जमीन के धब्बों को ऊन में सावधानीपूर्वक रखकर लकडी के बक्सें में बन्द करना चाहिए।

नोट–(क) ऐसे मामले जिनमें मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई हो उनको रासायनिक परीक्षक के पास नहीं भेजा जायेगा।चिकित्सा अधिकारी को ऐसे मामले तय करने के लिए स्वीकार करने चाहिए।

(ख) ऐसे मामले जो रासायनिक परीक्षक के पास भेजने के हों, चिकित्सा अधिकारी किसी भी हालत में उनकी परीक्षा करने का प्रयत्न नहीं करेगे।

(ग) हत्या के मामले,जो चोट या उपद्रव के कारण हुए हों उनकी दृष्टिगत वस्तुयें सीधी रासायनिक परीक्षक के पास भेजीं जायेंगी। यह विधि जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के अनावश्यक पत्र–व्यवहार को समाप्त करती है और इससे समय की बचत होती है।

(घ) ऐसे मामले जो चोट पहुँचाने या हिसां के कारण हुए हो उनकी समस्त सामग्री को एक लिफाफे में रखकर भेजना चाहिए। अलग–अलग न भेजकर परीक्षा के खर्च को कम करना चाहिए।

(ड) हत्या के मामलें में नाखूनों को खून की जाँच के लिए भेजना व्यर्थ होगा क्योंकि कोई भी न्यायालय अपराधी के नाखूनों में लगे खून को साक्ष्य में अधिक महत्त्व नहीं देता है।

(च) पेट की नलियाँ चिकित्सालय में पारे के घोल में, सुविधापूर्वक रखी जाती है।उनको काम में लेने से पूर्व पानी से सुविधापूर्वक धो लेना चाहिए। पारे के कण जो दुसरे विष के साथ पेट में पाये गये हों, मामले के सफलतापूर्वक संचालन में बाधा डाल सकते हैं।

(छ) कभी–कभी प्रतिवेदन की प्रतिलिपियाँ पढने में कठिनाई आती है, अतः उनको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए।

(ज) जो वस्तुयें रासायनिक परीक्षक के पास भेजी जायें और उनके साथ जो प्रतिवेदन भेजा जाये, उसमें उन वस्तुओं के बारे में विशेष संकेत देना चाहिए जिनको न्यायालय में प्रेषित किया जाना है।

(3) ऐसा कोई अभिलेख जो रासायनिक परीक्षक या उनके सहायक से प्रतिवेदन के रूप में प्राप्त हो तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 292 व 293(क) और (ख) {328 व 329(क)(ख)BNSS}के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने योग्य है।

(4) रासायनिक परीक्षक के पास सामग्री को भेजते समय सामान को बाधने के लिए निर्देश व सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए। परीक्षक प्रतिवेदन और सामान को बांधनें व सुरक्षित रखने के लिए निर्देश परिशिष्ट 6.40 (4) में दिए गये है।

6.46 चिकित्सा अधिकारी का प्रतिवेदन(मेडिको लीगल रिपोर्ट)–

(1) जब चिकित्सा अधिकारी, व्यक्ति, शव या वस्तु का परीक्षण कर ले तो जिस परिणाम पर वह पहुंचे, उसका पूर्ण विवरण लिखेगा और शव परीक्षण के मामले में मृत्यु के कारणों के बारे में वह अपनी राय देगा। कोई भी वस्तु, जो वह रासायनिक परीक्षक को भेजना चाहे उसकी सूची भी बनायेगा। यह विवरण प्रपत्र संख्या 6.36(1) के पीछे लिखा जायेगा अथवा उसके साथ संलग्न किया जायेगा। यह प्रतिवेदन उस व्यक्ति या वस्तु से संबंधित होगा, जिससे कि कोई भी संभव संदेह बाकी न रह जाये जिस मामले पर यह विवरण लागू होता है।

(2) प्रतिवेदन को मामले की पुलिस फाईल के साथ रखा जायेगा और चिकित्सा अधिकारी जब साक्षी दे रहा हो तो अपनी याददाश्त को पुनः ताजा करने मे इसे काम में ले सकेगा।

आपराधिक मामलों में चिकित्सीय परीक्षण तथा चोट प्रतिवेदन पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे प्रतिवेदन में चोट की प्रकृति, समय, चोट कारित किये जाने में प्रयुक्त हथियार आदि का विस्तृत उल्लेख किया जाता है। चोट प्रतिवेदन को सामान्य भाषा में 'एम. एल. सी.' कहा जाता है। इसका प्रारूप निम्नानुसार होता है–

PTS JODHPUR

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान
चोट प्रतिवेदन पत्र

चोट प्रतिवेदन श्री.................................. पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री .... आयु .... जाति .... निवासी .... पुलिस प्रतिवेदन संख्या .... दिनांक .... संलग्न है।

चोट का स्वरूप कटाव, घाव कुचलना आदि	प्रत्येक चोट का आकार इंचों में लंबाई	शरीर के कौन से अंग पर लगी	सामान्य या गंभीर
1	2	3	4
किस प्रकार के हथियार से लगी	चोट ग्रस्त व्यक्ति के पहचान चिह्न	एक्सरे तजबीज	विशेष विवरण
5	6	7	8

टिप्पणी– गम्भीर चोट का वर्णन
1. यहां उस व्यक्ति का नाम लिखिये जिसे चोट पहुॅची।
2. यहॉ किसका/किसकी, पुत्र/पुत्री/पत्नी(जो भी हो) लिखिये।
प्रथम – पुंस्त्वहरण।
द्वितीय– किसी भी कान की श्रवण या किसी भी ऑख की ज्योति की स्थायी हानि
तृतीय– जोड के किसी कान से स्थायी या अस्थायी रूप से सुनना रूका जाना।
चतुर्थ– जोड़ किसी भी अंग की शक्ति का स्थायी रूप से नाश हो जाना या स्थायी रूप से अलग हो जाना।
पंचम– सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत हो जाना।
सप्तम– ऐसी चोट जी जीवन के लिए घातक हो या चोट लगने वाले को 20 दिन तक तीव्र शारीरिक दर्द पहुॅचाती है या उसे दैनिक चर्यानुपालन में असमर्थ करती हैं।

घटना स्थल प्रबन्धन

(क)घटनास्थल पर की जाने वाली कार्यवाहियों का व्यावहारिक ज्ञान–किसी भी अपराध के अनुसंधान में घटनास्थल का बहुत महत्त्व है। घटना स्थल के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अनुदेशक एक काल्पनिक घटनास्थल तैयार करें तथा प्रशिक्षुओं को घटनास्थल की जानकारी देकर उनकी प्रेक्षण क्षमता बढानें का प्रयास करें। इस हेतु प्रशिक्षुओं को निम्न जानकारी दें:–
घटनास्थल की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित बातों का पालन करें:–
01. घटनास्थल के आसपास किसी प्राइवेट व्यक्ति को न आने दें।
02 घटनास्थल से लगते हुए क्षेत्र की भी निगरानी व सुरक्षा करें ताकि कोई भी भौतिक साक्ष्य नष्ट न हो पाये।
03 घटनास्थल पर प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति पर निगरानी रखें।
04 घटनास्थल के आसपास भीड एकत्रित न होने दें।
05 स्पष्ट रूप से दिखायी देने वाले भौतिक साक्ष्यों जैसे पद चिन्ह इत्यादि को किसी वस्तु से ढक दे।
06 घटनास्थल पर मौजूद वस्तुओं को न छुएं और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को छूने दें।
07 यदि कोई घायल अवस्था में हो तो बिना किसी देरी के जो भी साधन उपलब्ध हो उस से घायल व्यक्ति को नजदीक अस्पताल पहुॅचाना चाहिये। घायल व्यक्ति को उठाते समय कोई सबूत नष्ट नहीं होना चाहियै।
08 घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों को तब तक न जाने दे जब तक अन्वेषणकर्ता ने उनसे आवश्यक पूछताछ न कर ली हो।
09 घटनास्थल की सुरक्षा और उसका निरीक्षण अनावश्यक देरी के बिना पूर्ण किया जाना चाहिये।
10 घटनास्थल की सुरक्षा तब तक करनी चाहिये जब तक उच्च अधिकारी व अन्य विशेषज्ञ इसका निरीक्षण ना कर लें या उसका फोटो न उतार लें
11 घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान दो या अधिक स्वतंत्र प्रतिष्ठित गवाहों को अवश्य बुला लें जो उस गॉव या शहर के रहने वाले हों और इसके बारे में गवाही देने के लिए तैयार हों लेकिन बदमाश, आवारा या शराबी ना हों।

PTS JODHPUR

12 घटनास्थल की सुरक्षा सावधानी, सतर्कता और चुस्ती के साथ करनी चाहिये।
13 यदि अपराधी घटनास्थल पर उपस्थित हो तो उसे पूछताछ के लिये अभिरक्षा में लिया जाना चाहिये। जहॉ अपराध घटित होने या ना होने के सबूत उपलब्ध है या नहीं है घटनास्थल से तात्पर्य उस स्थान से है जहॉ वाकिया होना मुस्तगीस मुकदमा ने अपनी प्राथमीक रिपोर्ट में अंकित किया है।
14 घटना से हमारा तात्पर्य उस घटना या आपराधिक कार्य से है जो आकस्मिक रूप से या जानबुझकर किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति या नुकसान पहुॅचाने की नियत से हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है या की जाती है जैसे अचानक वाहन दुर्घटना हो जाना या चोरी करने की नियत से जेब काटना।
घटनास्थल— घटनास्थल से अभिप्राय उस स्थान से है जहॉ पर अपराध घटित हुआ है तथा अपराधी, अपराध व पीडित व्यक्ति के उपयोग में लाई गयी वस्तुऍ एक दूसरे के संपर्क में आती है।

अपराध का पता लगाने का निम्न महत्त्व हैः—
(1)उंगलियों के निशान, पैरो के निशान, बाल, कोई कपडे अथवा अन्य अवशेष जो छोटे अथवा बडे हों, जो अपराधी साधरणतया पीछे छोड जाते है और अन्वेषण में सहायता करते है।
(क)किसी भी अपराध के किये हुए तथ्यों को जान पाना।
(ख)अपराधी को जान पाना पहचान करना या ढूढ निकालना।
(ग)उस अपराधी को बंदी बनाकर लाने, दंड दिला पाने में जिसने कि अपराध किया है अथवा निर्दोष व्यक्ति को बंदीगृह से मुक्त करा पाने में अथवा पीडित व्यक्ति को न्याय दिला पाने में सहायक सिद्ध हो पाते हैं।
(2)इससे अपराधी को पहचान पाने में और उसे चिन्हित कर पाने में आसानी होती है एवं अपराधी के आने व जाने के रास्तों व दिशा तथा जो निशान वह छोडकर गया है, उन्हें इकट्ठा कर पाने में सहायता मिलती है।
(3)अपराध स्थल की पहचान करने में भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक है।
(4)यह इस चीज की सच्चाई भी दर्शाता है कि क्या गवाह, पीडित व्यक्ति सच्ची बात कर रहे है अथवा झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है कि सच्चाई का घटनास्थल से ही पता चल जाता है।
(5)इससे अपराधी स्वयं ही भौचक्का रह जाता है व चेहरे के हाव भाव बदल जाते है। जब वह अपने ही द्वारा छोडे गये चिन्हों को अपने आप देखता है।
(6) अन्वेषक को यह काफी सहायक सिद्ध होता है जब वह अपराध को उसकी कहानी के अनुसार हालात में गूथते हुए एक कहानी सी बनाता है जैसा कि अपराध करने से पहले साधारणतया अपराधी के दिमाग में होती है। यदि वह किसी कारणवश स्वयं उस निरीक्षण हेतु नहीं पहॅुच पाता तो सीआरपीसी की धारा 157 के अधीन किसी अधीनस्थ अधिकारी को वहॉ भेज दे जो उस स्थान को अन्वेषण के लिए उस समय तक सुरक्षित रखे जब तक कि निरीक्षण दल उस स्थल पर पहुॅच न जाएं।
(ख) छद्म घटनास्थल का आयोजन एवं साक्ष्य सम्बधी सामान्य जानकारी—
व्याख्यान एवं अभ्यास के द्वारा आब्जर्वेशन क्षमता बढाना—अनुदेशक निम्न कार्य करवायेंः—
1.काल्पनिक घटना स्थल का निरीक्षण करवाना है।
2.विडियो क्लिप दिखाकर अनुदेशक क्लिप में दिखाए गए, दृश्यों व परिस्थितियों के बारे में प्रश्न करें।
3.घटना स्थल की फोटोग्राफी करवाए एंव उसे बार बार दिखाया जाकर उस पर प्रश्न किये जावे।
4.अनुदेशक को घटनास्थल के निरीक्षण में पर्यवेक्षण क्षमता के विकास हेतु लोकार्ड के पारस्परिक विनिमय सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाकर व्यावहारिक अभ्यास अधिकाधिक करावें।
5.घटनास्थल निरीक्षण के बाद अनुसंधानकर्त्ता द्वारा मन ही मन घटना की पुनः स्थापना करके देखना चाहिए ताकि यह सही अनुमान लगाया जा सके कि घटना किस प्रकार और कैसे घटी होगी। इस अभ्यास से अनुसंधानकर्त्ता को अनुसंधान करने का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है।
6.घटनास्थल के संबध में पुराने व अनुभवी अधीकारी व कर्मचारी से विचार विमर्श करना भी अपराध के संबंध में सहायक साबित हो सकता है।
7.Village crime note book का अवलोकन कर पूर्व में घटित अपराध/अपराधियों के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायक साबित हो सकते हैं।
8.घटनास्थल पर अविलम्ब पहुॅचा जाए। देर से पहुॅचने से होने वाली क्षति के बारे में जानकारी दी जाए।
9.घटनास्थल को डोरी या रिबन से घेरा बनाकर सुरक्षित किया जाए तथा ये सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी व्यक्ति उस घेरे में प्रवेश नहीं करें।
10.अपराध स्थल पर प्रवेश व निकास के लिए उचित स्थान का चयन कर सुरक्षा डोरी से अंकित करें।

PTS JODHPUR

11.घटनास्थल का जायजा लेकर अपराध प्रकृति को देखते हुए FSL/FPB/MOB/डॉग स्कॉड/ बम डिस्पोजल आदि विशेषज्ञ टीम की सहायता ली जाए।
12.केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही चिन्हित प्रवेश मार्ग से घटनास्थल में प्रवेश दिया जाये।
13.उस व्यक्ति से संपर्क करें जो कि प्रथम बार घटनास्थल पर पहुँचा है।
14.किसी भी बाहरी व्यक्ति, दर्शक अथवा सहयोगी को अपराध के घटनास्थल को बदलने अथवा खराब करने नहीं दिया जावे।
15.अनुसंधान अधिकारी या थानाधिकारी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करें तथा घटनास्थल पर मिलने वाले साक्ष्यों की खोज तथा पहचान करें।
16.घटनास्थल पर साक्ष्यों की पहचान बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य है।किसी अनावश्यक वस्तु को जब्त करने से अनुसंधान की दिशा बदलने की संभावना रहती है।
17.घटनास्थल का निरीक्षण बडी गहराई और सूक्ष्मता से करें और घटनास्थल की कोई भी चीज को तुच्छ नहीं समझें।
18.घटनास्थल पर साक्ष्य पदचिह्न, टायर मार्क्स इत्यादि जो वर्षा, हवा के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें तगारी आदि से ढ़क दें।
19.रक्त, वीर्य, उल्टी, बाल रसायन, ज्वलनशील पदार्थ, हड्डियों, टूलमार्क आदि को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखें व रंगीन चॉक/मार्किंग पेन्सिल से चिन्हित करें।
20.अपराध स्थल पर किसी भी वस्तु को अनावश्यक न छुआ जावे, यदि आवश्यक हो तो दस्तानों का प्रयोग करें।
21.जैविक साक्ष्य जैसे रक्त, वीर्य, थूक आदि को सफेद सूती कपडे के टुकडे में सोखकर उठावें तथा हवा में सुखाकर भेजें। रक्त रंजित प्रादर्शों को दोनों तरफ अखबार लगाकर पैक करें।
22.अन्य प्रादर्श जैसे मॉस, हड्डियां, दांत, बाल आदि भी इसी तरह कागज में लपेटकर पैक करें।
23.प्रत्येक प्रादर्श की उचित मात्रा संग्रहित करें।
24.यदि घटनास्थल पर किन्ही भौतिक साक्ष्यों को उठाना है तो उनके उठाने की प्रक्रिया को नियमानुसार अनुसरण किया जाये।
25.यदि भौतिक साक्ष्य उठाने या पैक करने या सुरक्षित रखने के लिये किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था करें।
26.घटनास्थल की खोजबीन सुव्यवस्थित रूप से प्रमाण एकत्रित करने के लिए करें। जब भी घटनास्थल को देंखने, नक्शा मौका बनाने के लिए गवाह लिये जाये तो इज्जतदार व प्रतिष्ठित गवाह हों।
27.प्रादर्शों को सही तरीके से पैक करें।
28.सील सही तरीके से पूरी व स्पष्ट लगावें।
29.घटनास्थल की फोटोग्राफी या संभव हो तो विडियोग्राफी करवायें।
30.फोटो नजदीक व दूर से तथा विभिन्न कोणों से लिये जाने चाहिये जिससे अंगुलियों के निशान, वाहन टायर के निशान, हथियार आदि फोटो में शामिल हो जावें।
31.घटनास्थल पर पाये जाने वाले प्रमाणों को सुरक्षित रखें। यदि आवश्यक हो तो उनको सील किया जावें। इन वस्तुओं को गवाहों के सामने ही सील किया जायें।
32.अपराध घटनास्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वास्तविक घटनास्थल का नक्शा मौका बनायें यह अपराध घटनास्थल को कागज पर सुरक्षित रखने का एक तरीका है।
33.यह ध्यान में रहे कि अपराध घटनास्थल केवल मात्र वह स्थान ही नही है जहॉ की घटना अपराधी द्वारा घटित की गई है परन्तु घटनास्थल में आस पास का क्षेत्र, अपराधी के आने जानें के रास्तों पर गड्डे, नालें, आदि तथा बिजली के खम्भे आदि भी शामिल है। जिनका भी विस्तृत रूप से निरीक्षण करना चाहियें।
34.अपराध घटनास्थल पर इन्चटेप लेकर जाए और जिस भी स्थान व वस्तु को वह अपराध से जोडना चाहता उसका सही माप कर फर्द मौका लिखा जावें।
35.नक्शा मौका मुआयना स्कैल के मुताबिक ही बनाया जाये।
36.मौके मुआयने में किसी भी गैर संगत सूचना को अंकित नहीं किया जाये।इससे संदिग्ध अपराधी को फायदा भी प्राप्त हो सकता है।
37.नक्शा मौका मुआयना में वास्तविक स्थान स्पस्ट रूप से अंकित किया जाये। जहॉ वास्तविक रूप में अपराध घटित हुआ है।

PTS JODHPUR

38.संदिग्ध अपराधियों की आने की दिशा का भी स्पष्ट रूप से मार्क कर रास्ता अंकित किया जाये।
39.यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि घटनास्थल पर कोई साक्ष्य छुट नहीं जाये।
40.यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि नक्शा मौका में पूरी घटना के हालात अंकित कर दिये गये है।

(ग) साक्ष्य का संकलन व साक्ष्य की अभिरक्षा की श्रृंखला का महत्त्व–

प्रदर्शनीय वस्तुओं को हैंडिल करना, शील करना, पैक करना और भेजनाः–प्रायः जिन वस्तुओं को भौतिक साक्ष्य के रूप में उठाकर विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने के लिये प्रयोगशाला भेजा जाता है और जो अपराध, अपराधी व घटनास्थल से संबंधित हो, को प्रदर्शनीय वस्तु कहा जाता है। एक भौतिक साक्ष्य अपराध का एक मूक दर्शक होता है। यदि विशेषज्ञ द्वारा इसे सही ढंग से हैण्डिल किया जाये तो यह अपराध की वास्तविक कहानी बता सकता है इसलिए इसे प्रयोगशाला तक सुरक्षित पहुॅचाना जरुरी है। भौतिक साक्ष्यों को उठाते व पैक करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए–

1.प्रदर्शनीय/भौतिक साक्ष्य की शुद्धता को बनाये रखे।
2. सावधानी से कब्जे में ले, इसे खराब ना होने दें।
3. यदि मौलिकता नष्ट हो गई हो तो यह व्यर्थ साबित होगी और अपेक्षित सूचना नहीं मिलेगी।
4.किसी अन्य व्यक्ति को छेडछाड न करने दें।
5. भौतिक साक्ष्य उठाते समय सभी औपचारिकता पूरी कर ले।
6. भौतिक साक्ष्य उठाने से पूर्व उसका मौके पर फोटो अवश्य करायें।
7. अपराध, गवाह, प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर आदि का विवरण बनाये जिस पर थाने का नाम, अन्वेषणकर्त्ता का नाम व हस्ताक्षर व गवाहान के हस्ताक्षर मय दिनांक व समय अंकित किया जावे।
8. लेबल लगाने के बाद भौतिक साक्ष्य को एक पैकेट लेकर भौतिक साक्ष्य उसमें रखकर लेबल चिपकायें और मोहर लगाकर सील मोहर करें।
9. सील करते समय खराब पैकेट या गीले पैकेट प्रयोग न करे। एक ही पैकेट में एकाधिक चीज पैक न करें।
10. प्रयोगशाला में भेजते समय स्वयं किसी भौतिक साक्ष्य से छेडछाड न करें।
11. पैकेट उचित अधिकारी को सौंपकर प्राप्ति रसीद लेना न भूलें।

–भौतिक साक्ष्यों को एकत्रित करने, पैक व सील करने तथा प्रयोगशाला में भेजने की विधि–

1	2	3	4	5	6	7
क्र. स.	वस्तु	हैंडल करने के तरीका	सील/ लेबल लगाने की विधि	सैम्पल (नाम किट)	पैक करना व प्रयोगशाला भेजना	साक्ष्यात्मक महत्त्व
1.	रक्त	साफ व स्वच्छ कपडें पर अज्ञात रक्त के नमूने एकत्रित किये जाये। बाद में धब्बों को छाया में सुखाकर कागज के लिफाफे में पैक करें। यदि रक्त तरल अवस्था में है तो किसी जीवाणु रहित स्वच्छ बोतल में रखकर भेजें	बर्तन या डिब्बे पर लेबल लगायें जिस पर उठाने के स्थान, नमूने का विवरण, तिथि, धारा और अन्वेषण अधिकारी का नाम दर्ज होना चाहिये	सैम्पल (नमूना) किट बोतल में 5 एमएल रक्त भेजें।	बोतल को कपडे के थैले में रखकर सील पैक करें और कपडे के थैले पर सही ढंग से लेबल लगायें।	रक्त समूह वर्गीकरण करने व रक्त में शराब व विष का पता लगाने में।
2.	रक्त रंजित कपडे	यह ध्यान रखें कि कपडे पर लगे रक्त कि धब्बे खराब न हो पाये।	यथोक्त उसके अलावा संबंधित आंकडे का विवरण देते हुये एक टैग लगाये।	संपूर्ण वस्त्र का टुकडा भेजें।	कपडों को छाया में सुखाकर पैक करें। प्रत्येक वस्त्र के बीच में कागज रखे व उसे कपडे के थैले में रखे और थैले को ढंग से पैक करें।	रक्त की उपस्थिति स्त्रोत एवं प्रजाति का पता लगाना व अन्य शारीरिक द्रव्यों का पता लगाना।
3.	दस्तावेज पत्र नोट व चैक आदि।	प्रत्येक दस्तावेज को चिमटी की सहायता से पकडकर उठायें और जहॉ तक संभव हो अदृश्य अंगुल चिन्हों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें।	किसी दस्तावेज पर कोई चिन्ह न लगावें, उसे लिफाफे में रखें और लिफाफे पर लेबल लगाये।	यदि किसी दस्तावेज के बारे में कोई संदेह हो तो जालसाजों से संबंधित सभी दस्तावेज स्टैंडर्ड तथा स्वीकृत किए गए दस्तावेज भेजें।	जहॉ तक संभव हो किसी दस्तावेज को मोडें नहीं यदि मोडना पडें तो पुरानी परत लाईन से ही मोडे।	लेखक की पहचान करने, अंगुल चिन्हों का पता लगाने, जोडे/ मिटायें गये अक्षरों या किसी जालसाजी का पता लगाने के लिए।
4.	रेशें	वैक्यूम स्विपिंग मशीन के द्वारा एकत्रित करें या सैलों	एक छोटे पात्र से एकत्रित करें और उस	मूल वस्त्र, रस्सी या वस्तु सभी के रेशें	किसी लिफाफे में एकत्रित करके सील	रेशें व वहॉ की पहचान व तुलना

PTS JODHPUR

		टेप की मदद से एकत्रित करें।	स्थान, वस्तु का विवरण दर्ज करें जहॉ से रेशे एकत्रित किये गए हैं	भेजें, यदि उपलब्ध हो।	व पैक करें और लिफाफे पर पूर्ण विवरण लिखें।	करने के लिए
5.	आग व विस्फोटक	तरल पदार्थ को मूल पात्र में रखें और अंगुल चिन्हों का पता लगाए	पत्र के बाहर की तरफ एकत्रित करने के स्थान, नमूने का विवरण, तिथि,समय, एफआईआर न. व थाना व अनुसंधान अधिकारी का नाम लिखें।	अल्प मात्रा में कम से कम चार औंस या कोई निशान उपलब्ध हो तो उन्हें भी प्रयोगशाला में विश्लेषण करने हेतु भेजें।	लकडी के मजबूत बक्शे में रखें और ध्यान से रखकर पैक करें।	यह पहचान करने के लिये तरल पदार्थ ज्वलनशील या विस्फोटक तो नहीं है।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 6.10 घटनास्थल पर किसी अधिकारी को तुरन्त भेजना :–जब कभी हस्तक्षेपीय अपराध के प्रतिवेदन का अभिलेख किया जाये और यह निर्णय कर लिया जाये कि मामले का अनुसंधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 {176 BNSS}के अन्तर्गत नहीं छोड़ना है, तो पुलिस अधिकारी तुरन्त घटनास्थल के लिए रवाना हो जायेगा। जो अधिकारी घटनास्थल पर पहले पहुंचे, यदि वह अनुसंधान को पूर्ण करने के लिये अधिकृत नहीं हो तो अपराध के घटनास्थल को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी (अव्यवस्था) से सुरक्षित रखने के हर सम्भव प्रयत्न करेगा, विवरण को लिखेगा और साक्षियों को रोके रखेगा, उनसे मामले से संबंधित सूचनायें एकत्र करेगा और दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 6.13 घटनास्थल का मानचित्र :–

(1) सभी महत्त्वपूर्ण मामलों में घटना स्थल के दो मानचित्र किसी योग्य पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी उपयुक्त संस्था द्वारा तैयार किए जायेंगे, जिनमें से एक दोष के साथ या अन्तिम प्रतिवेदन के साथ एवं दूसरे को विभागीय उपयोग हेतु रखा जायेगा।

(2) पटवारियों अथवा अन्य विशेषज्ञों द्वारा मानचित्र या नक्शे आदि बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा–

(i) साधारण मामलों में ऐसे नक्शों को बनाने के लिए पटवारी को नहीं मांगा जाये।

(ii) गम्भीर अपराधों विशेष रूप से हत्या अथवा जमीन के झगड़ों से संबंधित दंगों में मामले की छानबीन करने वाले पुलिस अधिकारी यदि यह समझें कि बिल्कुल सही मानचित्र बनवाना आवश्यक है उस वृत्त के पटवारी को अपराध के घटनास्थल पर बुलवायेंगे जिसके क्षेत्र में घटना घटी है और उसे दो मानचित्र बनाने को कहेंगे। एक तो न्यायालय में साक्षी के रूप में पेश करने हेतु और दूसरा पुलिस की अनुसंधान शाखा के उपयोग हेतु। पहली प्रति में पुलिस अधिकारी द्वारा देखे गये दुर्घटना स्थल के तथ्य की प्रविष्टि की जायेगी जबकि दूसरी प्रति में साक्षियों के बयानों पर आधारित बातें लिखी जायेंगी, जो कि साक्षियों ने अपने बयानों में बताई हैं (इनका साक्ष्य में कोई महत्व नहीं होता)। इस बात की सावधानी रखी जाये कि मानचित्र बनाने के कार्य के लिए पटवारी को अधिक देर तक नहीं रोका जाये।

(iii) यह परिभाषित करना अत्यन्त आवश्यक है कि नक्शे मानचित्र (बनाने) के कार्य के लिए पटवारी और पुलिस अधिकारियों का क्या उत्तरदायित्व है।

(iv) पुलिस अधिकारी पटवारी को भूमि की उन सीमाओं के बारे में संकेत देगा जो वह मानचित्र में चाहता है और मुख्य प्राकृतिक बिन्दु जो मानचित्र में दिखाये जाने हैं, बतायेगा। तब पटवारी सही मानचित्र बनाने के लिए उत्तरदायी होगा। ट्रेसिंग के द्वारा, यदि आवश्यक हो तो दूसरी प्रति तैयार करेगा जिससे मानचित्र पर इन सभी बातों को सही बनाया जा सके और दूरियों की भी मानचित्र में सही प्रविष्टि की जा सके। न्यायालय में पेश करने की दृष्टि से तैयार किये गये मानचित्र पर वह कोई टिप्पणी नहीं लिखेगा। पुलिस अधिकारी ट्रेसिंग द्वारा तैयार की गई प्रति पर ही टिप्पणी लिख सकता है।

(v) वह पुलिस अधिकारी के स्वयं के लिए है कि मानचित्र की दूसरी प्रति पर यदि वह आवश्यक समझे तो ऐसी कोई टिप्पणी लिख सकता है जो पूछताछ योग्य मामले में मानचित्र से संबंधित है। पटवारी के समान वह इस बात के लिए भी उत्तरदायी है कि नक्शे में सभी दूरियां सही हों। परन्तु पटवारी द्वारा तैयार की गई नक्शे की उस प्रति पर, जो न्यायालय में प्रस्तुत की जानी है, वह कोई टिप्पणी अथवा विवरण जो साक्षियों के बयानों पर आधारित है, नहीं लिखेगा।

(vi) यह सुविधाजनक रहेगा कि पटवारी द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियां काली स्याही से और पुलिस द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियां लाल स्याही से हों।

PTS JODHPUR